राजस्थान विधान सभा

७०वीं बैठक, सोमवार, दिनांक १३ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४–१० बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न।

प्रश्न संख्या १७५४

(श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)

श्री भोलानाथ (राजस्व मंत्री)—इस सवाल का उत्तर पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसको अगली टर्न पर ले लिया जाय।

प्रश्न संख्या १७५५

बालिका पाठशाला सरवाड़ को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गर्ल्स स्कूल सरवाड़ में छात्राओं की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है और उनकी योग्यतायें क्या २ हैं ?

(ग) उक्त स्कूल में शिक्षा कहां तक दी जाती है ?

(घ) क्या सरकार उक्त स्कूल की छात्राओं की संख्या को देखते हुए उसे मिडिल स्कूल में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) गर्ल्स स्कूल, सरवाड़ में छात्राओं की संख्या ७० है।

(ख) उक्त स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या २ है।

Page No.2

[श्री भोलानाथ]

(ग) उक्त स्कूल में कक्षा पांच तक शिक्षा दी जाती है।

(घ) मिडिल स्कूल के लिए अभी संख्या कम है।

(ङ) (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—अध्यापिकाओं की योग्यतता के बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री भोलानाथ—योग्यता निम्न प्रकार है :

रामसुखी देवी – पी. टी. सी.

जानकी देवी – बी. एफ.

श्री चांदमल मेहता—जिन अध्यापिकाओं के नाम आपने बताये हैं क्या उनकी नियुक्ति इस प्रश्न के आने के बाद हुई है ?

श्री भोलानाथ—यह इनफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—पांचवी क्लास तक की पढ़ाई के लिये जो अध्यापिकाओं की नियुक्ति हुई है, क्या वह संख्या कम नहीं समझते माननीय मंत्री ?

श्री भोलानाथ—७० छात्राओं के लिये दो अध्यापिकाएं कम नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या पांचवी क्लास तक की पढ़ाई के लिये दो अध्यापिकाओं को माननीय मंत्री काफी मानते हैं। जहां छात्र पांचवी क्लास तक हैं वहां पर भी क्या दो ही अध्यापक काम करते हैं ?

श्री भोलानाथ—पहली से पांचवी तक एक ही अध्यापक पढ़ा सकता है, यह तो प्राइमरी क्लास में आती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि प्राइमरी स्कूल में एक ही मास्टर पढ़ाता है ?

श्री भोलानाथ—हां, इसी प्रकार वन टीचर्स स्कूल खोले जा रहे हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इससे यह समझा जाय कि पांचवी क्लास तक के लिये जो अध्यापिकायें हैं वे एक साथ दो दो क्लासें लेती हैं ?

श्री भोलानाथ—हां, यह तो चलता है। कुछ बैठी रहती हैं, कुछ राइटिंग करती रहती हैं और फिर मोनीटरी सिस्टम भी चलता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार की स्कूलें चलाकर क्या राजस्थान सरकार गर्व अनुभव करती है, जिसमें हमारी भावी पीढ़ी तैयार होगी। जहां पर एक-एक अध्यापक तीन-तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है, क्या इससे हम भविष्य के लिये गौरव की बात कर रहे हैं?

श्री भोलानाथ—यह तो सिस्टम है। यही तरीका भारत सरकार भी अपना रही है, शायद यह आपको पता होगा। हम इस तरह के एक मास्टर के स्कूल १३०० इस साल खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें कक्षा एक से लेकर पांच तक की तालीम दी जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर यही स्टेंडर्ड आप कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्यों नहीं अपना लेते।

(चुप्पी)

श्री चांदमल मेहता—मिडिल स्कूल होने के लिये आप कितनी छात्राओं का होना आवश्यक मानते हैं?

श्री भोलानाथ—कम से कम १५० छात्राओं का होना आवश्यक है और १५ छात्रायें कम से कम छठी क्लास में जाने के लिये तैयार हों।

श्री चांदमल मेहता—जो अब तक मिडिल स्कूलें चल रही हैं, क्या उनमें यह स्ट्रेंग्थ है १५० की?

श्री भोलानाथ—ऐसा भी है कि शनैः शनैः छात्राओं की संख्या बढ़ती भी रहती है; फिर भी सब जगह के फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि महाराजा मिडिल स्कूल में बालिकाओं की संख्या छठी क्लास में १५ नहीं है?

श्री भोलानाथ—ऐसा है तो कोई उपाय किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरवाड़ में आगे की क्लासें नहीं खोलने की वजह से संख्या कम है?

श्री भोलानाथ—७० और १५० में बहुत फर्क है।

श्री चांदमल मेहता—तीन क्लासों का भी तो फर्क है।

Page No.4

प्रश्न संख्या १७५६

शेरगढ़ के अतिरिक्त समस्त जोधपुर डिवीजन में अकाल

श्री सन्तोषसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) Is it in the knowledge of the Government that dire famine has broken out in whole of Jodhpur Division, except Shergarh Tehsil, due to failure of August rains as well as havoc made by locust and hoppers ?

(b) Is it a fact that due to grass having been destroyed and consumed by hoppers, the cattle wealth of Marwar will be hit hard ? What steps is Government taking to save the cattle wealth of Marwar from this catestrophe ?

श्री भोलानाथ (राजस्व मन्त्री की अनुपस्थिति में शिक्षा मन्त्री)—(a) Conditions are bad in Jodhpur Division, especially in the districts of Jalore, Barmer, jaisalmer Jodhpur and Nagaur due to failure of rains. Conditions in pali and Sirohi area bit better and likely to improve if there are rains within the next week.

(d) Scarcity of fodder appears to be acute. The migration of cattle from the deficit areas in Marwar to the surplus areas in Madhya Bharat, U. P. and Bhopal is likely to take place. This is the traditional method of fighting scarcity of fodder and it is always encouraged by the Government. Fodder is also importey for supply at reasonable price to cattle owners who cannot send their cattle out.

श्री तनसिंह—यह फेमीन से लड़ने का जो ट्रेडिशन है, उसको समाप्त करने के लिये राजस्थान गवर्नमेन्ट क्या कोशिश कर रही है ?

श्री भोलानाथ—राजस्थान गोवर्नमेंट डेज़र्ट को मिटाने के लिये भाखरा हटीक आदि से पानी लाने की कोशिश कर रही है, ताकि इस बीमारी का परमानेन्ट इलाज हो जाय।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मारवाड़ में भाखरा किस जगह आयगा ?

श्री भोलानाथ—मारवाड़ के ऊपरी हिस्से, जैसलमेर को भी हम मारवाड़ ही मानते हैं और बीकानेर का इलाका भी मारवाड़ ही है। क्योंकि जो भी राजस्थानी बाहर जाते हैं चाहे वे किसी भी इलाके के हों मारवाडी ही कहलाते है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान मारवाड़ कब से कहलाने लगा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री इस चीज को सीरियसली लें। यह फेमीन का सवाल हैं। यह लाखों आदमियों के

[कु श्री जसवंन्तसिंह]

भरण-पोषण का प्रश्न है। अगर माननीय मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार होकर नहीं आये हैं तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, राजस्व मन्त्री के आने तक।

श्री भोलानाथ—मेरे ख्याल से लीडर ऑफ अपोज़ीशन कुछ तेजी में आ गये मालूम पड़ते हैं। सवाल ही इस तरह का पूछा गया था। स्केअरसिटी, केवल मारवाड़ ही नहीं, बीकानेर, झुंझुनू, शेखावाटी आदि का इलाका भी है। जब कि स्केअरसिटी को दूर करने का सवाल पूछा था और उसका परमानेन्ट इलाज चाहते थे तो मैंने इस प्रकार का जवाब दिया।

श्री तनसिंह – तो क्या यह समझा जाय कि इसको आप कायम रखना चाहते हैं?

श्री भोलानाथ—कायम रखना तो कतई नहीं चाहती सरकार किन्तु मनुष्य और गवर्नमेंट के लिये जितना संभव है उसको रोकने का उपाय किया जाता है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—मारवाड़ के मुत्तलिक प्रश्न था, आयन्दा क्या एक जगह के प्रश्न के ऊपर दूसरी जगह के बारे में भी पूछने की इजाजत दी जायगी?

श्री भोलानाथ—फोडर की स्केअरसिटी इन भागों में है, इसलिये मुझे बताना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member was not present in the House when the Revenue Minister assured that he will take the House into confidence after the 15th regarding famine situation.

कुं श्री जसवन्तसिंह—That is true, but my question is particularly with regard to the question asked by the Hon'ble Member sitting on my side here and that the reply that has been given pertains to the whole of Rajasthan.

श्री भोलानाथ—आपने तो सुनने की कोशिश नहीं कि मैंने तो कहा था 'Conditions are bad in Jodhpur Division; the whole of Jodhpur Division.'

श्री तनसिंह—क्या सरकार यह समझती है कि जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में कोई अकाल नहीं है?

श्री भोलानाथ—वह इस प्रश्न में आ जाता है। शेरगढ़ जोधपुर डिवीजन का ही एक भाग है।

प्रश्न संख्या १७५७

बालिका पाठशाला, सरवाड़ के लिए भवन का प्रबन्ध

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गर्ल्स स्कूल, सरवाड़ में छात्राओं की संख्या कितनी है ?

(ख) छात्राओं के बैठने के स्थान का क्षेत्रफल कितना है ?

(ग) उक्त स्कूल की बिल्डिंग का किराया प्रति मास कितना है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ७०

(ख) २३२ ।

(ग) चार रुपया प्रति मास ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरवाड़ की जनता ने यह मांग की है कि इस स्कूल के रूम्स पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये दूसरी स्कूल की बिल्डिंग किराये पर लेने की इजाजत दे दी जावे ?

श्री भोलानाथ—हां, वे मांग तो कर रहे हैं ।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर सरकार इसके लिये कब तक स्वीकृति दे देगी ?

श्री भोलानाथ—इसके लिए मैं जवाब दे भी चुका हूँ । दूसरे मकान का पहले प्रबन्ध करना चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या मकान दूसरा किराये पर लेने की आज्ञा देने का विचार नहीं रखती है सरकार ?

श्री भोलानाथ—विचार कर सकती है ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या आप सवाल का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—सुनने की कोशिश नहीं करते हैं आप ।

श्री भोलानाथ—मेरा उत्तर था कि २३२ वर्ग फीट छात्राओं के बैठने के स्थान का क्षेत्रफल है ।

श्री चांदमल मेहता—यह क्षेत्रफल कितने कमरों का है साहब ।

Page No.7

श्री अध्यक्ष—सभी कमरों का है।

श्री भोलानाथ—पूरी इमारत का क्षेत्रफल है जिसमें बच्चे बैठते हैं।

श्री चांदमल मेहता—कमरे कितने हैं।

श्री भोलानाथ—कमरों के नम्बर की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी सूचना आपको है या नहीं कि जो स्थान बैठने का है, उसका क्षेत्रफल इतना है जो उनके लिए कतई पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह अभी आपको बताया तो है कि ७० लड़कियां हैं और २३२ वर्ग फीट जमीन है।

श्री चांदमल मेहता—पर वास्तव में ऐसा है नहीं साहब।

कुं श्री जसवन्तसिंह—२३२ वर्ग फीट में से कितने फीटबाई कितने फीट का एक कमरा होगा ? यदि एक कमरा २३×१० होगा तो यही २३० वर्ग फीट हो जाता है।

श्री भोलानाथ—कमरे की संख्या के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह तो "Hypothetical" है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—अगर एक कमरे का है तो २३ बाई १० का कमरा हो सकता है वह। इसके तो यही मानी हो सकते हैं।

श्री भोलानाथ—इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेन्ट डिफरेन्ट बातें भी हो सकती हैं।

कुं श्री जसवन्तसिंह—और इस तरह से एक कमरे में इतनी तादाद में बच्चों को रखना हाईजिनिक और हेल्थ के पाइन्ट ऑफ व्यू से कहां तक सरकार उचित समझती है ?

श्री भोलानाथ—सौ बाई सौ और दस दस के आठ भी मान सकते हैं। स्क्वायर भी मान सकते हैं तथा कुछ और भी मान सकते हैं, इस तरह से तो आप।

श्री भैरोंसिंह—एक बच्चे के बैठने के लिये कितना स्थान आवश्यक समझा गया है ?

प्रश्न सं० १७५८

श्री अध्यक्ष—श्री अब्दुल हादी।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७५६, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १७५६

स्वायत्त शासन संस्थाओं के सचिवों तथा एकाउन्टेन्ट्स को ट्रेनिंग

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) स्वायत्त शासन संस्थाओं के सेक्रेटरी एवं अकाउन्टेन्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

श्री रामकरण जोशी—(स्वायत्त शासन मंत्री) (क) जी हां।

(ख) शीघ्र ही।

प्रश्न संख्या १७६०

श्री अध्यक्ष—श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६१

श्री एच. के. व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १७६२

श्री वेदपाल त्यागी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६३।

गंगापुर हाई स्कूल भवन का जीर्णोद्धार

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या गंगापुर हाईस्कूल की बिल्डिंग में वर्षा के समय पानी टपकता है? यदि हाँ, तो क्या निर्माण विभाग को कभी इसकी मरम्मत के लिये लिखा गया था? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री भोलानाथ (शिक्षामंत्री)—हां, गंगापुर हाईस्कूल की बिल्डिंग के आठ कमरे हाल ही में बने हैं और उन्हें पी. डब्लू. डी. ने बनवाया है। पानी भी वर्षा के समय टपका है और इससे विद्यार्थियों के बैठने में असुविधा जरुर हुई है। इसका मौका स्थानीय ओवरसीयर और उक्त क्षेत्र के इन्जीनीयर को दिखा दिया गया है और आवश्यक विभागीय कार्यवाही इस सम्बन्ध में हो रही है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह बिल्डिंग ठेके से बनाई गई थी या क्या?

श्री भोलानाथ—ये सब बिल्डिंग ठेके से ही बनती हैं। डिपार्टमेन्टली होती नहीं हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ठेके से जब बनती हैं तो ठेकेदार के साथ में क्या कार्यवाही की गई इसके लिये?

श्रीभोलानाथ—यह जो आपने सवाल एजुकेशन विभाग से पूछा है वह पी. डब्लु. डी. से सम्बन्धित है और उसी विभाग से अभी पूछा जा सकता है। इसका दुबारा जवाब दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १७६४

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७६५

राजस्थान के कसाई खानों को पवित्र दिवसों पर बंद रखना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में स्लॉटर हाउस बन्द रखने के कौन कौन दिन निश्चित हैं?

Page No.10

[श्री चान्दमल मेहता]

(ख) क्या यह सही है कि १५ अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिन को भी स्लॉटर हाउस बन्द नहीं रक्खे जाते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि भादवा शुदि -५ को कई वर्षों से स्लॉटर हाउस बन्द रहते आये हैं, पर वे सरकार ने वापिस चालू कर दिये हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्यों !

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) गणेश चतुर्थी, ऋषि पन्चमी, अनन्त चतुर्दशी, गांधी जयन्ती, गांधी निर्माण दिवस, महा-शिवरात्रि, रामनवमी, महात्मा बुद्ध का जन्म दिन, महावीर जयन्ती, कृष्ण जन्माष्टमी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि १५ अगस्त को हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में वहां की सरकारों द्वारा उस दिन स्लॉटर हाउस बन्द रखने की घोषणा की गई है तो फिर राजस्थान में ऐसी घोषणा नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—दूसरे प्रान्तों की नकल करने की जरूरत नहीं है । यहां तो धार्मिक भावना लोगों में स्वयं ऐसी होनी चाहिये कि वे स्वयं बन्द रक्खें, इन चीजों को । १५ अगस्त वैसे एक खुशी का त्यौहार है । जो और त्यौहार आते हैं उसी प्रकार इसको भी मनाया जाना चाहिये । ऐसी सूरत में (अश्रव्य) राजस्थान सरकार ने इसके औचित्य को स्वीकार नहीं किया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि विधान सभा के सदस्यों ने स्लॉटर हाउस को बन्द रखने की मांग की थी ?

श्री रामकरण जोशी—मुझे कुछ मालूम नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या दूसरे प्रान्तों की बात को मद्दे नजर रख कर आइन्दा के लिए सरकार इस तरह स्लॉटर हाउस बन्द करने की बात पर विचार करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान किसी की नकल नहीं किया करता है ।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह—गांधी जयन्ती धार्मिक त्यौहार कब से समझा जाने लगा है ?

श्री रामकरण जोशी—सुना नहीं गया, क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष—वे पूछ रहे हैं गांधी जयन्ती धार्मिक त्यौहार कब से समझा जाने लगा है ?

श्री रामकरण जोशी—गांधीजी के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि वे अहिंसा के प्रतीक थे और इस रूप में उन्हें लोगों ने माना भी है। इसलिये उस दिन हिंसा के काम को बन्द करवाया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—स्लॉटर हाउस जो बन्द कराया जाता है, वह क्या निशुल्क कराया जाता है या उसका कम्पेन्सेशन दिया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझा नहीं आपका मतलब। निशुल्क क्या किसी को गोश्त ? कम्पेन्सेशन किसको ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—स्लॉटर हाउस चलाने वाले कसाइयों को, आपको नहीं और मुझको भी नहीं।

श्री रामकरण जोशी—यह तो भावना से प्रेरित होकर होता है। इसमें निशुल्क या कम्पेन्सेशन की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या अहिंसा के प्रतीक होने के कारण ही किसी दिन को.......

श्री अध्यक्ष—Order please ! Order please !!

श्री भैरोंसिंह—मेरे माननीय साथी को एतराज है तो फलां दिन से शुरू होना चाहिए...

श्री अध्यक्ष—Order please ! The Hon'ble Member should seek information if he has any objection. There is no dispute about Gandhiji, about Gandhiji's life and his teachings. If the Hon'ble Member thinks that a particular day should or should not be observed a holiday, it is for him to suggest.

श्री भैरोंसिंह—इस बात के लिए डिस्प्यूट नहीं है। ऑर्डर पास किया है इस बात के लिए है।

श्री अध्यक्ष—This is not the question. He should ask another question.

प्रश्न संख्या १७६६

श्री वेदपाल त्यागी ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री हंसराज जटिया । १७६७ ।

श्री श्रीगोपाल भार्गव—मुझे माननीय सदस्य की तरफ से अधिकार दे दिया गया है। आपकी स्वीकृति हो तो मैं यह प्रश्न उपस्थित कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—जी, कहिये कहिये ।

प्रश्न संख्या १७६७

धौलपुर सब-डिविजन में कन्याओं की शिक्षा के लिए हाई स्कूल की आवश्यकता

श्री श्रीगोपाल भार्गव—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :

(क) क्या धौलपुर सब-डिविजन में कन्याओं की शिक्षा के लिए कोई हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या कोई बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)—(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष—श्री अंगदराम शास्त्री ।

प्रश्नसंख्या १७६८

सूंघा लोगों द्वारा देहात में पानी बतलाना

श्री **अंगदराम** शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

[श्री अंगदराम शास्त्री]

(क) क्या यह सही है कि सूंघा लोग आज भी देहात में पानी बतलाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या गवर्नमेंट ने उनकी खोज की है ?

(ग) क्या सेन्ट्रल के पानी बतलाने वाले महाराज की तरह सरकार भी इनका उपयोग करेगी ?

श्री **भोलानाथ** (पृथक राजस्व मंत्री)--(राजस्व मंत्री अनुपस्थिति में):(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

श्री **अंगदराम वैद**—सूचना नहीं है तो ठीक है, पर क्या सरकार इसको महसूस करती है या नहीं ?

श्री **भोलानाथ**—आजकल वैज्ञानिक युग में यह ठीक नहीं बैठता है ।

श्री **अंगदराम वैद**—सेन्टर ने क्यों रखा है फिर ?

श्री **भोलानाथ**—इसका तो फिर सेन्टर से ही जवाब पूछा जावे ।

श्री **अंगदराम वैद**—इसको फिर क्यों नहीं ठीक समझती है सरकार ? इसकी वजह ।

श्री **भोलानाथ**—यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है ।

श्री **अंगदराम वैद**—वैज्ञानिक तरीका कैसे नहीं है ? दिन पर दिन हम इसकी सच्चाई देखते हैं । हमारे सामने बातें गुजरती हैं । प्रेक्टिकल रूप में जब बात हमारे सामने मौजूद है तो इसे वैज्ञानिक रूप आप क्यों नहीं मानते ?

(घंटी)

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—कभी इस बात की सरकार ने परीक्षा की है ? पानी इससे वैज्ञानिक तरीके से ज्यादा बहतर निकलता है ।

श्री भोलानाथ—सरकार के सामने तो वह पानी महाराज का अनुभव भी अच्छा नहीं है। इसलिए छोटे-मोटे अनुभवों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि असल में उनकी नियुक्ति केन्द्र से हुई थी।

श्री अंगदराम वैद—तो उनके पीछे सरकार ने कितना रुपया लगाया ?

श्री भोलानाथ—यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६६

धौलपुर के महिला विद्या-मन्दिर को शासकीय आर्थिक सहायता

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने प्राइवेट स्कूलों को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है ?

(ख) धौलपुर में महिला विद्या मन्दिर को कितनी सहायता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सच है कि जयपुर में ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है ? यदि दी जाती है तो क्यों ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—इस सवाल का उत्तर दिनांक २०-७-५४ को क्वेश्चन नं० १६२ इ. एम. द्वारा दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या १७७०

हरिजन तथा अन्य जाति के पटवारियों की बीकानेर जिले में नियुक्ति

श्री महादेव प्रसाद बंका—क्या माल मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर जिले में हरिजन पटवारी कितने हैं और दूसरी कौन कौन सी जाति के हैं ?

(ख) सबसे ज़्यादा किस जाति के और कितने हैं ?

[श्री महादेव प्रशाद बंका]

(ग) बरखास्त शुदा और गबन किये हुए कितने पटवारी हैं ? क्या यह सही है कि वे एस. डी. एम. की सिफारिश पर रखे गये हैं ?

(घ) ऐसे पटवारियों को रखने का खास कारण क्या है और यह कार्यभार किसको सौंपा हुआ है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—बीकानेर जिले में कोई हरिजन पटवारी नहीं है। कुल १०२ पटवारी हैं। उनकी जातिवार सूची प्राप्त नहीं है।

(ख) सिवाय हरिजनों के जातिवार सूची नहीं रखी जाती, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरखास्त शुदा और गबन किये हुए कोई पटवारी नहीं हैं, प्रश्न नहीं उठता। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १७७१

किशनगढ़ सब डिविजन की कुछ पंचायतों में चुनाव न होना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में किस किस तहसील में अभी तक तहसील पंचायत के सदस्यों का चुनाव नहीं कराया गया है ?

(ख) उक्त चुनाव अभी तक नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) तहसील अराई का।

(ख) नोमिनेशन के कागजों में त्रुटियां रह गई थीं।

श्री चांदमल मेहता—अब चुनाव कब तक कराया जायगा।

श्री रामकरण जोशी—रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करके तारीख निश्चित की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या रूपनगर पंचायत का चुनाव भी अभी तक नहीं हुआ है,

Page No.16

श्री रामकरण जोशी—रूपनगर तहसील पंचायत का चुनाव हो चुका है। सिर्फ सरपंच नहीं चुना गया है। उसके लिए कार्यवाही हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—इसके लिए कब तक कार्यवाही हो जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—बहुत शीघ्र ही। तारीख मुकर्रर करने की बात है।

प्रश्न संख्या १७७२

जैसलमेर में पशु-मेले का आयोजन

श्री **हनवन्तसिंह**—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में पशु-गणना के अनुसार कुल कितने पशु हैं ?

(ख) क्या इतने पशु होते हुए भी इस जिले में एक भी पशु-मेला नहीं लगता है ?

(ग) क्या सरकार अब पशु-मेला जैसलमेर में आयोजित करने का विचार कर रही है ?

(घ) अगर हां, तो कब तक उम्मेद की जाती है ?

श्री **भोलानाथ** (पृथक राजस्व मंत्री)—सन् १९५१ की पशु-गणना के अनुसार ६,१८,३६२ पशु हैं।

(ख) नहीं।

(ग) फिलहाल नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **हनवन्तसिंह**—इतने पशु होते हुए मेला नहीं लगने का कारण क्या है ?

श्री **भोलानाथ**—मेले के लिये आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, जो वहां नहीं हैं। न तो वहां पानी है और न रेल की सुविधा है, जो व्यापारियों के आने-जाने के लिए व पशुओं के आने जाने के लिए आवश्यक है।

श्री **हनवन्तसिंह**—इस इलाके में यदि और कहीं सुविधा हो तो क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री भोलानाथ—ऐसा विचार कर सकते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मेले में पशुओं को रेल द्वारा ले जाया जाता है ?

श्री भोलानाथ—खरीदने वाले रेल द्वारा आते हैं और हजारों-लाखों रूपये अंटी में लेकर आते हैं । इसके अलावा रेल से पशु भी आते जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—Should we repeat.

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री वेदपाल त्यागी ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस । अशासकीय कार्य । आज का सारा दिन रिज़ोल्यूशन्स के लिये है ।

अशासकीय संकल्पों को प्राथमिकता देने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री चांदमल मेहता—मेरा एक रिज़ोल्युशन नं० १ पर है और दूसरा नं० ६ पर है । माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे रिज़ोल्युशन नं० ६ को पहले मूव करने की इजाजत दी जाय, नं० १ के बजाय ।

श्री कानसिंह—क्या...

श्री चांदमल मेहता—यदि यह ख्याल है तो मैं इस हद तक तैयार हूं कि नं० १ को ड्रोप कर दूं, अगर नं० ६ पहले मूव करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—What is the wish of the House ?

श्री जसवन्तसिंह—I am afraid he will have to forego his right.

श्री चांदमल मेहता–क्योंकि यह प्रिफरेन्स मेम्बरों के आधार पर हुआ है। इस प्रिफरेन्स के आधार पर मुझे नं० ६ पहले मूव करने की इजाजत दी जाय। मैं यहां तक तैयार हूं कि यदि मुझे नं० १ ड्रोप करना पड़े तो उसे ड्रोप कर सकता हूं।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य अपने खास प्रस्ताव को लाने के लिए तीन चार प्रस्ताव एक साथ रख देते हैं और उनमें से कोई पहला या दूसरा आ गया तो उसकी जगह पीछे वाले को पहले लाने की कोशिश करते हैं, इसलिये....

श्री अध्यक्ष—Not very clear to me. The Hon'ble Member is not clearly audible and understandable.

श्री कानसिंह—मेरी अर्ज यह है कि...

श्री जवानसिंह—He cannot speak clearly.

श्री अध्यक्ष—One Member at a time.

श्री कानसिंह—मेरी यह अर्ज है कि कोई सदस्य ५-७ प्रस्ताव पेश कर देते हैं और फिर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। उनमें से कोई भी पहले आ जाय तो उसकी जगह दूसरा ले लिया जाय, ऐसी प्रार्थना करते हैं; जैसा कि चांदमलजी ने कहा। इस तरह से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, श्री चांदमलजी का निवेदन बिल्कुल सीधा सा है कि नं० १ को छोड़ दिया जाय और उसके स्थान पर नं० ६ को ले लिया जाय। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि यदि वे बोलना चाहें तो नं० १ पर ही बोलें। उसके बाद प्रस्ताव नं० २ आयगा और उसके बाद क्रमशः ३ व ४, आयेंगे। यदि वे नं० ६ को नं० १ के स्थान पर लाना चाहें तो नहीं ला सकते।

श्री अध्यक्ष—इन रिजोल्युशन्स का बैलट होता है। जो पहले आ जाता है उसको प्रॉयोरिटी दी जाती है और दूसरे नम्बर पर जो आते हैं उनको सेकंड प्रॉयोरिटी दी जाती है। मैं नहीं समझता कि मुझे अधिकार है कि जिसको प्रायोरिटी मिल गई है, उसको न देकर जो रिज्योल्युशन नं० ६ पर आया है उसको पहले प्रस्तुत करने की इजाजत दे दूं। फिर जैसी हाउस की राय हो वैसा करें।

कुछ माननीय सदस्य—No, Sir.

Page No.19

श्री अध्यक्ष—या तो श्री चांदमलजी अपना प्रस्ताव रखें और यदि नहीं रखना चाहते तो जिसको दूसरे नम्बर पर प्रॉयोरिटी मिली है, वह प्रस्ताव लिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—मैं प्रथम संकल्प को रखने की आवश्यकता नहीं मानता क्योंकि राजस्थान सरकार ने छुट्टियें घोषित कर दी हैं।

(श्री जगतसिंह झाला, के अनुपस्थित होने से उनका प्रस्ताव नहीं लिया गया)

श्री अध्यक्ष—That will come to same thing.

उदयपुर की जावर माइन्स के जस्तखाने के लिए कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी संकल्प

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान दूसरी बातों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन खनिज पदार्थों में राजस्थान बहुत धनी है। उदयपुर डिविजन में खास तौर से और जोधपुर डिविजन में बहुत अमूल्य खानें हैं, लेकिन उनका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारे राजस्थान में न तो कच्चे खनिज पदार्थों को साफ करने का कारखाना है न दूसरे वैज्ञानिक साधन हैं, इसलिये ज्यादातर माल कच्ची हालत में बाहर भेजा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बहुमूल्य खाने जस्त और शीशे की उदयपुर में, जावर माइन्स के नाम से हैं। इनमें प्राचीन युग से जस्त और शीशा निकाला जा रहा है। लगभग १५ वर्ष पहले एक कंपनी को इसका लीज दिया गया है, लेकिन वह कंपनी 'ओर' के रूप में हजारों टन जस्त और शीशा निकालती है और उसको साफ करने की व्यवस्था यहां नही होने से 'ओर' के रूप में ही यह खनिज पदार्थ बाहर जाता है और जो फायदा इससे मजदूरी के रूप में या धन की बृद्धि के रूप में यहां हो सकता था वह राजस्थान की जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी भारत सरकार द्वारा श्री गांधी की चेयरमेनशिप में एक कमेटी नियुक्त की गई थी, जिसने यह जानने की कोशिश की कि राजस्थान और अन्य जगह जिन्क का फील्ड बनाया जा सकता है या नहीं। उस कमेटी ने काफी प्रयत्न किया और वह इस नतीजे पर पहुँची कि राजस्थान में काफी मात्रा में जिंक 'ओर' मिल सकता है, इसलिये वहां फौरन कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा खास मकसद प्रस्ताव लाने का यह है कि राजस्थान के अलावा एक-दो प्रान्त और हैं जहां ये चीजें कुछ मात्रा में मिलती हैं। यदि हम सतर्क नहीं रहे और जोर नहीं लगाया तो मुमकिन है कि जो लाभ हजारों लोगों को इससे मिलने वाला है वह अपने लोगों को न मिलकर दूसरे लोगों को मिलेगा और जो प्रान्त दूसरे माने में पहले से ही बहुत आगे है वे इसका पूरा पूरा फायदा उठावेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि माइनिंग उद्योग के लिये सबसे अधिक आवश्यक चीजें ये हैं कि वहां पर प्राकृतिक माइन्स मौजूद हैं या नहीं, निकालने के लिये श्रमिक हैं या नहीं और तीसरी चीज यह है कि पॉवर है या नहीं, आवागमन के साधन हैं या नहीं। इन चीजों की ओर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि जावर माइन्स से १० हजार टन वार्षिक ओर निकाला जाता है। यह ओर जिन्क मेल्टिंग प्लान्ट के

५६६२ उदयपुर की जावर माइन्स के जस्त खाने के लिये कारखाने की स्थापना सम्बन्धी संकल्प

[श्री सोहनलाल भटनागर]

लिये पर्याप्त है और भी कोशिश की जाय तो डूंगरपुर तक यह खान चली गई है और काफी मात्रा में यह मिल सकता है। तो अगर यह कारखाना खोला जाय तो १० हजार टन जिंक प्रतिवर्ष नकलेगा और ५ हजार टन शीशा हर साल निकलेगा और ६० हजार औंस चांदी प्रतिवर्ष निकल सकेगी। इस कारखाने को खोलने और चालू करने के लिये खास बात पॉवर की आती है। उसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे राजस्थान में चम्बल प्रोजेक्ट की योजना मंजूर हो कर अमल में लाई जा रही है। उससे १५० मील की दूरी तक के एरिया में पॉवर पहुँचाई जा सकेगी और जावर वहां से १२५ माइल पड़ता है। चम्बल की इतने बड़े पॉवर की शक्ति इस कारखाने को चलाने के काम में आ सकती है। दूसरी बात जिसको कि इस कारखाने को चालू करने के लिये बहुत आवश्यक है वह रेल्वे लाइन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बन रही है, इसके लिये भी सर्वे हो चुकी है; उदयपुर से हिम्मतनगर जाने वाली रेल्वे लाइन है वह जावर माइन्स होकर जायेगी। तो इसके लिये रेल्वे लाइन की जो आवश्यकता रहती है वह भी पूरी हो जायगी।

इसके बाद उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले २५ लाख भील हैं वे अर्धनग्न और अर्ध-भूखी अवस्था में रहते हैं, जिनके पास जीविकोपार्जन के लिये सिवा बहुत छोटे छोटे खेतों के और कुछ नहीं है। उन लोगों को, अगर यह कारखाना खोला गया तो, मजदूरी मिलेगी। १० हजार मजदूर शिक्षित व अशिक्षित वहां पर काम पर लग सकेंगे। इसके साथ-साथ इस बाई प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड भी राजस्थान को इस कारखाने से प्राप्त होगा। अमोनियम सल्फेट है वह हमारे यहां प्राप्त हो सकेगा। चम्बल और भाखरा से सींची जाने वाली नई भूमि के लिये फर्टी-लाइजर के काम में आ सकेगा। किसी तरह केस देखा जाय। चाहे हमारे उस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से देखा जाय, चाहे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने की दृष्टि से देखा जाय, चाहे बेकारी को दूर करने की दृष्टि से देखा जाय; हर निगाह से देखा जाय, हमारे यहां अगर यह कारखाना खुल गया तो यह हमारे राजस्थान की ही नहीं बल्कि हमारे हिन्दुस्तान की तरक्की का साधन होगा। पंचवर्षीय योजना में कृषि की ओर ध्यान दिया गया था। यदि कृषि पर लगी हुई अधिक जनता को दूसरे धंधों की ओर न लगाया गया तो हमारी जो इकोनोमिक कन्डीशन्स हैं उनमें कोई अन्तर नहीं आयेगा और हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा और हमारा धन नहीं बढ़ेगा। मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि हर दृष्टिकोण से जावर माइन्स जो है, वह जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट के लिये बहुत ही उचित स्थान है। यदि हमने या हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बिहार और दूसरे प्रान्त जो कि पहले से ही काफी उद्योगों के मामले में बढ़े हुए हैं, वह कारखाना खुल सकता है। हमारा राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और बिजली, रेल्वे लाइन और मजदूरी आदि की दृष्टि से हमारे यहां सभी साधन मौजूद हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार से तो यह होगा ही; सदन से भी यह प्रस्ताव पास कर दिया जाय तो कोई एतराज नहीं होगा।

श्री जसवन्त सिंह—अभी अभी माननीय सोहनलालजी ने एक बहुत सुन्दर प्रस्ताब सदन के सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि सदन इस प्रस्ताव को पास करे, सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। मैं उनके साथ पूरे दिल से इत्तफाक करता हूं। अगर राजस्थान सरकार के काबू में ऐसा करना हो सके तो यह सर्व श्रेष्ठ बात है।

अच्छा होता अगर वह यह बताते कि इस प्रकार का जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट राजस्थान सरकार लगा सकती है या नहीं। मैं मेरे अनुभवों से कह सकता हूं कि आज के दिन तो केन्द्रीय सरकार भी इस स्थिति में नहीं है कि जिंक स्मेल्टिंग का प्लान्ट हिन्दुस्तान में वह लगा सके और वे यह आशा करें कि हमारी राजस्थान सरकार, जिसको हमारी राजस्थान की जनता भली-भांति जानती है कि उद्योगों के मामले में राजस्थान सरकार कहां तक तरक्की कर सकी है और क्या चेष्टा वह आज कर रही है, तो यह नाइन्थ वन्डर हिन्दुस्तान का होगा कि हमारी राजस्थान सरकार जावर माइन्स में जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट लगा सकेगी। अगर लगा सके तो बहुत सुन्दर बात होगी और यह हम सब विधान सभा के सदस्यों के लिये ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये बड़े ही गर्व की बात होगी। लाखों आदमियों को उद्योग मिलेगा, काम मिलेगा। आज के दिन यह स्थिति है कि हमारे जावर माइन्स का जिंक मेल्ट होने के लिये ७ समन्दर पार जाता है, स्वीडन तक यूरोप में जाता है, स्मेल्टिंग कराने के लिये और जहां तक मैं मेरी यादुदाश्त से भूल नहीं करता ५० परसेंट स्मेल्टिंग करने बाद वह देश ले लेता है और ५० पर्सेन्ट हिन्दुस्तान को देता है।

मैं भी जावर माइन्स का डाइरेक्टर था और जब राजस्थान सरकार में मिनिस्टर के रूप में मुकर्रर हुआ तो मुझे वहां से रिज़ाइन करना पड़ा। तो उस वक्त भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में काफी बात-चीत हुई कि ७ समन्दर पार स्वीडन में जावर माइन्स का जिंक स्मेल्टिंग के लिये जाता है और ५० पर्सेंट स्वीडन गवर्नमेंट लेती थी और ५० पर्सेंट हिन्दुस्तान सरकार को देती थी। अब जापान फिर तरक्की पर आ गया। हमारे राजस्थान के उद्योग मंत्री ही सही तौर पर बता सकते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि इस जिंक को जापान भेजा जाता है और जापान द्वारा यह स्मेल्ट हो कर ५० पर्सेंट हिन्दुस्तान को आता है और ५० पर्सेंट जिंक जापान सरकार रखती है।

यदि हम निकट भविष्य में ख्याल करें कि हमारी राजस्थान सरकार इतने बड़े उद्योग के कार्य को करने को तैयार है तो यह नाइन्थ वन्डर होगा और बड़ी खुशी की बात होगी। तो ऐसी सूरत में मैं तो यहीं तक संतुष्ट रहूंगा कि हम केन्द्रीय सरकार को रिकमेन्ड करें कि जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट के लिये हिन्दुस्तान में जो सबसे उचित स्थान हो वहां जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट खोला जाय। तो इससे राजस्थान को बहुत फायदा मिल सकता है और हिंन्दुस्तान को भी फायदा होगा। अगर हम एक्सपर्ट्स के द्वारा इसकी जांच कराये बगैर ही यह प्रस्ताव पास करें कि जावर माइन्स में ही जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट लगाया जाय तो यहां इस प्रस्ताव के साथ मेरी सहानुभूति है, पर यह प्रेक्टिकल नहीं होगा कि हम किसी इम्प्रेक्टीकेबल बात के लिये, असंभव बात के लिये, भारत सरकार के सामने

[श्री जसवन्तसिंह]

प्रस्ताव रखें । हां, जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट को हिन्दुस्तान में सबसे उचित स्थान पर खोलने के लिये हमें जरूर रिकमन्ड करना चाहिये , इससे जो ५० परसेंट जिंक आज महज स्मेल्टिंग के लिये ही जापान ले लेता है वह हिन्दुस्तान में रह जायगा । इसी से हिन्दुस्तान को फायदा होगा ।

जावर माइन्स में ही जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट को लगाया जाय, यह एक्सपर्ट्स ही जान सकते हैं । जावर माइन्स को रेल्वे से कनेक्ट कर दिया जाय और जावर माइन्स को चम्बल प्रोजेक्ट के पावर से कनेक्ट कर दिया जाय, यह तो कोई बात नहीं बनेगी । यह बात तो असंभव सी हो जावेगी, क्योंकि जिन्क को मेल्ट करना हाइली टेक्निकल है और इसके लिए टेक्निशीयन्स की कमी है । हिन्दुस्तान के विशेषज्ञ इसके काबिल है या नहीं, मगर मैं यह कहूंगा कि इसके लिए उनको जर्मनी और जापान में भेजा जाता है । तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जिन्होंने यह प्रस्ताव लाकर सरकार को तवज्जा दिलाने के लिये यह प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही सुन्दर है मैं तो यह कहूंगा कि अगर राजस्थान सरकार जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट राजस्थान में लगा सके तो राजस्थान रुपयों से भर जावे और कोई बेकारी का प्रश्न न रहे, वह हल हो जावे,लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह एक कल्पना मात्र होगा, यह एक स्वप्न रहेगा । इसको प्रक्टिकल रूप देना बहुत मुश्किल हैं । हम कभी सफल नहीं हो सकते । अगर प्रेक्टिकल रूप में यह प्रस्ताव रहे तो यह रहे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट भारतवर्ष में कहीं एक जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट कायम करे । यह नहीं रखा जावे कि जवाहर माइन्स में रखा जावे । यह एक बहुत बड़ा काम है । इसमें करोड़ों रुपये लगेंगे । राजस्थान सरकार छोटी २ चीजों को करने के लायक नहीं है तो यह तो स्मेल्टिंग प्लान्ट तो बहुत बडी चीज़ है जिसको हिन्दुस्तान के विशेषज्ञ नहीं कर सकते । उसके लिए युरोप और वेस्टर्न कन्ट्रीज़ से विशेषज्ञ बुलाने पड़ेंगे, करोड़ों रुपया खर्च होगा । मैं तो यह कहूंगा कि चाहे सेकिन्ड पंच वर्षीय योजना हो, चाहे तीसरी पंच वर्षीय योजना हो लेकिन यह कहूंगा कि यह असंभव और इम्प्रेक्टीकेवल समस्या है । यह प्रस्ताव बहुत सुन्दर है और बहुत जरूरी है, लेकिन हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिकमन्ड करना चाहिये कि हिन्दुस्तान में जहां सबसे अधिक सुविधा इसके लिए मिल सके वहां पर इस प्रकार का प्लान्ट लगावे । जहां टेक्निकल सामान, जैसे कोल्स व दूसरी चीजें जो जावर माइन्स के पास नहीं मिल सकती हों, मिल सके वहां पर जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट रखा जावे ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव श्री सोहनलालजी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष, उद्योग की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है । भारत सरकार ने कई प्रोविन्सेज़ में अलग अलग कारखाने बनाने की योजनाएं बनाई हैं और उसमें भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ी तादाद में रुपया लगाया गया है । कहीं, संदरी, कहीं निरंजन का कारखाना और कहीं दूसरे कारखाने बनाए । राजस्थान में कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई दिलचस्पी ली हो या राजस्थान सरकार में बहुत प्रयास करके बनाने की बात आई हो और भारत सरकार को बनाने के लिए कहा हो । जो

[श्री चांदमल मेहता]

प्रस्ताव श्री सोहनलालजी ने रखा है उस पर बोलते हुए विरोधी दल के नेता ने कहा कि राजस्थान सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह राजस्थान में zinc melting plant लगा सके, यदि माननीय विरोधी दल के नेता इस प्रस्ताव को देखते तो उनको मालूम होता कि राजस्थान सरकार से फाइनेन्स करने या रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत सरकार से प्रार्थना की जावे कि जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट लगावे। रुपया राजस्थान सरकार से लेने की बात नहीं बल्कि भारत सरकार से निवेदन करने की बात है।

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है कि जावर माइन्स पर ही क्यों बनाया जावे ? मैं यह कहूँगा कि जहां हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में बहुत कारखाने हैं और यहां पर नहीं है तो यह आवश्यक हो जाता है कि यहां पर भी कारखाने खोले जावें, क्योंकि राजस्थान बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारी मांग भी ज्यादा होनी चाहिए और चूंकि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में इस प्रकार का प्लान्ट नहीं है तो इसकी स्थिति को देखते हुए व राजस्थान के उद्योग में पिछड़े हुए होने की स्थिति को देखते हुए यहां पर खोलना चाहिये। अब रहा सवाल यह कि जहां तक हो जावर माइन्स में ही लगावें। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि उदयपुर ही सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों में धनी है, इसलिए यहीं यह प्लान्ट लगाना ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। मैं इन शब्दों के साथ सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि श्री सोहनलालजी ने जो संकल्प रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव माननीय सोहनलालजी ने रखा है वह इस बारे में है कि उदयपुर में जहां जावर माइन्स हैं जहां जिन्क निकलता है, उसको हम हमारे मुल्क में टांक कर सकें। ऐसा कारखाना हमारे मुल्क में होना चाहिये और इसके लिये उन्होंने यह मांग की है कि यदि सदन के सभी सदस्य मिल कर इस प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार को यहां कारखाना खोलने के लिए सिफारिश करें तो इन जावर माइन्स के पास करें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। परन्तु इस प्रस्ताव को इस सदन में रखने का मतलब यह है कि हमारी राजस्थान सरकार जो कि आने वाली पंच वर्षीय योजना हमारे यहां बना रही है उसमें खास तौर से हमारी भारत सरकार से यह निवेदन करे और ध्यान दिलावे कि आयन्दा आने वाली पंच वर्षीय योजना में हमारे देश में इन्डस्ट्री किस तरह से बढ़े और कौन-कौनसी इन्डस्ट्री कहां-कहां कायम हो इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जावे। इस तरह की बात और इस तरह की चर्चाएं, अभी से सेन्ट्रल गवर्नमेंट में आनेवाले पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में, सूबों की सरकारों से करनी शुरू करदी हैं। कई सूबों की सरकारों ने अलग अलग जैसी अपनी क्लेम है कि किस तरह के कारखाने वहां बन सकते हैं। किस चीज का आउट टर्न ज्यादा हो सकता है। कारखानों के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, इस सम्बन्ध में कई सूबों में सेन्टर गवर्नमेंट के बीच बात,चीत चल रही है। सी. पी. में जहां पर आइरन और ज्यादा निकलता है वहां पर लोहे का मोटा कारखाना खोलने के लिये बात चीत चल रही है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जहां तक मुझे जानकारी मिली है हमारे मुल्क में जिन्क काफी तादाद में उड़िसा में निकलता है और हमारे यहां निकलता है और हमारे यहां जावर माइन्स में काफी तादाद में निकलता है। यह अपना केस बनाने के लिये और भी ज्यादा अच्छा है और इस बात की पुष्टि करता है और मजबूत रखता है। इसलिये हमें अभी से जानकारी करनी चाहिये कि कितना और हमारे यहां निकलता है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में कारखाने के लिये किन किन चीजों की जरूरत है। यह सब जानकारी सरकार अभी से करें और इस प्लान्ट को लगाने के लिये एम्फेसाइज करें और लगवाने की कोशिश करें कि जिस तादाद में रॉमेटीरियल हमारे यहां मिल सकता है, दूसरी जगह नहीं मिल सकता। इस तरह हम अपने केस को मजबूत कर सकते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास रखें। तो जिस तरह से संदरी का कारखाना बना है वह इतना फर्टलाइज्ड है कि दुनिया भर में उसके मुकाबले का कारखाना नहीं है। तो इसी तरह के कारखाने बनाने की योजना हमारी रियासतों में चल रही है और आगे आने वाली पंच वर्षीय योजना में उनको रखा जावेगा। प्रस्ताव यह कहता है कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इसके लिये सिफारिश करें। माननीय विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि उनको सरकार की योग्यता में बहुत कम विश्वास है। मेरे ख्याल से उनका ख्याल गलत था क्योंकि राजस्थान सरकार ऐसा कारखाना नहीं लगाने जा रही है। इसलिये उन्होंने जो बातें कहीं वे इस प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है वह इस मामले को देखते हुए कि दूसरे सूबों में जहां कहीं रॉ मेटीरियल प्राप्त है, उसके मुकाबले हमारे सूबे का रॉ मेटीरियल ज्यादा निकल सकता है। इसके आंकड़े टेक्निकल आदमियों के जरिये स्टेटेस्टिक्स तैयार करा सकती है। आंकड़े तैयार हो जाने के बाद राजस्थान सरकार को बहुत मजबूती के साथ भारत सरकार के सामने रखना चाहिये और जब कभी जिंक स्मेल्टिंग का कारखाना हमारे इलाके में लगाने की बात चले तो राजस्थान सरकार का जो क्लेम है, वह राजस्थान सरकार भारत सरकार के समक्ष रखे, जिससे सारी बातों का, सारे आंकड़ों का विचार करते समय केन्द्रीय सरकार निर्णय करे। इसलिये हमारी राजस्थान सरकार का केस डिफॉल्ट में न जा सके, इसलिए पहले से ही सारे तथ्य वह केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखे और यही इस प्रस्ताव की मंशा है जो कि बिल्कुल ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री सन्तोषसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Does it need much debate ?

(श्री जसवन्तसिंह से)

You oppose it. आपने विरोध नहीं किया है इसका ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—No, Sir, certainly not. They have not understood it. That is all I can say.

श्री अध्यक्ष—I think such resolutions should go unanimously after a little discussion.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, सदन के सदस्य श्री सोहनलालजी भटनागर ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के अन्दर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, प्रस्ताव में बताया गया है कि सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह रिकमन्डेशन की जाय कि हमारे यहां जिन्क स्मेल्टिंग प्लान्ट कायम किया जाय। इसके लिए मैं आपके जरीये सरकार से पुर जोर यह कहूंगा कि पुरजोर इसके लिए सिफारिश करे कि जिन्क स्मेल्टिंग प्लांट यहां लगाया जाय, न सिर्फ इस वजह से कि राजस्थान सरकार को फायदा हो सकता है किन्तु सिफारिश यह की जाय कि अगर यह प्लान्ट दूसरी जगह बनाया गया तो राजस्थान को विशेष फायदा नहीं होगा। इसका उदाहरण मैं यह देता हूं कि सिंदरी फैक्टरी बनी है कलकत्ते के आसपास और उसके लिए रॉ मैटिरियल बाड़मेर से जाता है। हजारों स्पेशल ट्रेन्स हमारे यहां से जाती हैं। इससे राजस्थान सरकार को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अगर वही सिन्द्री फेक्टरी राजस्थान में बनती तो राजस्थान को भी विशेष फायदा होता। इसी तरह अगर यह प्लान्ट बाहर कहीं राजस्थान से बनाने की तजवीज की जायगी तो इससे राजस्थान को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मारफत इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे, कि यह कारखाना हमारे राजस्थान में ही खोला जाय। इससे पिछड़े हुए लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, उनको विशेष फायदा पहुंचेगा। हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार कहे कि रॉ मेटिरियल के अलावा कोई दूसरी सुविधायें नहीं है। तो इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं हो सकती है। वह हर एक सुविधाओं को जुटा सकती है और उन सुविधाओं को जुटाने में दूसरे बेकारों की भी समस्या हल होगी। इसलिए मैं प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे कि यह कारखाना राजस्थान में ही स्थापित किया जाय। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे करीब करीब सदन का एक मत मालूम होता है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जब विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे थे तो मैं राजप्रमुख के पास किसी काम से चला गया था, इसलिए मैं उनके भाषण से महरूम रहा। मैंने सुना है कि उनका भाषण प्रस्ताव के विरोध में नहीं था किन्तु राजस्थान सरकार की कमजोरियां, जैसा कि वे प्रायः दिखाते रहते हैं शायद दिखाई होगीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह बात नहीं थी।

श्री जयनारायण व्यास—और भी धन्यवाद है।

श्री अध्यक्ष—Impractial nature of the locality...

५६६-- उदयपुर की जावर माइन्स के जस्तखाने के कारखाने के लिये स्थापना करने सम्बन्धी संकल्प

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यदि मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार दें तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बता दूं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं थोड़ा सा सदन की जानकारी के लिए लोकेलिटी और माइन्स के बारे में कुछ शब्द कहना पसन्द करूंगा। यह जावर माइन्स उदयपुर से दक्षिण पूर्व की तरफ एक स्थान है जो कोई पच्चीस मील की दूरी पर है, वहां यह जावर माइन्स बसी हुई है और एक तरह से माइनर्स कोलोनी बन गई है। यह खान अभी नहीं बनी है बल्कि लाखा के वक्त सन् १३८२ और १३६७ के बीच में उन माइन्स का काम शुरू हुआ था। इन खानों से जो आमदनी होती है, वह रचनात्मक कामों में राणा लाखा और उनके वंशज जो लगते थे और उन रचनात्मक कामों में महल बनाना भी था, डेम बनाना भी था, बन्ध बनाना भी था और मंदिर बनाना भी था, वह इस काम में लगता था। कहने को तो यह भी कहा गया है कि महाभारत काल में भी ये खानें थीं जहां से चांदी, लोहा, जस्ता निकाला जाता था और कुछ अलामात ऐसे मिले थे। हो सकता है कि उस वक्त ये होंगीं। लेकिन राणा लाखा के वक्त में ये खानें चालू थीं उनसे काम लिया जाता था, यह ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं सन् १८१२ व १८१३ तक ये खानें चालू थीं और उसके बाद कुछ वक्त ऐसा था कि इधर अंग्रेजों का जोर था और राजाओं के आपस में खींचा-तानी भी थी और एक अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच की स्थिति थी और जब कि अंग्रेज संधि करने के लिये आतुर हो रहे थे राजाओं से, उस वक्त इन खानों का काम-काज बन्द हुआ। उसके बाद जब महायुद्ध हुआ तो उस महायुद्ध के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के सर्वे डिपार्टमेंट, सर्वे आफ इण्डिया की एक युटिलाइजेशन ब्रान्च बनी और १२ लाख रूपया इन खानों की जांच पड़ताल के लिए लगाया गया, चूंकि यह काम की चीज हो सकती है। उन दिनों युद्ध के काल में दो पैसा भी अधिक लग जाय तो कोई परवाह नहीं करते थे। इन खानों से लोहा जिंक निकाला गया। यह सन् १६४५ तक काम चलता रहा और उसके बाद रूपये की कीमत में फर्क आ गया। पहले रूपया ज्यादा देकर लोहा निकालते थे किन्तु उसके बाद इस पर सोच विचार हुआ और ये माइन्स बन्द हो गईं। सन् १६५० में ये खानें वापिस दी गई एक कम्पनी को जिसका नाम मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया है और उसमें बंगाली इन्जीनियर्स हैं। इसमें बंगालियों का ज्यादातर बहुमत रहा है और पूंजी भी काफी बंगाल वालों की ही लगी है। वे इस काम में एक्सपर्ट हैं, मामूली हैं या बहुत एक्सपर्ट हैं, नहीं कह सकता हूं, उन्होंने जिन्क और लोहा निकाला।

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि लोहा अगर वे फरमायेंगे तो गलत बात होगी। लैड एन्ड जिन्क निकलता है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं लोहा और शीशा दोनों कह दूंगा, घबराने की बात नहीं है। लोहा और जीन्क दोनों हैं मैं दोनों पार्टस को बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member from Bikaner claims to be one of the Directors of that company.

उदयपुर की जावर माइन्स के जस्तखाने के लिये कारखाने की स्थापना सम्बन्धी संकल्प ५६६६

श्री जयनारायण व्यास—में कॉम्पोनेन्ट पार्टस बता दूंगा। हां, इसमें कोई शक नहीं है इसमें चांदी भी है एक्स डाइरेक्टर साहब। लोहा है, जिन्क है, शीशा है, जिन्क ज्यादा है, लोहा ज्यादा है तो निकल जाता है किन्तु उसका उपयोग नहीं होता है। लोहा ज्यादा है और मैं खास तौर पर ज्यादा जोर दूंगा कि हम लोहे से काम लेना चाहते हैं और काम लेंगे।

हमारे पास दूसरी जगह लोहा भी है। हम उससे भी काम लेना चाहते हैं। उसमें लैंड कन्सेन्ट्रेट भी है और जिंक कन्सेन्ट्रेट भी है। लेड कन्सेन्ट्रेट में ८ से १२ पर्सेन्ट तक ज़िंक मिलता है। लैंड कन्सेन्ट्रेट हो तो ७१। ५ लैंड मिलता दे औ ४ पोइंट ७ जिंक मिलता है। अगर जिंक कन्सेन्ट्रेट हो तो ४८। ६ जिंक मिलता है और थ्री पोइन्ट वन लेड मिलता है।

हिन्दुस्तान में कुल ३५ हजार टन जिंक की जरूरत है। हमारे यहां सन् ५० में १३५७ टन, और सन् ५१ में १४९९९ टन और सन् ५२ में २८१७० टन जिक पैदा हुआ। इस तरह से फीगर्स को देखते हुए हम करीब २५ से ३० हजार तक के बीच पैदा कर लेते हैं। हिन्दुस्ता न में जो जस्त का केपिटा है, उसमें हमारे प्रान्त का बहुत बड़ा भाग है। इस तरह से हम काफी मात्रा में जस्त पैदा कर लेते हैं। ऐसी हालत में एक जगह तो जिंक मिल रहा है और उस दूसरी जगह ले जाकर गालें और उसको तीसरी जगह ले जाकर उसकी चीजें बनाई जायं, यह आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि मुझे मालूम हुआ इस जावर के क्षेत्र को ठीक तरह से नहीं समझा जाता। इक तो यह आउट ऑफ वे प्लेस है। वहां पर पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन जहां जहां जिंक मिलता है वहां वहां एक बार तो साधन होते ही नहीं है, फिर बाद में उसको प्रोस्पेक्ट किया जाता है। जैसे हम जैसलमेर इलाके में पेट्रोलियम या गूंगा के आस पास लिगनाइट का प्रोस्पेक्ट करेंगे। अगर वहां यह माल मिल गया तो यह नहीं हो सकता कि उस क्षेत्र को हम वैसा ही रहने देंगे। इसलिए जहां कुछ माल मिलता है वहां पर कम्युनिकेशन आदि देना पड़ता है, वहां बिजली भी देनी पड़ती है। जहां कुछ माल मिलेगा वहां पर 'कारखाना बनाकर उस माल को काम में लेना होगा। जितने भी हम डेवलप्ड एरियाज़ देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ माल मिलता है जिंक मिला है, तथा और भी चीजें मिली हैं।

बिजली की बात कही जाती है। यह कहां से आयगी? स्मेल्टर लगाना है तो बिजली की मुश्किल मालूम होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से यह कहना चाहता हूं कि चम्बल से जो बिजली की लाइन आयेगी उसके लिये गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान ने इस बात पर जोर दिया है कि पहली लाइन जिंक के उस क्षेत्र की तरफ खींची जाय ताकि वहां पर अच्छे ढंग से काम किया जा सके। आया जो तजवीज पहली लाइन खींचने की दूसरी तरफ थी, उस तजवीज को बदल कर पहले इस तरफ लाइन लाने की सफारिश की है; ताकि वहां बिजली से फायदा उठा सकें।

दूसरी जो दिक्कत है वह रास्ते की है। वैसे एक सड़क जाती है, उसमें वगैर टर्न लिये हम जावर तक पहुँच सकते हैं किन्तु इस सड़क से काम नहीं चल सकता। इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। वैसे भी राजस्थान के विकास के लिये राजस्थान को दुनियां के दूसरे हिस्से से खास तौर

१७८० उदयपुर की जावर माइन्स के जस्तखाने के लिये कारखाने की स्थापना सम्बन्धी संकल्प

[श्री जयनारायण व्यास]

से भारत के दूसरे प्रान्तों से जोड़ना जरूरी है। अहमदाबाद से मेवाड़ को जोड़ना है तो हम मारवाड़ जंकशन होकर अहमदाबाद न जाकर जावर की तरफ होकर सीधे अहमदाबाद पहुँच सकते हैं। इस तरफ रेलवे लाइन चालू करने की तजवीज़ चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री को लिखा है और इस संबन्ध में बात-चीत भी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिजली की जो अव्यवस्था है उसके हल करने में हमारा हाथ ज्यादा है और उम्मीद है कि वह बहुत जल्दी हल हो जायगी; वैसे ही इस रेलवे की समस्या का भी हल हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कुं० श्री जसवन्तसिंहजी से कह देना चाहता हूँ कि यह सब बातें भारत सरकार के एक्टिव कन्सीडरेशन में हैं। रेलवे लाइन वगैरह ले जाने की। जहां कॉम्युनिकेशन और बिजली की कमी दूर हो जायगी उसके बाद वहां किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेगी। अभी वहां की जो आबादी है वह ज्यादातर भीलों की आबादी है। उस आबादी में कहतसाली और गरीबी काफी है। वैसे मैं भीलों की दृष्टि से नहीं कहता। जब ये साधन वहां हो जायेंगे तो भीलों को भी इस ओर रूचि होगी। रास्ता ठीक होजाने से बड़ी बड़ी सम्पत्ति जो हमारी धरती माता के अन्दर समायी हुई है, उस सम्पत्ति को वहां से निकालकर हम उससे अपने प्रान्त और अपने राष्ट्र की समृद्धि को बढायेंगे। उसको सड़क के जरिये उदयपुर ले जा सकते हैं और वहां से वह चीज़ दूसरी जगह ले जाकर उससे चीजें बनायेंगे किन्तु वह बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। जहां स्मेलटर द्वारा ये चीजें गलेंगी वहां पर जो उसका फालतू सामान होगा उसका ढेर इतना हो जायगा जितना कि रेगिस्तान में रेत के टीबे हैं। इसलिये तत्व के साथ तत्व के मिलने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।

यहां पर जावर माइन्स के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसको मन्जूर करने में मुझे कोई बाधा मालूम नहीं पड़ती। हमने भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की है और मैं सदन को सूचित करता हूं कि इसको दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो स्मेल्टर काम है उसको लेने के लिये भारत सरकार तैयार हो गई है और इसको ले लिया जायगा। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में इसको लेने से हमारे यहां के लाखों लोगों को इससे रोजी-रोटी मिलेगी और हमारी आर्थिक समस्या जो है वह भी कुछ हद तक हल हो जायगी। इसमें किसी प्रकार का शक-शुबाह मालूम नहीं होता। इस संबन्ध में भारत सरकार के संबन्धित अधिकारी से बात-चीत चली है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनको अपने पोइन्ट को समझा पाये हैं तथा और भी समझा सकेंगे। यह जो कम्पनी है, जिसके विरोधी दल के नेता किसी समय डाइरेक्टर रहे बताये जाते हैं, इस की हैसियत बहुत नहीं है। यह लाखों की कम्पनी है फिर भी यह किसी तरह चल नहीं सकी। इसको तीस लाख रूपये इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन से उधार मिले हैं। इसके बवाजूद भी यह कम्पनी अपना काम पूरा नहीं कर सकी। जावर माइन्स को पूरी तरह एक्सप्लोइट करने के लिये हमें और रकम डालनी पड़ेगी। कोरपोरेशन बनाकर डालें। इसमें लाखों रुपये से काम नहीं चलेगा, करोडों रुपयों से काम चलेगा। रेलवे लाइन भी निकलेगी, यह भी उम्मीद है। रेलवे लाइन के पहुँचने के बाद भी वहां पर वैगन लगाकर सामान को इधर-उधर ले जाने की जरूरत रहेगी। यह काम करोडों रुपये के खर्च के बाद ही पूरा हो सकता है।

[श्री जयनारायण व्यास]

भारत सरकार को भी रुपया लगाना पड़ेगा और कुछ हमको भी लगाना पड़ेगा। बिना रुपये के काम नहीं चल सकता। ऐसी हालत में स्मेल्टर के लिये थोड़ा सा रुपया और लगा दिया जाय तो अच्छा रहेगा। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार सदन की आवाज जो बिना मतभेद के है, उसे अवश्य सुनेगी और हमारे यहां स्मेल्टर लगाने का प्रबन्ध करेगी। जावर माइन्स के विकास के साथ साथ हमारी आर्थिक अवस्था भी सुधरेगी। मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को हाउस सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया, ऐसी घोषणा करता हूँ।

(करतल-ध्वनि)

श्री जगतसिंह झाला।

मद्य—निषेध कानून अविलम्ब बनाने सम्बन्धी संकल्प

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है: "इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में अविलम्ब कानून मद्य निषेध घोषित किया जावे।" यह मद्य-निषेध घोषित नहीं होने के कारण...

श्री अध्यक्ष—I think the Hon"ble Member was absent ?

एक माननीय सदस्य— He was, Sir.

श्री अध्यक्ष—He was absent on the last occasion when the first Resolution was called.

श्री जगतसिंह झाला—इस पर तो बोलने की इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष—Yes, go on.

श्री जगतसिंह झाला—इसके कारण हमारी राजस्थान की आर्थिक दशा बहुत गिरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर आर्थिक दशा को सुधारने के लिए और तो कई

[श्री जगतसिंह झाला]

प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं, पर उससे हालत सुधरती नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर कानून द्वारा मद्य-निषेध घोषित किया जावेगा तो हालत जल्दी सुधर जावेगी।

यहां पर दिन-रात महनत करने वाला मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और निम्न श्रेणी का कारीगर वर्ग ऐसा जो दिन रात कड़ी मेहनत करके, जो कमा कर लाते हैं, वह सारी अपनी पसीने की गाढ़ी कमाई इस मद्य पीने की आदत में खर्च कर देता है और फिर उनके बाल बच्चे और सारा परिवार गरीबी, दुख और भुखमरी के गड्ढे में गिरता है। इसके साथ साथ उनका नैतिक पतन भी इस हद तक बढ़ गया है कि व्यभिचार और बहुत से दुर्गुण तो ऐसे इस वर्ग में घर कर गये हैं कि मैं उनका यहां खुलासेवार वर्णन नहीं कर सकता। सदन के सामने उनका सारा ब्यौरा पेश करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान सरकार दूसरी प्रान्तीय सरकारों के माफिक; जैसे बम्बई, मद्रास आदि सरकारों ने अपने अपने प्रान्तों में मद्यनिषेध कर दिया है उसी तरह हमारे यहां पर भी मद्यनिषेध घोषित करके हमारे यहां के लोगों की आर्थिक हालत, नैतिक हालत और सामाजिक हालत सुधारने का प्रयत्न करे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने जो संकल्प सादड़ी से आये हुए महानुभाव ने रक्खा है, वह बड़ी ही जटिल समस्या है। देश के अन्दर इस समय दो प्रकार की विचार धाराएं होते हुए भी सब की सम्मति यह है कि देश में अविलम्ब मद्यनिषेध किया जावे। किन्तु जो दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, वे ये हैं :-

'कि कुछ लोगों का यह खयाल है कि इस काम को धीरे धीरे किया जावे और कुछ लोग यह चाहते हैं कि एक दम से किया जावे।'

मैं मानता हूं कि मद्यनिषेध कानूनन बन्द होना चाहिये, लेकिन जिस प्रकार से यह संकल्प रख कर मेरे मित्र मद्यनिषेध को बन्द करना चाहते हैं मैं इसका विरोध करता हूं।

(विरोधी पक्ष से 'हियर हियर' की आवाज)

मैं यह कहता हूं कि एक तरफ हम मद्य निषेध करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर आज घर घर भट्टियां निकल रही हैं। अगर हमारे एक्साइज़ विभाग के मन्त्री महोदय इतनी हिम्मत रखते हों तो राजस्थान के एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, एक हजार नहीं, बल्कि ७५ प्रतिशत गांवों में मेरे साथ वे चलें तो मैं उनको बता सकता हूं कि वहां खुले आम शराब निकलती है और बिक रही है। उनके देखने के बावजूद यह हालत है। अगर वे कानूनन मद्य निषेध करेंगे तो इसका नतीजा केवल यह होगा कि जो लोग अपने घरों में गैर कानूनी शराब निकालते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका मार्जिन ऑफ प्रोफिट जो आज तक रहा वह बढ़ेगा। इस समय

[श्री मानसिंह मह्वार]

अगर वे लोग दो रुपया की बोतल नाज़ायज़ शराब बेचते हैं तो कानूनन मद्य निषेध होने के बाद जिस प्रकार से बम्बई प्रान्त में दस दस और बारह बारह रुपये की एक एक बोतल बिक रही है उसी प्रकार से राजस्थान में भी बिकने लगेगी। तो जिस स्पिरिट को लेकर मेरे मित्र ने इस प्रस्ताव को रक्खा है, वह स्पिरिट केवल इस प्रस्ताव को पास कराने से या सरकारी भट्टियों को रोक देने से सफल नहीं हो सकेगी। मेरा इस प्रस्ताव का विरोध करने का मुख्य मतलब यही है कि सरकार को अगर वास्तविक रूप से मद्य निषेध करना है तो सरकारी दुकानों को सरकार उठावे इससे पहले सरकार, जो घर घर के अन्दर भट्टियां निकल रही हैं, उनको रोके, घर घर के अन्दर जो नाज़ायज़ शराब बिक रही है, उसको पहले रोके। अगर इस शराब को सरकार रोक देगी तो मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ६० पर्सेन्ट मद्य निषेध अपने आप हो जावेगा।

यह कह देना कि कानूनन बन्द कर दिया जावेगा तो इससे कोई नतीजा नहीं होने वाला है। यह इस सरकार के लिये, मैं मानता हूं कि, एक कलंक की बात है कि जो सरकार यह कहती है कि हम शराब खोरी को रोकना चाहते हैं वह सरकार कानूनन मद्य निषेध करने के अलावा गैर कानूनी तरीके से जो लोग इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं उनको रोकने में पहले गम्भीरता से काम ले। इससे ज्यादा कलंक की बात, मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार के लिये और कोई हो नहीं सकती।

दरअसल चीज यह है कि आज राजस्थान के अन्दर रियासतों के समय से गैर कानूनी तरीके से जो शराब निकल रही है। वह रियासतों के जमाने से २० गुनी ज्यादा आज निकल रही है इस बात को राजस्थान के प्रत्येक माननीय मन्त्री जानते है, उनके तमाम अधिकारी जो एक्साइज़ विभाग में काम करते हैं वे जानते हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह कि उन अधिकारियों की पूरी पूरी जानकारी में यह धन्धा चल रहा है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात राजस्थान के जो कस्टम और एक्साइज़ विभाग के मन्त्री महोदय हैं उनको भी अच्छी तरह मलूम है। यही नहीं उनके कस्टम और एक्साइज़ विभाग के सभी अधिकारियों और काम करने वालों को विदित है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी और कस्टम एवं एक्साइज़ विभाग के कर्मचारियों की ढ़िलाई को देखते हुए भी हमारी सरकार आज चुप्पी साधे बैठी है। वह सरकार, जिसको कि हमारे पूज्य गांधीजी यह चाहती थी कि (हंसी) पूज्य गांधीजी की आत्मा यह चाहती थी, कि हमारे देश में आज स्वराज्य के

(हियर-हियर)

बाद शराब की एक बूंद भी नहीं रहे, वहां आज शराब की नदियां बह रही है। (शेम शेम)

[श्री मानसिंह महार]

मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिये और कोई नहीं है और यह हमारी सरकार की ढ़िलाई का परिणाम है। सत्य को सत्य ही कहा जावेगा चाहे वह किसी प्रकार से हो।

तो आज राजस्थान के अन्दर जो घर घर में नाजायज शराब निकल रही है, मैं तो यह समझता हूं कि अगर उसको ही बन्द करने में सरकार अगर कामयाब हो जावेगी तो मैं यह कहूंगा कि हमारे मन्त्रीजी और यह सरकार मुबारकबाद की पात्र है। किन्तु जब तक इस प्रकार गांवों का मोरल डाउन किया जाता है गावों के दिलों में इस सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि जिस गांव के अन्दर जब भी जो चाहे नाजायज शराब निकाल लेता है और सरकार के कर्मचारियों को मालूम होते हुए उसको कोई रोक टोक नहीं करता है। मुझे तो यहां तक मालूम हैं कि कस्टम विभाग के दारोगा और पुलिस के अधिकारी वगैरह गांव में उस नाजायज शराब निकालने वाले के घर पर जाते हैं तो वे वहां नाजायज शराब की बोतलें मंगवा मंगवा कर पीते है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि हमारे अधिकारियों को इसकी मालूम नहीं है,जानकारी नहीं है, यह सरासर गलत चीज़ है।

सरकारी अधिकारी जिनका इसप्रकार के कामों में चालान वगैरह करने का काम है खुद इसमें साजिश रखते हैं और वे नाजायज शराब मंगवा मंगवा कर पीते हैं। तो इस परिस्थिति के अन्दर सरकार अगर मद्यनिषेध करती है तो सरकार की आमदनी का जो जरिया है वह तो खत्म हो जावेगा, किन्तु राजस्थान के अन्दर अगर इससे आपका यह विचार अगर हो, कि मद्य निषेध हो जावेगा तो मैं यही कहूंगा कि यह आपका विचार करना मात्र ही गलत है।

इसलिए मैं यह कहता हूं कि मेरे मित्र ने जो यह प्रस्ताव रक्खा है उसकी स्पिरिट निसदेह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है लेकिन हम इतना तो आगे बढ़ें कि हमारी सरकार का करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान हो, उससे पहले हमारी सरकार की अकर्मण्यता की वजह से घर घर में, गांव गांव में जो नाजायज शराब की भट्टियां चल रही हैं और जो बहुत बड़ी मात्रा में नाजायज शराब की बिक्री हो रही है, उसको भी अगर यह सरकार बिलकुल बन्द कर दे तो वह उसके लिए एक शान की बात होगी, यही सबसे बड़ी सफलता उसकी होगी।

(हियर; हियर)

मुझे इस बात का खास दुःख होता है क्यों कि मैं जागीरदार होते हुए भी, मुझे भट्टी निकालने की इजाजत जब थी तब भी मैंने कभी शराब नहीं निकाली थी (हिअर-हिअर) शराब का कड़ा विरोधी होते हुए भी अब मैं देखता हूं कि राजस्थान के गांव गांव में, यही नहीं बल्कि मेरे जागीर के गांवों में, अब मैं देखता हूं खुले आम भट्टियें निकाली जाती हैं।...

श्री भैरोसिंह—आपने सरकार को इस बात की सूचना दी या नहीं।

श्री मानसिंह महार—सरकार के अफसर खुद जाकर बोतलें मांग कर पीते हैं इससे बढ़कर सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब होते हुए भी मुझे दुःख होता है कि हमारी सरकार मद्य के विरोध में या इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। मैं यह मानता हूं कि इसमें सरकार की बदनीयतो नहीं है, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं और खास कर कस्टम विभाग के कर्मचारी हैं, वे इस प्रकार की चीजों में जरूर मिले हुए हैं। यदि सरकार की, शराबखोरी को रोकने की नीयत है तो उसको इसके लिए कानून बनाना चाहिये कि जो नाजायज़ शराब निकालते हैं उनको कतई बंद किया जाय। कोरे २०) रु० का १००) रु० या ५० रु० जुर्माना करके जो छोड़ दिये जाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरा ख्याल है कि मन्त्रीजी जब मेरी बात का जवाब देंगे तब यह फरमायेंगे कि हम शराब के केसेज़ को पकड़ते हैं लेकिन उन पर मामूली जुर्माना, जैसा कि मैंने पहले बताया, करके छोड़ दिए जाते हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रकार की बातें होती हैं, तो यह आपकी कमजोरी है। यदि आप तम्बाकू पर टेक्स लगाने के लिए कानून बना सकते हैं, सेल्स टेक्स का कानून बना सकते हैं, तो जिस प्रकार की तवज्जोह आप इस प्रकार के कानूनों के लिए दे रहे हैं उसी प्रकार नाजायज शराब बनाना, रोकने के लिए ऐसा कानून बनायेंगे जिससे जो व्यक्ति इस प्रकार की गलती करते हैं, उनको सजा मिल सके और वह आयन्दा कम से कम यह सोचें कि अब ऐसा काम नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छी बात होगी। आज राजस्थान की यह स्थिति है कि कोई शराब निकालते पकड़ा जाता है तो वह कहता है कि क्या हुआ, मुझे अदालत से १००) रु० जुर्माने की सजा मिलेगी तो कोई बात नहीं। मैं और शराब बनाकर ४००) रु० मुनाफे के कमा लूंगा। यदि इस तरह की बात है तो खाली मद्य-निषेध से कुछ नहीं होगा। पहले आप उनको रोकें जो नाजायज शराब बनाते हैं। यदि आप इसमें कामयाब हो गए तो बाद में मद्य निषेध में भी कामयाब हो जायेंगे।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी सादड़ी के माननीय सदस्य ने जो एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह यह है कि मद्यका कानून द्वारा निषेध किया जाय। मेरे पूर्व वक्ता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करने के लिये इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। यह प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र ने सिर्फ इसलिये सदन के सामने रखा है कि यदि ऐसा मोरेलिटी का एक प्रस्ताव रख देंगे तो हमारे राजस्थान में एक कानून पास कर दिया जायगा और कानून पास होने से मद्य का उपयोग राजस्थान में कतई बंद हो जायगा। यह उनका खयाल सराहनीय जरूर है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उनका प्रस्ताव इस रूप में प्रेक्टिकेबल या व्यवहारिक नहीं है। मद्य-निषेध का प्रश्न हिन्दुस्थान में कई साल से काफी विचारतलब विषय रहा है। कांग्रेस सरकार ने इस पर कई हिस्सों में विशेष जोर दिया है। गांधीजी ने भी उसको जरूरी समझा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में यह अब तक जारी है। इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी न किसी रूप में मद्य का उपयोग नहीं करता हो। गांधीजी भी इसका उपयोग करते थे। ('वाह-वाह' की ध्वनि) मैं आपको बताऊंगा कि ब्रान्डी ऐसी चीज है जो युरोपियन एलोपेथिक मेडिसिन्स में कई बीमारियों में; जैसे निमोनिया, प्लुरेसी आदि ऐसी जो बीमारियें हैं उनकी दवाइयों में कुछ न कुछ मात्रा डाली जाती है। मेडिसिन्स में काफी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

अभी भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में शराब-बन्दी का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हमें देखना है कि उनको कहां तक सफलता मिलती है ? बम्बई के मुख्य मंत्री इस बात की भरसक कोशिश कर रहे है कि मद्य निषेध बिल्कुल कर दिया जाय । आज बम्बई की जो हालत है उसके बारे में मैं आप को बताना चहाता हूं। मैं रुपयों पैसों के हिसाब में नहीं जाऊंगा, वह तो जो नुक्सान स्टेट को होगा उससे वेलफेअर एक्टिविटीज़ में काफी बाधा पड़ेगी। लेकिन मनुष्य को इस तरह से कोई सुधारना चाहे तो किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है और नहीं सुधारा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, बम्बई में जब से कांग्रेस सरकार कांस्टीट्यूशन के ताबे बनी है और उसने अधिकार प्राप्त किया है तब से प्रोहिबिशन का सवाल बम्बई में चालू कर दिया। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो बम्बई शहर में हवाई अड्डे से शान्ता क्रुज या दूसरी जगहों से मोटर से आता है, बम्बई के पास पहुंचने पर उसकी तलाशी ली जाती है, इसलिये कि कोई आदमी अपने साथ शराब लेकर न आ जाय। जो फोरिन देशों से या भारतवर्ष के दूसरे प्रांतों से बम्बई में आते हैं तो वे बम्बई सरकार के बारे में क्या ख्याल करते हैं; वे ख्याल करते हैं कि यह एक ऐसी रियासत है, जहां पर पुलिस का राज्य है। अच्छे या बुरे हरेक आदमी की तलाशी ली जाय और फिर शहर में घुसने की इजाजत दी जाय, क्या यह बेजा नहीं है ? मेन सड़क या मेन हाईवेज़ पर ढोल या रुकावटें रख दी गई हैं ताकि मोटर सीधी नहीं जा सके और भागने न देकर उसको पकड़ा जा सके। बम्बई की इस तरह की पोजिशन है, लेकिन वहां पर क्या नतीजा निकलता है ? मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हालां कि यह अच्छी बात नहीं है, जो सज्जन इस सदन में यहां पर नहीं हैं उनकी आलोचना की जाय; लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज बम्बई में कोई भी सदस्य एक स्थान पर बैठे-बैठे जितनी भी शराब लेना चाहें ले सकते हैं या ले जा सकते हैं। जहां पर कानून के अनुसार १० रु० बोतल मिलती है तो २० रु० प्रति बोतल के हिसाब से देकर वहां पर चाहें तो हजारों बोतलें खरीद सकते हैं और मुरारजी देसाई भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जिद्द है जिसके लिये वे अड़े हुए हैं। यदि यह कहा जाय कि बम्बई में शराब का निषेध है तो मैं कहूंगा कि बम्बई के पोपुलेशन का ५० पर्सेन्ट जिनके पास शराब के लिये लाइसेन्स या परमिट नहीं हैं वे शराब बेचते या पीते मिलते हैं और इलिसिट शराब वहां पर घर घर में मिल सकती है।

दूसरी बात में मद्रास और आन्ध्र के मुतल्लिक कहना चाहता हूं। आन्ध्र का नया प्रान्त स्थापित किया गया है। उसका हिस्सा जब मद्रास में शामिल था तब वहां पर शराब का निषेध था। वहां पर क्या हालत शराब के मुतल्लिक है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक रिटायर्ड आ. सी. एस. अफसर, श्री राममूर्ति को जो कि बम्बई के गवर्नर भी रह चुके हैं और गवर्नमेंट के विश्वास प्राप्त अफसर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी केन्द्रीय सरकार ने इसलिए नियुक्त की थी कि देखा जाय कि मद्रास और आन्ध्र स्टेट में शराब-निषेध कानून का क्या फल निकला। ऐसी हालत में हमारी राजस्थान सरकार यह क्यों नहीं समझती कि ऐसा अव्यवहारिक प्रस्ताव कैसे मंजूर किया जाय।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

यह भी मैं श्रेय राजस्थान की सरकार को देने को तैयार हूं कि ऐसे प्रस्ताव को वह स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु इस बात को देखने के लिए कष्ट उठावें और राममूर्ति की रिपोर्ट मंगावें और देखें कि आन्ध्र में मद्य-निषेध ने कहां तक सफलता प्राप्त की? तो मैं यह कहूंगा कि उस राममूर्ति कमेटी ने फेक्टस एण्ड फीगर्स से स्पष्ट बता दिया कि अगर कोई चीज कम्प्लीटली फेल हुई है तो वह है प्रोहिबिशन की; जो कानूनी कार्यवाही की गई है वह असफल हुई है। मैं इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। अकस्मात् मेरे पास एक कटिंग मिल गया, जिसमें राममूर्ति की रिपोर्ट कि आन्ध्र में मद्य-निषेध कहां तक सफल हुआ है, उसका एक अंश, सुना देता हूं। वैसे तो यह सभी सारभूत है और इस विषय पर काफी रोशनी डालता है पर उस राममूर्ति की रिपोर्ट का वह हिस्सा जिससे कि इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि आन्ध्र में किस तरह प्रोहिबिशन फैला हुआ है वह माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये इस सदन को बताने के लिये, वह हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं :

"The Ramamurthy Committee, however, found that so far as Andhra was concerned, statistics of work turned out by these organisations were absolutly bogus, and that the officials of the Co-operative Department in charge of them were just Cooking up figures.

Similarly the officials of the Police and the Prohibition Departments entrusted respectively with enforcement and ameliorative operations in connection with prohibition had permitted themselves to be completely corrupted."

यह इतनी हाई पॉवर्ड कमेटी, जिसके कि अध्यक्ष एक आइ. सी. एस. ऑफिसर थे और जो कभी मद्रास प्रोविन्स के गवर्नर रह चुके थे और मद्रास कांग्रेस का एक केन्द्र स्थान था वहां मद्य निषेध कानून के बारे में वह कमेटी अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि मद्य निषेध करने के लिए जो कस्टम का स्टाफ, पुलिस, एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को नियुक्त किया गया था वह अपने आप को बिल्कुल भ्रष्ट साबित कर चुका है, उन्होंने खूब पैसा कमाया और मतलब यह हुआ कि मद्यनिषेध नहीं हो सका, जहां-जहां टेस्ट किया गया वहां वहां कम्प्लीटली फेल हुआ। हमारे पड़ौसी उत्तर प्रदेश में जो मसूरी नाम का पहाड़ है वहां पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोश में आकर मद्य निषेध कर दिया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपयों की आमदनी इससे जो इस प्रान्त को होने वाली थी और जिसको जनता के हित में खर्च किया जा सकता था वह आमदनी नहीं हुई, वह आमदनी का रुपया भी गया और उत्तर प्रदेश सरकार को हार माननी पड़ी और मसूरी में कानून मद्य निषेध रद्द कर दिया गया और वहां फिर मद्य चालू करना पड़ा और जब से मसूरी में प्रोहिबिशन हटा है तब से फिर वही जिंदगी की चहल-पहल वहां आ गई है। हम अगर वहां एक दम से मद्यनिषेध करना चाहें तो वह हो नहीं सकता जब तक कि जनता को शिक्षित नहीं किया जाता और जनता स्वयं अपने आपको इस मामले में सुधारने की कोशिश करे। बिना शिक्षा के यह नामुमकिन है कि हम कानूनन मद्य निषेध करने में कामयाब हो सकें और जनता सुधर जाय।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मद्य-निषेध का कानून सिर्फ हमारे हिन्दुस्थान में ही लगाया गया हो, ऐसी बात नहीं है परन्तु करीब ३० या ४० वर्ष पहले अमेरिका में भी इस प्रकार का कानून पास किया गया था। मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूं कि वहां पर इसका क्या नतीजा निकला ? आज दुनिया में सबसे तरक्की पर यदि कोई राष्ट्र है और अकेला दुनिया को अंगुली पर नचा सकता है तो वह अमेरिका है। उस अमेरिकन स्टेट में आज से ३० या ४० वर्ष पहले कानून द्वारा मद्य निषेध किया और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर इल्लिसिट डिस्टिलिशन, जिस प्रकार हमारे यहां राजस्थान में होता है, उसको भी मात देता है। वहां पर जो यह मद्य निषेध का कानून पास किया गया तो इससे इस प्रकार का करप्शन बढ़ा कि पुलिस, एन्फोर्समेंट और दूसरे फोर्स जो इस प्रोहिबिशन के लिए लगाये गये वे इतने भ्रष्ट हो गये कि जैसे अभी मैंने सदन में श्री रामामूर्ति की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है उसी प्रकार अमेरिका में भी यही हाल हुआ और लुक छिप कर इल्लिसिट डिस्टिलिशन के द्वारा इतना शराब चालू हो गया कि इस कानून को फिर से रोकना पड़ा। और इसका रिएक्शन क्या हुआ ? अमेरिका में विस्की, ब्रान्डी वगैरह को डाइलूट किये बगैर, सोडा पानी मिलाए बगैर ही ग्लास में खालिस दारु भर कर एक एक आदमी पी लेता है। यह बड़े ताज्जुब की बात है, यह इस मद्य-निषेध का रिएक्शन हुआ।

यही रिएक्शन हमारे पड़ौसी प्रान्त या बम्बई में हो रहा है। बम्बई की सरकार माने या न माने, लोग लुक छुप कर, अपनी औरत के गहने अडाने रखकर, चोरी करके या और किसी तरह से पैसे प्राप्त करके शराब पीते हैं, उनको किसी तरह से चोरी करके या और किसी तरीके से जबर-दस्ती पैसा प्राप्त करके शराब पीनी पड़ती है। यह कानून बनने से कई नवयुवकों की मौतें हुई हैं क्योंकि उनकी पोकेट के मालिक उनको शराब नहीं मिल सकती; थी तो उन्होंने चोरी की और कई केसेज़ में तो यहां तक हुआ कि उन्होंने प्योर लिकर और स्पिरिट पीकर अपने आपको मार डाला।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर निवेदन करूं कि हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है और हमारे धार्मिक शास्त्रों के आदेशों के कुछ जातियों पर यह पाबन्दी लगाई हुई है कि वह शराब नहीं पिया करें, खास तौर से ब्राह्मणों की कहूँ, ओसवालों की कहूँ और भी कई जातियां हैं; जिनके लिए शराब पीना घोर पाप समझा गया है, उनके कुटुम्ब में शास्त्रों द्वारा शराब पीना महापातक समझा गया है, पर माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूं आज अगर गणना की जाय कि हिन्दुस्तान में जो कि हमारा धर्म प्रधान देश है, वहां धार्मिक आदेश मिलते हुए भी उन जातियों में बहुत बड़ी तादाद में शराब पीने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्री यहां से चले गये, जिस समाज से पुष्करणा समाज से वे आये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी जानकारी में कितने पर्सेन्ट पुष्करणे हैं और ब्राह्मण हैं जो शराब पीने वाले हैं। कहा जा सकता है कि यह बड़ी तेजी से रफ्तार बढ़ती जा रही

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

है। इसी प्रकार जैनियों में भी शराब पीने वालों की संख्या किस तेजी से बढ़ रही है, यह माननीय चन्दनमलजी वैद बतायेंगे......

श्री चन्दनमल वैद—आपके कम्पेरिजन में बहुत कम।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—आपके स्वयं के कम्पेरिजन में या और किसी के ?

श्री चन्दनमल वैद—मेरे माननीय मित्र के कम्पेरिजन में।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वह भी कमी पूरी हो जायगी।

श्री चन्दनमल वैद—आपकी सौबत में रहते है तो होगा ही।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—स्वयं हमको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां कहीं किसी को सर्दी या जुकाम हो गया और बाहर गांवों में अगर शराब नहीं मिली तो हमारे साथी जिनके यहां हम महमान हो कर गये थे उन्होंने कहा कि सेठ साहूकारों के यहां ब्रान्डी व्हिस्की की बोतल मिल जायगी और वहां से वह आई, मैं इसे बुरा नहीं समझता। अगर इसे कानून बना कर वेस्ट पेपर बास्केट में भेजना है तो बात दूसरी है, वरना कानून तभी पास करना चाहिए जब उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन किया जा सके। कानून पास तभी होगा जब उसको इम्पीमेंट किया जा सके और पब्लिक पर उसका असर हो। इसलिये राजस्थान की जनता के मोरल स्ट्रेन्थ पर इस प्रश्न को जांचा जावे तो आपको मालूम होगा कि यह बिल्कुल असंभव बात है कि आप जबर्दस्ती कानून बना कर किसी पर थोप रहे हैं। यह चीज तो दिन ब दिन अपने आप घटती जाती है। आप शराब को बुरा समझते हैं। शराब को ही बुरा क्यों समझते हैं। शराब इतनी बुरी नहीं है। भांग, गांजे को आप क्यों अच्छा समझते हैं ? क्या आप इसको अच्छा समझेंगे ? इसके लिये भी प्रोहिबिशन लगा दें। इससे भी ज्यादा लोगों को नुक्सान होता है और यह भी ज्यादा हानिकारक है। अगर थोड़ी मात्रा में कोई भी चीज दवाई के रूप में या खुराक के रूप में ली जावे तो उससे फायदा ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा मात्रा में ली जावे तो आम तौर पर अच्छी चीज भी हो, वह भी नुक्सान पहुँचावेगी। भोजन, जिसके वगैर हम जी नहीं सकते उसका भी डबल डाइट आप एक दो रोज खा लीजिये, तीसरे रोज तो आप बीमार हो जावेंगे। इसी तरह से वस्त्र पहिनना आवश्यक है। अगर गर्मी के मौसम में आप गर्म कपड़े पहनोगे तो आप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और सर्दी में वह आपके लिये बहुत हित कर होगा। अगर सर्दी में भी ज्यादा पहिन लोगे तो वह भी खराब होगा। शराब अगर ज्यादा नहीं ली जाए तो बहुत फायदे बन्द है। इसको बन्द करने के लिये

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

दुनियां के दूसरे देशों ने, जैसे अमेरिका, बंबई, मद्रास में ट्राइल की गई वह बिल्कुल फेल्योर हुई है और इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। आप जबर्दस्ती किसी पर यह नहीं थोप सकते। आपको चाहिये कि राजस्थान की पब्लिक को शिक्षित बनावें और उनमें इस बात का धार्मिक डर बतावें। लेकिन अब हमारा देश सेक्यूलर देश है, निधर्म देश है। यह बात रही मोरलिटी की। लेकिन जब हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो मेरे माननीय मंत्री जो कस्टम एन्ड एक्साइज़ से संबन्ध रखते हैं इस प्रकार के प्रस्ताव को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। अगर वे इसको स्वीकार कर लेंगे तो राजस्थान की माली स्थिति जो पहले ही खराब है, ज्यादा खराब हो जावेगी और २ या २॥ करोड़ रुपये इससे मिलते हैं वे भी हाथ से चले जावेंगे। इसके अलावा वे शराब बन्द नहीं कर सकेंगे। इस वक्त भी हमारे राजस्थान में बहुत से जिले हैं जहां पर घर घर में नाजायज़ शराब बनती है। अगर शराब बन्द हो जावेगी तो जनता को करोड़ों रुपयों का नुक्सान होगा और मद्य निषेध नहीं होगा, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और कहूंगा कि राजस्थान की जनता के साथ शराब बन्दी क्या होगी, एक प्रकार का खिलवाड़ होगा। अगर इस प्रकार का सेन्टीमेंट आप अपने दिमाग में रखते होंगे कि यह सफलीभूत नहीं होने वाली है, तो फिर भी इसको बन्द कररहे हैं तो मैं कहूंगा कि राजस्थान के साथ और राजस्थान की जनता के साथ अन्याय और खिलवाड़ होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे माननीय मित्र और संबन्धित मंत्री इस प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सन्तोषसिंह कछवाह—माननीय उपाध्यक्ष, श्री भाला ने जो शराब बन्दी का प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से सदस्यों ने इसके विरोध में काफी कहा है, परन्तु मैंने मालूम किया है कि जिन जिन महाशयों ने इसका विरोध किया है वे इसके शौकीन नजर आये हैं।

अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने खास कर इस बात पर जोर दिया कि अगर यह मद्य-निषेद कर दिया जावेगा तो सरकार को २॥ करोड़ का घाटा हो जावेगा, लेकिन इस घाटे की अगर तुलना की जावे तो मैं बहुत दलीलें दे सकता हूं कि गवर्नमेंट को एक पैसे का घाटा नहीं होगा बल्कि करोड़ों रूपयों का नफा होगा। वह किस तरह से होगा ? अगर सरकार शराब बन्द कर देती है तो सरकार को नकदी रूपयों का नुकसान होगा लेकिन मद्य पीनेवालों से जो एक्सिडेंन्ट होते हैं और उनसे नुकशान होता है वह मिट जावेगा। एक मोटर ड्राइवर मोटर चलाता है। वह शराब के नशे में १०–२० आदमियों को जख्मी कर देता है। इस पर गवर्नमेंट को कितना खर्च करना पड़ता है। यह सारा का सरा नुकसान मद्य की वजह से होता है। इसकी वजह से घातक बुद्धि पैदा होती है और इसकी वजह से यह सारा कुकर्म होता है। इसलिये अगर शराब पीना बन्द कर दिया जावे तो ये सब बातें दूर हो सकती है। अगर शराब मिलेगी नहीं तो वह कुकर्म बन्द हो, जावेंगे, तो इससे सरकार के करोडों रूपयों के घाटे के एवज में करोड़ों रूपयों का नफा होगा। अगर सरकार इस पर विचार करेगी तो पता लगेगा कि शराब बन्दी से नुकसान नहीं, फायदा होगा।

[श्री सन्तोषसिंह]

दूसरी बात यह भी बताई गई कि बहुत से धर्मों में इसका निषेध है और कुछ धर्मों के नाम नहीं बताये गये जिसमें शराब पीना जायज है। मैं यकीन दिला सकता हूं कि दुनिया के किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा है कि शराब पीना जायज है; कोई भी ऐसा धर्म नहीं। मुसलमानों के कुरान में, बाइबिल में और हिन्दुओं के धर्म-शास्त्रों में; सब में शराब निषेध है। फिर उन्होंने यह बताया कि निषेध हो जावेगा तो महात्मा गांधी का उन्होंने नाम लिया कि वे भी पीते थे। हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है कि दवा-दारू करें। दवा और दारू का नाम पहले हो जाता है। अगर औषधि के रूप में लिया जावे तो कोई नुकसान नहीं। अपने आराम और मौज करने के लिये पिया जाता है और जिस ऐश और मौज की वजह से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचता है, हमारे घरों में नुकसान होता है, लाखों रूपयों की तादाद में नुकसान होता है। इससे करोड़ों रूपयों की बचत होगी। इसलिये यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है और जल्दी ही पास होकर शराब का निषेध होना चाहिये।

हमारे विरोधी दल के नेता ने यह बतलाया कि शराब, अमेरिका, बंबई और मद्रास आदि दूसरे देशों में रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूँ; विरोधी दल के नेता को कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति के मुकाबले मद्रास और बंबई में बहुत फर्क है। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति यहां के लोगों से बहुत अच्छी है। वहां के लोगों की आमदनी १५ और २० रूपये रोजाना है। हमारे यहां एक आदमी की आमदनी ११ पाई है इसलिये सदन में उनका मुकाबला करने के लिये बैठें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये अगर वे वहां बन्द नहीं कर सके तो यहां भी बन्द नहीं करना चहिये। इसके बहुत से दूसरे कारण हो सकते हैं। अगर हमारे राजस्थान में शराब बन्द हो जावेगी तो गरीबों को बहुत फायदा होगा। जिनके घरों में शराब की वजह से कलह हर वक्त रहता है वह मिट जावेगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रास्ताव के पक्ष में अपना मत रखता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी रोकने का प्रस्ताव मंजूर करके इसको काम में लावें।

श्री **गोपीलाल यादव**—माननीय उपाध्यक्ष, अभी थोड़े दिन हुए भारत के चीफ जस्टिस यहां पधारे थे और यहां उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि हिन्दुतान ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी गवर्नमेंट लोगों की मूर्खता से भी आमदनी करती है। यहां उनका मुकदमें बाजी से मतलब था। यदि इंग्लेन्ड में कोई मुकदमा हो तो वहां कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट यहां के मुकदमेंबाजों से इतना रुपया लेती है कि उससे उन कोर्ट्स का खर्चा भी चलाया जाता है और बचत भी होती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वही हमारी गवर्नमेंट की भी नीति है इस मद्य के सम्बन्ध में। सबसे बड़ा ताज्जुब तो यह होता है कि लोगों की मूर्खता से, लोगों के व्यसन से यहां की सरकार मालदार बनना चाहती है और रुपया वसूल करके खजाना भरना चाहती है। यह सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। मैं तो यह कहूंगा कि आप मद्य निषेध नहीं करना चाहें तो नहीं करें किन्तु आप एक पैसा टेक्स का न लें। जब मद्य पर टेक्स नहीं रहेगा तो कोई कारण नहीं कि

[श्री गोपीलाल यादव]

मद्य पान बन्द न हो। लेकिन आप इसको बन्द क्यों नहीं करना चाहते कि आप लोगों पर टेक्स लगा कर रुपया लेते हैं। अगर आप रुपया लेना चाहते हैं तो फिर चोरी का भी लाइसेन्स दे दें। करना चाहें तो करें चोरियां। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुराई पर किसी प्रकार का टेक्स लगाना उचित नहीं है। आप उसको बन्द कीजियेगा। अगर आप उसको बन्द नहीं कर सकते हैं, हमारे में इसको बन्द करने की ताकत नहीं है तो आप टेक्स को हटा दीजिये; लेकिन अगर आप टेक्स लेना बन्द नहीं करेंगे, टेक्स नहीं हटायेंगे तो यही माना जा सकता है कि आप जान-बूझ कर लोगों में एक व्यसन बढ़ाना चाहते हैं केवल रुपयों की आमदनी के खातिर। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ; कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध न किया जाय। आपको अधिकार होगा कि आप कानून बनायें इस प्रस्ताव में ही तो मद्य निषेध नहीं हो जाता है। इस प्रस्ताव से तो गवर्नमेंट के लिए हाउस की राय जाहिर होती है। फिर गवर्नमेंट सोचेगी कि कैसा कानून बनाया जाय। कानून बनाते समय हर एक चीज़ सोची जायगी। मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने जो बात कही है उस पर विचार कर लीजिये। अगर कोई बीमार है, उसको शराब न मिले तो वह मर जाय तो उसको लाइसेन्स देने का इन्तजाम होगा। डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको उस तरह से मिलेगा कि बीमारी के कारण महात्मा गांधीजी भी शराब पीते थे। दवा के लिए तो यह किसी भी तरह इस्तेमाल हो सकता है।

मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह दलील अक्सर दी जाती है कि, मद्य को पीना यदि बन्द करेंगे तो वह बन्द नहीं होगा, नई भट्टियां खुल जायंगी। तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि कौनसी चीज ऐसी है जिसको सौ फीसदी बन्द करने में गवर्नमेंट कामयाब हुई है। लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है चोरी-डकैती को बन्द करने में, तो उनको क्या बन्द कर दिया? चूंकि गवर्नमेंट बन्द नहीं कर सकी इसलिये क्या यह दलील दी जाय कि उसको जायज करार दे दिया जाय? उसको कानूनन बन्द करने से जरूर रुकावट पड़ती है और ८०-९५ फी सदी कुछ न कुछ तो बन्द होती है। बुरे आदमी ब्लेक मार्केट करके कहां से चीजें ले आते हैं और उनका फिर ब्लेक मार्केटिंग करते हैं। इसका मतलब यह नहीं निकलता है कि तमाम कन्ट्रोल गवर्नमेंट का है उसको बन्द कर दिया जाय। यह तो कोई दलील नहीं। अगर आप इसको कानून बना कर बन्द करेंगे और सोच-विचार कर अगर आप कानून बनावेंगे तो जनता को तकलीफ भी नहीं होगी और आपको उसमें सफलता हो जायगी। लेकिन आपको उस कानून के बनाने के लिए सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा और जब तक उस त्याग को करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसको बन्द नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते क्योंकि इससे आमदनी होती है, खजाना रुपयों से भरता है। आज कस्टम को कस्टम की इन्कम की वजह से बन्द नहीं कर सकते। चार साल हो गये फिर भी बन्द नहीं कर सके। उस कस्टम से नाजायज आमदनी की गई है। उससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है और आप बन्द करेंगे, जबकि सेल्स टेक्स आदि लगाकर इतनी ही आमदनी का जरिया कर लें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आमदनी आती है तो

[श्री गोपीलाल यादव]

यह न सोचिये कि हमारी आमदनी कम हो जायगी, इसके बन्द करने की वजह से। इसके लिये आपको सोच विचार करना पड़ेगा। दूसरा यह भी न सोचिये कि इसके बन्द करने से चोरी का रोजगार बढ़ जायगा। यह कोई सोचने की चीज नहीं है। आप जिस चीज को सही समझते हैं; जिसको सही समझते हैं वही कदम आप उठायें और उस का इन्तजाम करिये। मैं समझता हूं कि उस इन्तजाम से फायदा ही होगा। सती की प्रथा थी उसको बन्द किया गया। लोगों ने कहा था कि यह चलेगा नहीं, इससे नुक्सान होगा। किन्तु बन्द हुआ ही; अभी गवर्नमेंट कानून पास कर रही है कि २१ साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता। लोग बुराइयां करते हैं, दस साल का बच्चा है, उसकी शादी कर देते हैं, ८ साल की बच्ची है उसकी शादी कर देते हैं चूंकि हमारे देश की जनता इस कदर मूर्ख है, अशिक्षित है; किन्तु स्टेट गवर्नमेंट को तो फादर की तरह देखना चाहिए। यह देख भाल उसको करनी पड़ेगी जो कि एक बच्चे के लिए की जाती है। क्या हम अपने बच्चों को यह इजाजत देते हैं कि वह शराब पियें? मैं यह जानता हूं कि शराब पीने वाला भी यह कोशिश करता है कि उसके बच्चे शराब न पीयें और वह भी कोशिश करता है उनके सामने शराब न पीये ताकि उन बच्चों की बुरी आदत न पड़े। जब हम स्टेट का फन्क्शन एक फादर की जगह बनाते हैं तो उसकी ड्यूटी है कि वह किसी तरह से रुपयों पैसों का इन्तजाम करे, इसको रोकने का इन्तजाम करे। उसको रोकना चाहिए और न रोक सके तो उसको रोकने के लिए कदम उठा देना चाहिए और इस प्रस्ताव को पास करके अपना इरादा प्रगट कर देना चाहिए; इस बात को कि हम इस तरह कदम उठाना चाहते हैं, हमारी राय जाहिर करना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कदम उठाये। इसका निषेध नहीं कर सकते हैं तो सुधार के रूप में कुछ करिये। एक स्कीम बना लीजिये कि इतने दिनों में बन्द कर दिया जाय, किस तरह से किया जाय। लेकिन अगर इसका विरोध करेंगे तो इसकी भी वही दशा होगी जो कि उस प्रस्ताव की हुई थी। मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि सरकार जब कर्मचारियों को रिटायर करे तो उस वक्त उनके पेन्शन के मामले भी तय कर दे। पेन्शन तय हो जाने पर ही उनको रिटायार करे। उधर बैठे हुए मित्र इसको चाहते भी थे, किन्तु व्हिप इश्यू हो गया और उनको इसका विरोध करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि छः महीनों की मोहलत चाहता हूं। हिसाब साफ कर रहे हैं। मैं आपको कहूं कि जितने केसेज़ पहले पड़े हुए थे वे और उल्टे बढ़ गये। जो महकमों में जाकर करा लाते हैं वे करा लाते हैं। अगर वह प्रस्ताव पास हो जाता तो चीफ मिनिस्टर को चिन्ता होती कि मुझे वह करना है और उसको वे हिम्मत और कोशिश से करते। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको गवर्नमेंट यह कहे कि धीरे धीरे कुछ न कुछ कर लेंगे तो आप हरगिज न मानना और इस प्रास्ताव को आप पास कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आशा तो इस प्रकार की थी कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य शराब का प्रेमी नहीं होगा, जो इसके विरोध में सदन में

[श्री भैरूंसिंह]

आवाज रख सकेगा; लेकिन फिर भी यह जानकर अत्यंत खेद हुआ कि कुछ ऐसे व्यक्तियों ने इसका विरोध किया जिन्होंने स्वयं इस सदन में एक दफा और इस सदन बाहर इस बात का विरोध किया था और कहा था कि राजस्थान की नैतिक उन्नति उसी वक्त हो सकती है जब कि राजस्थान में मद्य निषेध किया जाय। एक माननीय सदस्य ने महज इसका विरोध ही किया। उन्होंने इस सदन में एक दफा इस बात का जिक्र किया था जब कि बजट सेशन चल रहा था और बजट पर आम बहस हो रही थी, उस दौरान में उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिये। उस राजस्थान सरकार के बजट की जो आमदनी है उसका सबसे मुख्य अंग शराब से होने वाली आमदनी है। मैं उनकी इस बात को महज यह समझ कर कि उन्होंने हाल ही में एक चोला बदला है शायद उन्होंने अपनी विचारधारा भी बदल दी होगी। उनके कथन पर विशेष टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन जिन माननीय सदस्य ने इसका घोर विरोध किया उनके घोर विरोध के शब्द सुनकर मुझे यह महसूस होता है कि मैं उनको वे दिन याद दिलाऊं जिन दिनों वे राजस्थान के मंत्री थे। उन्होंने मद्य निषेध को लागू करने में एक प्लान बनाया था और प्रोपोज़ल तैयार किये थे और वे प्रॉपोज़ल्स उन्होंने गवर्नमेन्ट के सामने प्रस्तुत किये, हालांकि वह स्वीकृत नहीं हुए। उस वक्त उन्होंने केबीनेट में यह कहा था कि राजस्थान प्रान्त का भला तभी हो सकता है जब कि यहां मद्य-निषेध लागू किया जाय।

कुं० श्री जसवंतसिंह—It it not correct, Sir.

मैं तो इस बात को कहता हूं कि शराब को कानूनन कोई भी बन्द नहीं कर सकता, अगर करेगा तो अनहितकारो होगा। केबिनेट में मैंने यह कहा था कि केबिनेट के सीक्रेट्स कैसे माननीय सदस्य के पास पहुँच गये, यह सरकार के जानने की बात है।

श्री भैरोंसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—केबीनेट के सीक्रेट्स शराब के जरिये ही पहुँचे हैं। इसमें शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, इसको बन्द करने में सबसे बड़ा सवाल आता है इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करने में। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वह है राजस्थान के फाइनेन्सेज़ की। जिस किसी को भी विरोध करना है तो वह महज एक ही बात कहता है और वह यह कि यदि राजस्थान में शराब बन्दी लागू कर दी गई तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब हो जायगी। मैं मानता हूं कि राजस्थान को शराब से होने वाली आमदनी २ करोड़ ४० लाख रुपया है और साथ में यह भी मानता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी आमदनी का मद भी यह शराब है। अन्य सब मदों से इसका स्थान ऊंचा है। लेकिन हमें इस बात का विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इस मद की रकम की पूर्ति कर सकते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में राजस्थान बजट के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। इस राजस्थान के बजट में २ करोड़ ४० लाख रुपये की इससे आमदनी है। तारीख २३ और २५ अगस्त को मैंने दो प्रश्न पृथक राजस्व मन्त्री से पूछे थे। उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया। जयपुर जिस जगह राजस्थान की राजधानी है और जिस जगह मिनिस्टर और राजस्थान के उच्च पदाधिकारी रहते हैं,

[श्री भैरोंसिंह]

जयपुर में जो इसका ठेका दिया जाता है उस ठेके की रकम में से जो ठेकेदारों को कमीशन मिलता है उस कमीशन की रकम १ लाख ७६ हजार रुपया है। जिस २ करोड़ ४० लाख रुपयों की राशि में से १ लाख ७६ हजार रुपया केवल ठेकेदार के कमीशन का है और वह भी केवल जयपुर के लिये। यह है राजस्थान की राजधानी का हाल जहां इस ठेके की ब्लेक मार्केटिंग से १ लाख ७० हजार रुपये की आमदनी होती है। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहूंगा कि राजस्थान में जो आमदनी इस शराब के ठेके से हैं वह करीब २ करोड़ ४० लाख रुपया है। उसमें से १ लाख २० हजार रुपये केवल सरकार को ब्लेक मार्केटिंग से मिलते हैं। यह गरीबों का खून चूसकर इकट्ठा किया हुआ पैसा है। गरीबों को मुगालते में डालकर यह पैसा मिलता है। यह केवल जयपुर की आमदनी का हिसाब है। अगर इसी अनुपात से सारे राजस्थान को आमदनी को देखा जाय तो यह आमदनी इस मद की सारी आमदनी का १।३ हिस्सा है। अगर इसी हिसाब से सारे राजस्थान को को आमदनी को गिना जाय तो यह आमदनी ७६ लाख रुपये होती है। यदि एक बटा तीन का ही बेसिस मान लिया जाय, २ करोड़ ४० लाख रुपये में से १।३ के हिसाब से ७६ लाख रुपये केवल सिर्फ मार्केटिंग की आमदनी है, यह ७६ लाख रुपये ब्लेक मार्केटिंग से सरकार के खजाने में आती है। यह आमदनी है जिस पर अगर सरकार गर्व करती है तो यह कांग्रेसी सरकार के लिये शोभा की बात हो सकती है। और जिसके लिये कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार की मद नहीं रखते हैं तो हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो जायगी। जितने भी डेवलपमेन्टस के काम हैं, स्कीम्स हैं उनको हम पूरा नहीं कर पायेंगे। ब्लेक मार्केटिंग से पैसा कमाना किसी भी सरकार के लिये शोभाजनक नहीं कहा जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष, इस ७६ लाख के अलावा ३२ लाख रुपया केवल ऋण के रूप में खर्च होता है। दूसरे प्रान्तों के ठेकेदारों को शराब देने के लिये शराब जिनसे खरीदते हैं उसके लिये सरकार को देना पड़ता है, वह है रकम ३२ लाख रुपये की। इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष, इस शराब के ठेके आदि देने के लिए एस्टिब्लिशमेन्ट है जो शराब के ठेके दिये जाते हैं उसका इन्तजाम करते हैं, इसके लिये बड़े बड़े ऑफिसर्स रखे जाते हैं। इस डिपार्टमेन्ट की मद को सारे डिपार्टमेन्ट् से अलग रखा है। कस्टम्स आदि जितने भी टेक्सेज लाये जाते हैं उन सारी मदों को लेकर ६६ लाख रुपया खर्च बताया गया है। अगर शराब की आमदनी को दृष्टिकोण में रखते हुए अगर इस चीज को देखें तो मैं समझता हूं कि ३३ लाख रुपये सारे के सारे इन अधिकारियों के एस्टेब्लिशमेन्ट के लिये खर्च होते हैं जो महज शराब का प्रबन्ध करने के लिये, शराब के ठेके का प्रबन्ध करने के लिये, नाजायज शराब को पकड़वाने के लिये, एन्टी स्मगलिंग फोर्स है इसके एस्टेब्लिशमेन्ट में ३३ लाख रुपया खर्च होता है। ७६ लाख रुपये ब्लेक मार्केटिंग के, ३२ लाख रुपये दूसरे प्रान्तों से जो शराब लेने में उसके पेमेन्ट के और ३३ लाख रुपये एस्टेब्लिशमेन्ट के, इस तरह से कुल मिलाकर १ करोड़ ४४ लाख रुपया खर्च होता है। जब कि आमदनी इसकी २ करोड़ ४० लाख रुपया है और इसका खर्च जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया उसको बाद दे दिया जाय तो करीब ९६ लाख रुपया हमारे पास बचता है। अगर इस ९६ लाख रुपये की आमदनी को किस तरह से हम दूसरे उपायों से कर सकते हैं उस बारे में मैं कुछ सुझाव

[श्री भैरोंसिंह]

सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिन सुझावों के कारण किसी प्रकार फाइनेन्शियल डिफीकल्टी राजस्थान सरकार को आने वाली नहीं है। इस मद की आमदनी में और भी मदें शामिल हैं, अफीम, गांजा, चरस इस प्रकार की आमदनी भी इस मद में शामिल की गई है, इसमें तिजारे के आंकड़े भी आये हैं। इन सब की आमदनी है ७६ लाख रुपये। ७० लाख रुपये तिजारे के टेंके के सरकार को मिलते हैं। एक्साइज वगैरह की सारी आमदनी की मद मिलाकर ७६ लाख रुपये इस मद में आते हैं। जो ६६ लाख रुपये मैंने ऊपर बताये उनमें से ७६ लाख रुपये इसके निकाल दिये, शेष रह जाते हैं १७ लाख रुपये। इस तरह से २ करोड़ ४० लाख रुपये की आमदनी में से १७ लाख से अधिक राजस्थान सरकार के कोष में नहीं जाती। क्या राजस्थान सरकार इतनी सी मामूली आमदनी को जनता के नैतिक स्तर का ख्याल करते हुए छोड़ने के लिये तैयार नहीं है? १७ लाख रुपया तो वह बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन मैं ऐसे सुझाव माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये १७ लाख रुपये भी बर्दाश्त करने का कोई सवाल नहीं रहेगा। एक तरफ यदि सरकार को बचत नहीं होती है और दूसरी तरफ प्रान्त की गरीब जनता से सरकार को धन्यवाद प्राप्त होगा कि इस प्रकार का एक सराहनीय कार्य तो राजस्थान सरकार ने किया है। अब मैं १७ लाख रुपये को डिवाइड करता हूं। पहले इस सदन में भी कई बार चर्चा की गई है, राजप्रमुख और उपराजप्रमुख को अलाउन्स दिया जाता है वह अलाउन्स राजप्रमुख को ७॥ लाख और उपराजप्रमुख को करीब ६॥ लाख रुपये होते हैं। इसमें से अपनी सरकार को सात लाख रुपया देना पड़ता है। सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात के लिये तैयार नहीं और राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए जहां एक ओर डेवलपमेन्ट्स के काम पड़े हैं ऐसी सूरत में केवल कागज के ऊपर दस्तखत करने के लिये राजप्रमुख को उनके प्रिवीपर्स के मुकाबले १० पर्सेन्ट खर्चा राजस्थान सरकार दे और उस अलाउन्स का खर्चा राजस्थान की जनता बर्दाश्त करे, यह बिल्कुल बेजा बात है। इस संबन्ध में जब बजट पर बहस हुई उसका जवाब देते हुए फाइनेन्स मन्त्री महोदय ने यह फरमाया था कि हमने जो एग्रीमेन्ट्स किये थे उनसे हम बंधे हुए हैं, राजाओं के लिये अलाउन्स मन्जूर किया है वह हमें देना पड़ेगा। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान विधान सभा का प्रत्येक सदस्य चाहे वह विरोधी दल में या सरकारी पक्ष में हो वे सब मिलकर जिस तरह से पं० नेहरू ने राजाओं से अपील की कि आप अपनी प्रीवीपर्स में कमी करिये, अपने अलाउन्स में कमी करिये, उसी प्रकार सारे सदस्य एक साथ मिलकर सामुहिक रूप से राजप्रमुख और उपराजप्रमुख से यह प्रार्थना करें कि हम राजस्थान में इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं जिसके लिये पैसे की जरूरत है; आप यदि अपना अलाउन्स न लें तो इन कामों के लिये रुपया मिल सकता है। मुझे आशा है कि राजप्रमुख और उपराजप्रमुख राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार के कार्य से दूसरे राजा लोग भी प्रेरणा लेंगे और राजस्थान के साथ साथ अन्य प्रान्तों का भी भला हो सकता है। तो १७ लाख में से बाद में यह सात लाख निकाल दिया जावे तो महज बाकी रहता है १० लाख रुपया। अब दस लाख का सवाल रह जाता है। इसके लिए दो चीजें और उपस्थित करूंगा। पहला है खर्चा दो लाख ८७ हजार रुपये का और वह है राजस्थान

[श्री भैरूंसिंह]

के कमिश्नरी विभाग का। आज राजस्थान में तो क्या, उसे छोड़ कर भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में देखा जावे तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं दो-तीन प्रान्तों में यह व्यवस्था होगी तो होगी, पर वे भी आज इसकी निरर्थकता अनुभव करने लगे हैं। उन प्रान्तों की फाइनेन्शियल रिपोर्ट को देखा जावे तो उनमें भी जिक्र आया है कि आज के इस शासन-काल में इस बात की आवश्यकता नहीं कि रेड टेपिज्म को प्रोत्साहन दें। आज राजस्थान में भी शासन का हमारा यही अनुभव है इनके बारे में। यहां आज करीब करीब हर व्यक्ति इस बात को महसूस करने लग गया है कि कमिश्नर को जहां कोई अधिकार नहीं, सिवाय इसके कि सेक्रेटेरियट के कागजों पर अपना एन्डोर्समेन्ट करके कलेक्टर के पास भेज दे या कलेक्टर की उन कागजों पर आने वाली ओपीनियन को फिर गवर्नमेन्ट के पास भेज दे। तो इस तरह मैं तो समझता हूँ कि राजस्थान में एक लैटर बॉक्स से ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। अगर ऐसे लैटर बॉक्स को नहीं रक्खा जावे तो सरकार की दो लाख ८७ हजार की बचत होगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कमिश्नरों पर खर्चा दो लाख नहीं, पांच लाख ८६ हजार है। आपने बजट बराबर देखा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—Sorry, दो लाख ८७ हजार नहीं, पांच लाख ८६ हजार है।

और इसके निकलने के बाद में बचते हैं ४ लाख १४ हजार रुपये। तो जो बजट दो करोड़ चालीस लाख का सरकार का है वह सारा का सारा ४ लाख १४ हजार के घाटे के प्रश्न पर आता है। वैसे भी अगर देखा जावे तो इतनी बड़ी रकम के बजट के सामने यह छोटी सी रकम कुछ नहीं है। इस पर भी मेरा एक छोटा सा सुझाव है और वह यह है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स् का विभाग खतम कर दिया जावे। अब जब कि जागीरें खतम हो गई हैं, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि कोई अगर गूंगा, बहरा या पागल है, जागीरदार होने के नाते उसके लिए वहां का प्रबन्ध सरकार का यह विभाग करे। आवश्यकता इस बात की है कि बदचलन हो, इन्तजाम नहीं कर सकता है तो समाज के अन्दर वह उपयोगी हो, परिवार के लिये उपयोगी हो उसकेर लिए प्रबन्ध करना सरकार के लिए आवश्यक चीज हो सकती है; पर चूंकि कोई जागीरदा है इसलिए उसका प्रबन्ध सरकार करे यह न्यायसंगत आज के वक्त में नहीं होगा, जागीरदार और खालसा का भेद सामने रखकर कोई रवैया पहले की तरह अख्तियार करते चले जाना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस विभाग का एक प्रकार का अंकुश रखना आवश्यक नहीं है और अगर इस आवश्यकता को समाज सुधार के नाम पर, न्याय के आधार पर समझा जावेगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस विभाग को जल्दी समाप्त कर देगी। जागीरी रिज़म्पशन के बाद में यह कतई आवश्यक नहीं है। जागीरों का इन्तजाम उन्हें करना नहीं, है किसी का न कर्जा देना है न लेना है; जागीरों को न रहन करनी है न देनी है; अगर किसी का हिस्सा देना करना है तो उसका कम्पेन्सेशन लेना है और वह जो तय होगा मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इस विभाग का कोई फन्क्शन भी नहीं रहेगा।

[श्री भैरूंसिंह]

तो इसको यदि आप डिलीट भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही होगा। इसके डिलीट कर देने से दो लाख ८६ हजार रुपये की बचत सरकार को और हो जावेगी; तो चार लाख १४ हजार में से यह दो लाख ८५ हजार का खर्च और निकाल दिया गया तो सरकार के सामने फिर केवल १ लाख २६ हजार का घाटे का प्रश्न रह जावेगा केवल।

तो इसलिये मैं तो इतना सा ही निवेदन करूंगा कि जिस राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अन्दर लाखों रुपयों का गबन होता है, कोई विभाग इससे अछूता नहीं रहा है और सरकार अगर इन पर थोड़ा अंकुश रक्खे, जो गबन करें या सरकार के रुपये का दुरुपयोग करें और जो ठीक तरह से सरकार का हिसाब न दे तो यह एक लाख ८६ हजार का ही सवाल नहीं है कि इस घाटे को सरकार कैसे पूरा करेगी, पर इसकी पूर्ति होने के बाद भी हजारों-लाखों रुपया सरकार का जो आज अपव्यय हो रहा है वह बच जावेगा और काफी बचत हो सकेगी और काफी जबर्दस्त बचत वह होगी। इसलिये मैं बड़ी नम्रता से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर सरकार इसको बन्द करना चाहती हो, आसानी से कर सकती है और उसे यह कार्य करना चाहिये। पर इसके बावजूद कई माननीय सदस्य यहां हैं, जो यह राय रखते हों कि इस मामले की पहले पूरी जांच होनी चाहिये और आर्थिक दृष्टि से भी सारी स्थिति का अध्ययन करने की जरूरत है; तो उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मान लीजिये इससे आपको दो करोड़ और चालीस लाख रुपये का भी नुकसान होता है तो मैं याद दिलाऊं, याद ही नहीं, मैं तो आपको फोटो दिखा सकता हूँ पूज्य महात्मा गांधीजी की, और यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मद्य-निषेध के बारे में जो वाक्य कहे हैं उन पर आप जरा गौर करें। वे वाक्य आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"You will not be decived by the specious argument that India must not be made sober by compulsion, and that those who wish to drink must have facilities provided for them. The State does not cater for the vices of its people. We do not provide facilities for thieves to indulge their propensity for thieving. I hold drink to be more damnable than thieving and perhaps even prostitution. Is it not often the parent of both ?"

अब इससे आपको पता लगेगा कि महात्मा गांधी की इस बारे में क्या राय थी ? और इसके बाद में भारत के प्रधानमन्त्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या कहा है; इस बारे में वह भी दो लाइनों में पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं :

"There has been a good deal of controversy over this issue, more especially because of financial difficulties. Financial considerations have to be borne in mind. But if, from a social point of view, a particular reform is considered desirable, then financial considerations have a secondary place. We may well consider the best method and the most suitable steps to bring about that reform, but the

[श्री भैरोंसिंह]

direction should remain the same."

अब इसके बाद में मैं समझता हूं कि ऐसी कोई जटिल समस्या फाइनेन्स के मुतल्लिक भी नहीं आ सकती। अब दो लाइनें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जब वे मद्रास के मुख्य मन्त्री थे, इस समय जो कही उन्हें भी आपको सुनाने का मैं लोभ संवरण नहीं कर सकूंगा। वे भी मैं आपको सुनाता हूँ:

"All talk of loss of revenue is a confusion of words. It is equivalent to saying we sacrifice what we could get by decoying wage-earners and deceiving their wives and children. All this is not argument but God's truth."

माननीय उपाध्यक्ष, इसके बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति कोई खराब होगी तो उसकी इसमें दुहाई की जरूरत रहेगी। मेरे मत के अनुसार तो इससे सरकार की वित्तीय स्थिति कोई खराब होगी नहीं। तो वित्तीय स्थिति के साथ-साथ हमें सैद्धान्तिक स्थिति को भी सामने रखना पड़ेगा। भारत के नैतिक उत्थान का प्रश्न भी हमारे सामने आया है और इसको भी किसी ढंग से सुलझा सकें, इस प्रकार का कोई हल निकालने पर भी हमें विचार करना पड़ेगा और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम जल्दी से जल्दी शराब-बन्दी करें।

यह देखने में आया है कि राजस्थान में ही नहीं; जहां जहां भी इस शराब का प्रचार है वह गरीब मजदूरों में ज्यादा है, बनिये ब्राह्मण, क्षत्रीय आदि पीते हैं पर बहुत कम तादाद इनकी होगी, अधिकतर पीने वालों में निम्न श्रेणी जो गरीब हैं, मजदूर हैं और श्रम से अपनी जीविका चलाने वाले हैं। इन गरीब मजदूरों की अवस्था सुधारने का संकल्प हमें करना है; जो मजदूर हैं उनका उत्थान करना है। हम यह भी देखें कि अमीर कम पीते हैं, अधिक तादाद में वे पीते हैं जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं और जो हमेशा गरीबी के शिकार बने हैं; वे कहते हैं कि शराब व गम गलत होने के लिए पीते हैं पर यह बात नहीं है, शुरु शुरु में ऐसा ही होता है; पर बाद में जाकर यह आदत उनकी बन जाती है और इसके बाद में उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरु हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहां मजदूरों का प्रश्न है, उनकी गरीबी का प्रश्न है, इन प्रश्नों को सामने रखकर हमें इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी है कि हम इस गरीबी को दूर कर दें।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वे इसका विरोध इसलिए करते हैं कि अगर इस प्रकार का कानून बना भी दिया तो इसका कोई बहुत बड़ा हित जनता का नहीं होगा और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि इस कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट न किया जा सके। मैं समझता हूं कि एक

Page No.48

[श्री भैरोंसिंह]

ही लेजिस्लेटर के नाते यदि जिम्मेदारी के साथ इस चीज को सोचें तो हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि राजस्थान की विधान सभा में या लोक सभा में जितने भी कानून बनते है वे रेस्पोन्सिबिलिटि के साथ बनते हैं और इसलिए बनते है कि हम स्वयं ईमानदारी से उन पर अमल करें और दूसरों को अमल करने के लिए ईमानदारी से प्रेरित करें। इस प्रकार की गलत फहमी पहले से ही अपने मन में बना लेना कि इस कानून के बन जाने के बाद भी शराब बन्दी नहीं होगी, लोग नाजायज रूप से शराब बनायेंगे और बेचेंगे और पीयेंगे तो यह कोई सही दलील नहीं है। हमें कानून पर सख्ती से और ईमानदारी से अमल करने पर भरोसा करना चाहिए और इस तरह से यह लचर दलील टिकने वाली नहीं है। लोग शराब पीयेंगे, यह लचर दलील ठहरनेवाली नहीं है। हम यह भी समझकर चलें कि आज की शराब-खोरी के कारण नाजायज शराब बन्द नहीं कर सकते लेकिन नाजायज शराब बन्द करने का कारण एक ही है कि शराब पीना कतई बंद किया जाय। हमारे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है या थर्मामीटर नहीं है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसने नाजायज शराब पी है और उसने जायज शराब पी है। नाजायज शराब को बन्द करने के लिए भी हमें यही सिद्धान्त काम में लाना पड़ेगा कि जिसके मुंह से बदबू आती है कि इसने शराब पी रखी है उसी को सजा दी जाय, जो बनाते हुए पकड़ा जाय, जो शराब पीता हुआ पकड़ा जाय या जिसके पास शराब निकले उसी को सजा दें; तभी यह बन्द हो सकती है। संयुक्त दल के विरोधी पक्ष के नेता ने जो दलीलें दी हैं वे बिल्कुल थोथी हैं। उन्होंने गांधीजी का भी उदाहरण दिया। यदि उन्होंने विधान उठाकर देखा होता और यदि उन्होंने विधान के अनुच्छेद ४७ को देता होता तो जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई रियासत चाहे तो प्रान्त के नैतिक उत्थान के लिए, प्रान्त के निवासियों की तन्दरूस्ती ठीक करने के दृष्टि कोण से बुराइयों को रोकने या शराब बन्दी करना आवश्यक समझे तो महज उस सूरत में दवाइयों के काम आने का प्रोवीजन रखकर ऐसा कानून बना सकती है। मैं समझता हूं इस प्रकार की कोई दिक्कत न जनता के सामने और न सरकार के सामने ही आती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सारे प्रान्त में जल्दी से जल्दी यह घोषित कर दें कि जनता को हमने विश्वास दिलाया है कि सत्तारूढ़ दल ने आज से नही बल्कि सन् २१ से जब कि विदेशी सामान को महात्मा गांधीजी ने जलाया था उस वक्त से लेकर आज तक केवल गांधीजी ही ने नहीं, अन्य नेताओं ने दोहराया था कि जिस वक्त भारतवर्ष में स्वराज्य होगा उस वक्त पहला काम यह गौ-हत्या बन्द करने का होगा और दूसरा काम शराब बन्दी का होगा। गौ-हत्या अब तक होती है। गौ-हत्या और शराब बन्द करने के लिए राजस्थान और सारे भारतवर्ष में आवाज बुलन्द करनी चाहिये। जो कांग्रेस भारतवर्ष में सत्तारूढ़ हुई है वह जन-हित को ही नहीं देखे बल्कि जिन्होंने यह कहा है कि हम इन चीजों को बन्द करेंगे वे अपने घोषणा पत्र को पढ़ें और उसके शब्दों का मनन करें; तो उनकी आत्मा अवश्य कहेगी कि गौ-हत्या बंद करनी है और प्रोहिबिशन को लागू करना है। मैं समझता हूं कि कानून का सार दृष्टि कोण पृथक राजस्व मन्त्रीजी के लिए रखें। यदि हेल्थ पोइन्ट ऑफ व्यू से भी देखा जाय तो मैं डाक्टरों की एक्सपर्ट ओपीनियन जो कि इस पर विशेष जोर देते आये हैं उनकी ओपीनियन आपके

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

सामने रखूंगा। डॉक्टर मुकर्जी, जो बंगाल के गवर्नर हैं, ने इस बारे में क्या कहा है ? यदि आप इजाजत दें तो मैं दो लाइनें आपके सामने पढ़कर बता दूं;

"Alcoholic drink is, in fact, a poison which has a deleterious effect both on the body and the mind. It has been my conviction throughout life that total abstinence from alcoholic beverages is the only road to spiritual, mental and physical health."

कु. श्री जसवन्तसिंह—डॉक्टर मुकर्जी का अभी आपने हवाला दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वे एलोपैथी, होमियोपैथी या आयुर्वेद किस के डाक्टर हैं ?

श्री भैरोंसिंह—वे हर चीज के डाक्टर हैं। उनको एक्सपीरियन्स है।

एक माननीय सदस्य—He is the Doctor of liteature.

श्री भैरोंसिंह—मैं इससे सहमत हूं कि वे डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर है, लेकिन उनको experience है जिसके आधार पर उन्होंने लिखा है। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि हर दृष्टिकोण से जो कुछ विचार मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं वे सारे विचार इस बात की दलील है ! कोई तर्क आता है वह तथ्य के आधार पर नहीं होगा लेकिन महज थोड़े व्यक्तियों के मतलब के आधार पर होगा जो शराब के मोह के नाते यह कहते हैं कि राजस्थान में शराब का निषेध नहीं होना चाहिये, इससे नुकसान होगा। मैं कहूंगा कि इससे नुकसान किसी को नहीं होगा, बल्कि गरीबों को फायदा होगा। जब तक गरीबों को फायदा नहीं होगा, राजस्थान प्रान्त में जो भी रिफोर्म्स हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं वे सब अधूरे ही रह जायंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सदन से और पृथक राजस्व मन्त्रीजी से कि इस प्रस्ताव को मंजूर करें।

डा० श्री मंगलसिंह—उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री ईश्वरीसिंह—(बोलने के लिए खड़े होते हैं)

श्री उपाध्यक्ष—डाक्टर मंगलसिंह पहले बोलेंगे।

डा० श्री मंगलसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, शराब या किसी भी नशीली चीज का प्रयोग करना, सिवाय दवाई के, कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इन चीजों को प्रोत्साहन देना यदि पाप कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं है। यह चीज आदमी के मस्तिष्क को और शरीर को अवश्य खराब करने वाली है। जिस प्रकार से आदमी जब क्रुद्ध होता है और क्रोध के नशे में वह अनुचित

[डा० श्री मंगलसिंह]

कार्य कर बैठता है और कभी कभी वह ऐसा काम कर डालता है जो मनुष्य के लिए उचित नहीं हो तो वैसे ही शराब जब पी जाती है तो उसका क्या असर होता है। बहुत से शराब पीने वाले या उसके समर्थक ऐसा कहते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नब्ज तेज हो जाती है, नब्ज में बल आ जाता है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि हार्ट का संचालन करने के लिए दो नसें होती हैं। जब एक तो हार्ट को जोरदार चलाने में सहायता करती है और एक नर्व वह होती है जो उसको यदि किसी कारण से वह तेज चलता है तो उसको वह कम करती है। तो इस तरह से जैसे हर्ट के ऊपर यह असर होता है वही असर मस्तिष्क के ऊपर होता है। मनुष्य की कमजोरियों को जिस वक्त दबाना आवश्यक होता है उस वक्त लोग शराब या कोई नशा किया करते हैं जो गम को भुलाने के लिए, किसी तकलीफ को दूर करने के लिए या नींद नहीं आने पर नींद लाने के लिए, फिक्र को दूर करने के लिए, इन बातों के लिए लोग नशा किया करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मनुष्य की कमजोरियां हैं और ऐसी नर्व है जो इन कमजोरियों को कब्जे में रखता है और मनुष्य को मनुष्य बनाये रखती है उस नब्ज के ऊपर ऐसा असर होता है कि वे अच्छी तरह काम नहीं करती हैं और नशे में मनुष्य इस तरह काम कर बैठता है जो और मनुष्य नहीं कर सकता। साधारणतया मनुष्य ऐसा काम नहीं करता और ऐसे विचार उसके दिमाग में नहीं आने पाते और ऐसे विचार यदि आ भी जाय तो कार्यरूप में परिणत नहीं होते। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह शराब या कोई नशा किसी समाज में बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो प्रस्तावक महोदय प्रस्ताव लाये हैं उन्होंने ठीक ही प्रस्ताव किया है। यह बात दूसरी है कि समय से पहले यह प्रस्ताव आया है (हियर-हियर) एक समय आयगा जब शराब इस मुल्क में नहीं मिलेगी और न ही इस प्रान्त में मिलेगी।

यह अलबत्ता दवाई में दी जाती है लेकिन वह शराब शराब नहीं कही जाती है। वह दवा के रूप में रोग को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, हार्ट या मस्तिष्क जो किसी कारण से काम नहीं करता हो तो ठीक कर दे, शिथिल हो जाय तो उसको ठीक रखने के लिए, खून सब जगह पहुँच जाय इस बात के लिए काम में लाई जाती है। उस वक्त जो दवाई में इस्तेमाल होती है वह शराब नहीं कही जा सकती। बीमारी को दूर करने के लिए जहर जैसी दवाइयां भी देनी उचित होती हैं। जिस प्रकार किसी का मस्तिष्क खराब हो जाता है तो वह ऐसा काम कर बैठता है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिये, ठीक उसी तरह शराब ऐसा काम कर देती है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए।

अब सवाल यह है कि नशेबन्दी से उत्पन्न स्थिति आने पर आर्थिक कठिनाइयों का प्रबन्ध करना पड़ेगा, यदि उसको कतई बन्द कर दिया। इसका कितना असर पड़ेगा यह सरकार को देखना है। सरकार और इस ओर बैठने वाले सभी लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह चीज बुरी है और बन्द होनी चाहिये। आज नहीं तो कुछ समय बाद। लेकिन यहां उन बातों पर विचार

[डा० श्री मंगलसिंह]

करें और जब समय आवे और जिस समय आर्थिक स्थिति ठीक हो जाय और दूसरे प्रबन्ध के काम हो जायं, उस समय यह विषय जरूर ऐसा है कि जिसे सामने लाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि मेरे मित्र ने यह प्रस्ताव समय से कुछ पहले रख दिया है। इसका समय आवेगा तभी इसको पेश करना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि इसको अच्छा समझता हो।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कई इसे अच्छा समझते हैं।

डा० मंगलसिंह—शराब पीने से शराब पीने वालों के मस्तिष्क की जैसी स्थिति बनती है वैसी ही स्थिति उनके मस्तिष्क की बनी रहती है जो इसे अच्छा समझते हैं।

(हंसी)

जब भी आर्थिक कठिनाइयां और दूसरी कठिनाइयां इसके बीच में हैं, वे दूर हो जांय तभी इसका समय आवेगा और उस समय इस मसले को लेना बहुत जरूरी है।

श्री ईश्वरी सिंह—पहली बात तो मैं आ केणी चाहूं हूं के दारू पीणो चाहे दवाई के रूप में पीवे चाहे इयां ही पीये दोनूं ही तरह सूं दोष है, बुरो है। चोरी अन्याय के साथ दारू ने जोडियो है। दारू पीणों अच्छो होतो तो चोरी अन्यायी भी आछी होती। जिता बड़ा बडा मातमा हुया है वेसे इने बुरी चीज़ बताई है। आ चीज़ आछी होती तो किशनजी कोई चोरी करणे वाला थोडा ही हा, महात्माजी कोई मदिरा पीणे वाला थोडा ही हा। मदिरा ऐसी चीज़ है के ईमें दाम लागे, दोष लागे। तो दाम और दोष लागे इशी चीज़ ने आदमी पीवे है, आ बहुत बुरी बात है। तो महात्माजी ने मानियोडा तुलसी दासजी ने मान लो।

मैं तो आ समझूं हूँ के अगर मद्य निषेध कर दियो जावे, दारू पीणो कानून सूं बन्द कर दियो जावे तो हिन्दुस्तान को आधो सुधार तो हो जावे, और ओ जो प्रस्ताव राखियो है ईं ने पास कर दियो जावे तो राजस्थान को आधो सुधार हो जाय।

मारी राय में तो हरेक राजपूत ने ईं बात को प्रस्ताव पास कर के ईं प्रस्ताव को समर्थन करणे की जरूरत ही क्यूं के ईं दारू सूं कोई को यदि सबसूं ज्यादा नुकसाण हुयो है तो वो राजपूतां को हुयो है। आज १० हजार की आजीविका वालो आदमी है वीं की आजीविका और गेणो वगैरह गिरवी पडिया है। क्यूं पड़ो है के दारू के दोष सूं पडो है। ईं दारू के पीयां सूं न तो शरीर में कोई ताकत आवे और न कोई और फायदो होवे, ईयां की चीज़ के पीयां सूं के फयादा की बात है। तो मैं तो सरकार सूं ओ ही निवेदन करूं हूं के कठा सूं भी फायदो नहीं हो रयो है तो आं की आत्मा की आशीष लाग कर भी गवर्नमेंट को फायदो हो सके है।

[श्री ईश्वरीसिंह]

दारू दवाई को भी कोई काम नहीं करे है । कोई आ केवे के बीमारी के मायने दारू फायदो करे है दवाई को काम करे है तो मैं तो आ कहूंला के दारू तो बीमारी ने बढ़ावे है । यो तो पीणे के वास्ते बहानो ढूंढ लियो । लोगां के बीमारी में दारू फायदो करे है ।

मारी राय में तो बिल्कुल ही इश्यो प्रस्ताव पास नहीं करोगा तो आ सरकार के मर्ज की दवा है । ई मद्य निषेध में कोई तरह को नुक्सान नहीं है, फायदो ही फायदो है । मैं तो आ ही केवूंला के ओ प्रस्ताव जरूर पास कर लियो जाय और जको राजपूत भाई है बांको तो ई कानून के पास करणा सूं बड़ो फायदो है । जो बड़ा जागीरदार है बांके वे लोग जावे और वां ने दारू पावे तो फेर अगर वे जागीरदार या बड़ा आदमी बांके अठे आ जावे तो बांने भी शरम का मारिया दारू पावणो ही पड़े और गेणा ने गिरवे रख ने वां ने दारू पावणो पड़े और ई तरह सूं बां ने सारी जिंदगी दुखः सूं बिताणी पड़े ।

तो ओ प्रस्ताव जरूर आज को आज पास हो जाणो चाहिजे । जका लोग केवे है के ई को समय आवेगो तब पास कियो जावेगो तो मैं आ केणी चाहूं हूं के जका आदमियां समय आण की बाट देखी है वां को समय कदे ही नहीं आयो । तो समय को कोई आगाने आगडो नहीं ।

तो ओ प्रस्ताव पास हो जाय तो ठीक है ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, मद्य-निषेध का जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है इसके सम्बन्ध में अनेकों सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी आपके द्वारा सदन के सामने अपने विचार इस पर उपस्थित करना चाहता हूं । किसी भी चीज़ की उपयोगिता, उपादेयता और हेयता तीन दृष्टिकोणों से होती है; धार्मिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और नैतिक दृष्टिकोण से ।

अभी हमें मद्य-निषेध के प्रस्ताव, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, के सम्बन्ध में विचार करना है । मद्य धार्मिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकता है, इसके सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता ने कहा है कि दुर्गा की पूजा में यह आवश्यक है ।

भगवती दुर्गा कहती है :

"गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम् ।

मयि त्वया हतेऽत्रैव गर्जिष्यत्याशु देवता :॥"

मूढ गर्ज, गर्ज तब तक गर्ज जब तक कि मैं शराब नहीं पी लेती ।

"मयि त्वयाहतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता :।"

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

जब तक तुम मुझ से मारे नहीं जावोगे तब तक तुम गरजो, जब मैं शराब पी लूंगी तो तुमको नष्ट कर दूंगी; उस वक्त देवता लोग गर्जेंगे।

इसी प्रकार सुरा मांस आदि से दुर्गा की पूजा लिखी गई है :

(अश्रव्य)

बलि मांस और सुरा से जो पूजा की गई है :

(अश्रव्य)

मांस और शराब से जो पूजा बताई गई है वह ब्रह्मणों के लिये वर्जित है। इसका कारण यह है :

(अश्रव्य)

ब्राह्मण सात्विक वृत्ति के होते हैं, वे सात्विक उपासना करते हैं, तामसिक उपासना उनके लिये विहित नहीं है। किसी जाति विशेष के लिये नहीं, राजसी और तामसी देवी की उपासना करने वाले हैं उनके लिये हो सकता है। उनके लिये यह उपादेय है और अगर हम सत्व की उपासना करना चहते हैं तो हमारे लिये इसकी हेयता ही ठीक होगी।

दूसरी बात यह है कि शराब के सम्बन्ध में दोष बताये हैं। मनु ने शराब को दूषित बताया है। इसका कारण यह है कि शराब के संबन्ध में यह कहा जाता है कि जितना गुण इसमें है उतने ही गुण जहर में है। यानि जितना नुकसान शराब करती है उतना ही जहर करता है और जिस किसी चीज़ का जैसे हम अनुचित उपयोग करते है वह चीज़ हमारे लिये घातक हो जाती है और शराब भी ज्यादा तादाद में काम ले लेने पर घातक हो जाती है। इससे भयंकर रोग हो जाते हैं। शराब ऐसी भी चीज़ है जो कम मात्रा में ली जावे तो वह अमृत भी हो जाती है; परन्तु इसमें गुण हैं, मगर इसका ज्यादा प्रयोग किया जावे तो यह प्राणों को नष्ट कर देती है। इसी तरह शराब ज्यादा ली जावे तो प्राणों को नष्ट कर देती है, युक्ति-युक्त ली जावे तो फायदा करती है। जिस प्रकार विरोधी दल के नेता ने कहा कि दवा और दारू। शराब ही दारू है और वह औषध का काम करती है और इसीलिये उन्होंने इसका विरोध किया, मगर यह मेरी दृष्टि में उचित नहीं है चूंकि मद के संबन्ध में यह कहा गया है कि बुद्धि को बढ़ाने वाला है, प्रीति को बढ़ाने वाला है। लेकिन यह पहले दर्जे का मद है उसमे यह गुण बताया गया है, लेकिन तीसरे दर्जे के शराब में ये दोष बताये हैं।

तीसरी अवस्था में जब कोई व्यक्ति आता है और वह जो खाने की चीज़ है उसको हजम नहीं कर सकता और उससे उसको संग्रहनी हो जाती है। जो चीज़ अपने हृदय में रखनी चाहिये, जो अत्यन्त गोपनीय चीज़ होती है वह उसको शराब के नशे में दूसरे को प्रकट कर देता है और अस्तव्यस्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिये शराब पीने की जो आदत है वह बुरी है। शराब में इसके गुणों की अपेक्षा दोष ज्यादा हैं। जिस चीज़ में गुणों के बजाय दोष ज्यादा हों वह किसी काम की चीज़ नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के

[श्री रूपनारायण शास्त्री:]

अन्दर सबसे अच्छी चीज़ है और मनुष्य के शरीर में उच्च कोटी की चीज़ है, वह बुद्धि है और यह शराब उस बुद्धि पर अपना असर करती है और इससे वह गोपनीय बात दूसरों को कह देता है और जब वह मद पी लेता है तो वह बुद्धि को खो देता है, जो चीज़ बुद्धि को नष्ट कर देती है जो मनुष्य शरीर में उच्च कोटी की चीज़ है, उसको अपनाना ठीक नहीं। इसके अलावा शराब अपने ही दोषों को नहीं रखती है, वह और भी कई रोग अपने साथ लाती है। वह अनेक रोगों को अपने साथ ले कर आती है। मैं इसके संबन्ध में एक छोटा सा दृष्टान्त देता हूं। एक राजकुमारी ने यह चाहा कि मैं किसी याचक को अयाचक बना दूं। इस आशय से वह गंगा के तट पर गई और उसने वहां पर एक भिक्षुक को देखा जो बहुत गरीब था। उसके बराबर कोई दूसरा गरीब आदमी नहीं था। उसके फटी हुई गुदड़ी थी और वह ढीली थी।

राजकुमारी ने भिक्षुक से कहा कि तुम्हारी गुदडी ढीली है, तुमको इससे सर्दी लगती होगी; तो उसने कहा :"भोली राजकुमारी यह मेरी गुदडी नहीं। जिसको गुदडी समझ रहे हैं यह मेरा मछली पकडने का जाल है।" उसको बड़ा अचरज हुआ और ग्लानि हुई। उसने पूछा क्या तुम मछली भी पकड़ते हो। उसने कहा मच्छी क्या पकडता हूं, मैं शराब भी पीता हूं और शराब पीने वाले को अगर मांस नहीं मिलता तो उसको रोग हो जावेंगे, उसको कई रोगों का सामना करना पडता है। राजकुमारी ने पूछा कि तुम मांस भी खाते हो तो उसने कहा मांस का खाना ही शराब का एक कारण होता है। तब राजकुमारी ने कहा शराब पीते हो तो उसने कहा शराब ही क्या वैश्यागमन भी करता हूं और वैश्यागमन करने वाले को शराब पीना बहुत जरूरी हो जाता है। (हंसी) जब उसको यह कहां गया तो उसको बहुत ही बुरा लगा और कहा कि क्या तुम वैश्यावृत्ति करते हो। वैश्यावृत्ति ही क्या मैं चोरी भी करता हूं। उसने कहा चोरी क्यों करते हो। तब उसने कहा कि जूवा खेलता हूं और जूवा में धन की जरूरत रहती है और जब धन नहीं मिलता तो चोरी करता हूं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन सब की जड़ है वह शराब है इसलिये इसको नैतिक पतन की दृष्टि में लिया जाता है तो सब बातें गौण रह जाती हैं....इस कानून के पास होने से अस्तित्व तो नहीं चला जावे। कैकई ने ऐसा कह दिया था (अश्रव्य) मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और मेरे राज्य में कोई शराब पीने वाला नहीं, मेरे राज्य में कोई चुगलखोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई बिना अग्निहोत्र करने वाला नहीं रहता और मेरे यहां कोई व्यभीचारी पुरुष नहीं, जब पुरुष व्यभिचारी नहीं तो कोई भीतों से टकरायगे तो नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा ऐसा राज्य तो है ही नहीं तो अगर शराब कानून के जरिये बन्द हो जावे तो यह सर्वत्र बन्द हो जावेगी और जिनको देवी की उपासना करनी होगी उसको किसी तरह से मिल जावेगी, उनको आज ही इस बात की चिन्ता की जरूरत क्या है?

अब रहा आर्थिक दृष्टि कोण। इसके लिये हमें चिन्तित होने की जरूरत नहीं, अर्थ के लिये मैं कहता हूं कि शराब के पीने से कोई अर्थ ज्यादा लाभ नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट जिसके हम

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

अंग हैं अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो हमारा अस्तित्व बेकार हो जावेगा और गवर्नमेंट का आर्थिक दृष्टि से खराब होना हमारा खराब होना है। यह भी बिल्कुल ठीक है परन्तु हमारी गवर्नमेन्ट की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, यह मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आंकडों के साथ व्यक्त कर दिया है कि गवर्नमेंट को कोई नुकशान नहीं होने वाला है। फायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। अगर कोई नुकसान रह भी जावे तो ऐसे नुकसान को गवर्नमेंट को बर्दास्त करना चाहिये।

क्योंकि अन्याय से इकठा किया हुआ जो पैसा है वह हमें नुक्सान में डालने वाला है उससे हमारी अभिवृद्धि नहीं होने वाली है। शराब से जो पैसा आने वाला है या आ जाता है और उससे जो सरकार कार्य करती है वह सफलीभूत भी नहीं होती।

(घंटी)

मैं यह कहता हूं कि शराब में पैर रखा है और फिर पैर को धोओ, यह कदापि नहीं होना चाहिए। पहले ही हम बुराई का पैसा क्यों लें? इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी इस पैसे को नहीं रखना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का इस दृष्टि से भी समर्थन करता हूं।

(घंटी, पुनः घंटी)

राजनैतिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं है।

(घंटी)

मैं एक मिनिट में ही इसको समाप्त कर देता हूं। प्रत्येक आदमी जानता है कि शराब पीने वाला पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी....(अश्रव्य)
तीसरे और चौथे दर्जे के जो व्यक्ति हैं उनके लिए.......(अश्रव्य)

(हंसी)

तो शराब एक ऐसी चीज़ है जो राजस्थान के लिए हानिकारक है। इससे राजस्थान की उन्नति नहीं हो सकती।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्रीमती यशोदा देवी—'विनाश काले विपरीत बुद्धि'; किसी राज्य में या किसी परिवार में, किसी घर में, किसी जाति में अगर विनाश का मौका आता है तो उसकी पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं कहती हूँ कि इसी तरीके से राजस्थान सरकार की जो बुद्धि है वह भी भ्रष्ट हो

[श्रीमती यशोदा देवी]

गई है । अगर यह प्रस्ताव मेरे माननीय सदस्य जो इधर बैठे हैं उसके विपरीत यदि उधर बैठने वाले किसी माननीय सदस्य द्वारा रखा जाता तो मैं तो यहां तक मानती हूँ, वह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता । चोरी, भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और यहां तक कि हमारे राज्य में माताओं और बहिनों का रात-दिन सतीत्व नष्ट करने का एक मात्र साधन मद्य है और उसको बन्द करने का जो प्रस्ताव राजस्थान सरकार के समक्ष रखा गया है उसके विपक्ष में विरोधी दल वालों ने भी कहा है । किन्तु मैं कहती हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है और यदि सरकार मद्य-निषेध नहीं करती है तो राजस्थान सरकार के लिए यह बेशर्मी की बात होगी और उसको इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा ?

(करतल-ध्वनि)

कि राजस्थान सरकार ने यह किया ।

आपको मालूम नहीं है माननीय उपाध्यक्ष; आप उन माताओं और बहिनों से पूछिये जो जागीरदारों के घरों में रहती हैं । उन घरों को जाकर देखिये जहां कि लोग नशा करके घरों में जाते हैं । वे राजस्थान सरकार को धिक्कारती हैं कि रात-दिन जो शराब पीकर जाते हैं उनको सरकार बन्द नहीं कर सकती । हमारे नन्हे २ बच्चे रात-दिन भूख के मारे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं । एक नौकरी करने वाला कर्मचारी, जिस दिन उसको वेतन मिलता है, घर जाते वक्त मदोन्मत्त होकर जाता है । वह आधा पैसा जेब में डालेगा और आधा पैसा शराब में उड़ायगा । अभी मेरे माननीय सदस्यों ने बताया कि कुत्ते उनके मुंह चाटते हैं, वे ठोकरें खाकर रास्ते में गिर पड़ते हैं, लोग जेबों से पैसा निकाल लेते हैं, और स्त्री रास्ता देखती रहती है ; महीना भर हो गया अमुक चीज खुट हो गई, अमुक वस्तु नहीं है । तनख्वाह आवेगी सारी गृहस्थी की चीजें घर में आवेंगी । किन्तु होता क्या है ? सारा पैसा शराब में चला जाता है । स्त्री कहती है तो उस पर डंडे बरसते हैं ; पड़ी रहती है, फटे कपड़े रहते हैं, मैले कुचैले कपड़े रहते हैं । ऐसी हालत में भी उनको शर्म नहीं आती । शराब के बाद पैसे बच गये तो वे सीधे जाते हैं वेश्याओं के पास । वे भी हमारी माताएं और बहिनें हैं किन्तु उनकी पहले आर्थिक हालत खराब होने से उन्होंने वेश्यापना अपनाया । मैं कहती हूँ, माननीय उपाध्यक्ष, कि इन विनाशकारी चीजों को बन्द करना चाहिए । राजस्थान सरकार अगर रोड़े अटकाए तो मैं कहती हूँ कि राजस्थान सरकार को धिक्कार है । यदि यह बन्द होगा तो ये अत्याचार नहीं होंगे, यह भ्रष्टाचार बन्द होगा,

(करतल-ध्वनि)

माताओं-बहनों का जो सतीत्व नष्ट होता है, वह बन्द होगा । केवल शराब के कारण ही ये होते हैं । अतः माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहूंगी कि अगर राजस्थान सरकार जनता की भलाई चाहती है, राजस्थान सरकार माताओं और बहिनों की तरफ देखती है, तो वह शराब-खोरी से बचाये, शराब खत्म करे और उसके एवज में छोटे २ उद्योग-धन्धे माताओं और बहिनों के लिए जुटाये और उन्हें साधन दे ।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, अभी बहुत से माननीय मित्रों ने मद्य-निषेध के सम्बन्ध में अपने अपने विचार प्रकट किये। जहां तक मद्य-निषेध के विषय में विचार प्रकट करने का सवाल है बहुत आसान है कि शराबखोरी बन्द हो। इसमें कोई जोर नहीं आता है। लेकिन उमर खय्याम और बच्चन को अगर हम बिलकुल भूल जांय तो मैं अर्ज करूं कि न्याय नहीं करेंगे उनके साथ और उनकी महत्वपूर्ण कविताओं के साथ।

श्री वेदपाल त्यागी--कवि की जो उड़ान है आप उसमें न उड़िये।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—(क्रम में) तो मैं अर्ज करूं कि शायद वे माननीय मित्र जो मद्य-निषेध करना चाहते हैं और जिन्होंने मद्य-निषेध के बारे में बहुत सी बातें कहीं वे करेक्ट कर लें अपने आप को। उन्हें ये शब्द याद हो जांय जो इस प्रकार हैं:

"बिना पिए जो मधुशाला को,
बुरा कहे, वह मतवाला।
पी लेने पर तो आयगा,
पड़ उसके मुंह पर ताला।।
देश द्रोहियों दोनों में है,
जीत सुरा की, प्याले की।
विश्वविजयिनी बनकर जग में
आई मेरी मधुशाला।।"

श्री भैरोंसिंह—(डि० नं० १६) यह सुझाव तो महात्मा गांधी के सामने रखा होता आपने।

श्री श्रीदास गोयल (क्रम में)—तो मैं अर्ज करूं कि मधुशाला में यह सोम-रस है। इसका आनन्द जिन्होंने लिया है वे जान सकते हैं और वे इसके लिए कोशिश कर सकते हैं।

(हंसी)

हम जैसे व्यक्ति या तो इसका विरोध करके बातें कह लें या बच्चन और उमर खय्याम की कविताओं को पढ़ कर रसास्वादन कर लें। असल रस तो हमारे कुंवर साहब फरमा सकते हैं जिन्होंने डाक्टर साहब के फरमाने के वक्त में बार-बार अपनी विचारधारा को प्रकट करने का प्रयत्न किया।

[श्री श्रीदास गोयल]

अब मैं एक बात और इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि बच्चन ने यहां तक ही नहीं कहा किन्तु प्रकृति व भगवान सूर्य को और भी अच्छे ढंग से मधुशाला में लाकर विराजमान किया है। वे कहते हैं आगे कि :

"सूर्य बने मधु का विक्रेता,
सिन्धु बने घट, जल, हाला,
बादल बन बन आए साकी,
भूमि बने मधु का प्याला,

झड़ी लगाकर बरसे मदिरा।
रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम कर
बेलि, विटप, तृण वन में पीऊं,
वर्षा ऋतु हो मधुशाला।"

श्री वेदपाल त्यागी—आपके पास एजेन्सी तो नहीं है ?

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—मैं सपोर्ट करता हूं उन मित्रों को जिन्होंने उमर खय्याम और बच्चन के रास्तों को अपना रखा है।

इस बात का अभ्यासी तो नहीं हूं।

अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं।

श्री भैरू सिंह (वि. सं. १६)—उपाध्यक्ष, महोदय अब तक जो बातें आपने कही थीं वे बेकार की हैं इसलिये उसकोउहा स की प्रोसीडिंग में से काट दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—अब मैं असली चीज पर आ रहा हूं। वास्तव में हमारे धर्म-शास्त्रों में सब से बड़ा स्थान गीता का है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अपनी गीता को ध्यान में रखते हुए उसी भावना में अपने आपको ओतप्रोत करना चाहिये। श्री मद्भागवद्गीता में तीन प्रकार के आहार का जिक्र किया गया है सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। इसमें शराब का जिस आहार में जिक्र है वह तमोगुणी आहार है। यह तो बहुत साफ चीज है जैसा कि बहनजी ने फरमाया; वास्तव में मनुष्य को राक्षस बनाने में शराब का ही प्रमुख स्थान है। मनुष्य को राक्षस बनाना हो तो उसको शराब का आदि बना दीजिये। यह वह चीज है जिसको पीकर मनुष्य स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी

Page No.59

[श्री श्रीदास गोयल]

मारता है। इसकी नजीर एक नहीं हजारों हैं। इसके फन्दे में फंसे हुए लोगों के घरबार बरबाद होते देर नही लगती है। ऐसे घर भी देखे हैं जहां छोटे-छोटे बच्चों को बिलखते हुए और औरतों को रोते हुए देखा है। उनके लिये यह कितने महत्व का रिजोल्यूशन हो सकता है। यह तो वे ही कह सकते हैं। इस प्रस्ताव को मन्जूर करने में सरकार को आर्थिक कठिनाइयें आ सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के आने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम आर्थिक कठिनाई के कारण इसको मन्जूर नहीं कर सकते। इस आर्थिक कठिनाई का यह मतलब नहीं कि हम, लोगों को शराब पिला पिला कर, उनको पागल बना बनाकर उनसे पैसा वसूल करें। यह रास्ता जो है वह इस सरकार के लिये शोभा का नहीं है। हमें रास्ता वह अपनाना है जो जनहित का रास्ता हो, वह रास्ता हो जिसमें मनुष्य का उत्थान हो। जब हम यह मानते हैं कि जनता को सही मार्ग पर ले जाना सरकार का काम है तो हमारी सरकार को ऐसे खानपान को मिटाना चाहिये जिससे जनता का नैतिक स्तर गिरता हो। माननीय डाक्टर साहब ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहीं और साथ में वे भूतपूर्व मत्स्य के मिनिस्टर भी रह चुके थे, इसलिये उन्होंने फाइनेन्स की भी कठिनाई बतलायी। जैसा कि मैंने अर्ज किया फाइनेन्स की कठिनाई बतलाना इस बात के लिये गालिब नहीं। आज भारतियों की जो दयनीय दशा इसके कारण हो गई है, जो चीज आज भारतियों को जिस दुरवस्था में ले जा रही है उनके लिये यह प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है यह वे ही जान सकते हैं। आज यह कहा जाता है कि इसके बन्द हो जाने से दवा के लिये भी मिलना दुर्लभ हो जायगा? मेरा यह निवेदन है कि जहां तक दवा के रूप में इसको लेने का सवाल है इसको किसी तरह वान्छनीय तो नहीं कहा जा सकता किन्तु उसको क्षम्य तो अवश्य कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग ठर्रा पीते हैं, बोतल की बोतल पी जाते हैं और गटर में पड़े रहते हैं और जिनका मुंह कुत्ते चाटते रहते हैं और जो अपनी बीबियों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्या यह अच्छा रास्ता आप समझते हैं? कदापि नहीं। इसको कोई भी सरकार पसन्द नहीं करेगी। ऐसी हालत में मैं यह अर्ज करूंगा कि जो शराबबन्दी किये जाने के लिये प्रस्ताव लाया गया है यह समयोचित चीज है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। बंबई में भी इस प्रकार का कानून लागू है और भारत के अन्य प्रान्त भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए यह सही जान पड़ता है कि इस रिजोल्यूशन को स्वीकार किया जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इस मौके पर आप गीता का भी श्लोक पढ़ दीजिये।

श्री लालबहादुर—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अलग अलग वार्ता की है। शास्त्रीजी ने यह बतलाया कि यह धर्म की चीज है और इसको पूजा करने के काम में लाया जाता है, यह दुर्गा मातेश्वरी के भेट चढ़ाई जाती है एवं दुर्गा के उपासकों के लिये इसको पीना जरूरी है। साथ ही साथ शास्त्रीजी ने कुछ थोड़ा सा विरोध भी किया। उसके लिये एक शेर सुना देना चाहता हूं:

[श्री लाल बहादुर]

"लुत्फ मैं तुझ से क्या कहूं,
ना जाहिर होय कमबख्त तू ने पी ही नहीं है।"

इसका मजा क्या है ? यह धर्म का सवाल है। कोई कहता है कि यह धर्म में बाधा डालने वाली चीज है। इसके लिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि शराब लहवा उठाकर बनाई जाती है। मेरे पड़ोस में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे जहां से आये हैं उनकी कॉन्स्ट्टीट्एन्सी में इसकी डिस्टीलरी है; जहां पर महुआ सड़ाने के बाद इनके रस को सड़ाकर शराब बनाया जाता है।

इसी प्रकार जामुन और सांठे के रस को सड़ा कर सिरका बनाया जाता है ; जिसको पेट के हाजमे को ठीक करने के लिये लोग पिया करते हैं बोतलें की बोतलें। तरीका वही है जो शराब बनाने का होता है। शराब भाप के साथ उड़ाई जाती है ; शराब भाप उड़ाकर बनती है। शराब पीने में कोई पाप नहीं है और इसको पीने से धर्म में भी कोई बाधा नहीं पड़ती जैसे किसी ने कहा है

"पंख गुलाब का है
कोई हराम चीज नहीं है मन भर के पी।"

इसलिये यह विरोध करने के काबिल चीज नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त इस संसार की रचना हुई, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया उसमें से १४ रत्न निकले; उनमें से शराब भी एक रत्न था। उन सारी चीजों का बटवारा हुआ और सुरा को हम जैसे ठेकेदारों ने असुरों को दिया जिन्होंने बहुत वीरता के साथ कई संग्राम जीते और फतह हासिल की। वीरता दिखाने वाले के लिये शराब पीना जरूरी है, यह इस बात का प्रमाण है। आज भी बम्बई सरकार ने, हालांकि शराब बन्दी कर रखी है किन्तु जितने भी मिलिटरी के आदमी रहते हैं उनको एक एक पैक शराब का मिलता है। अगर वह दिया जाता है तो उसको बन्द करना चाहिए था किन्तु भारत सरकार भी उसके लिये यह आवश्यक समझती है। एक माननीय बहनजी ने जिस तरह से इस सरकार को धिक्कार दिया और कोसा है यह तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिये कोई एतराज नहीं कर सकता। उन्होंने अपने स्वभाव के मुताबिक ही बातें कही हैं। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि शराब में कोई हानि नहीं होती है। रावण ने चारों वेदों का भाष्य किया है, इसी शराब के नशे में ही किया है। उसके भाष्य में आज तक कोई गल्ती नहीं निकाल सका है। हालांकि भगवान राम ने उसका बध किया, अन्य किसी कारण से किया है, लेकिन शराब पीकर चारों वेदों का जो भाष्य उसने किया है आज तक उस प्रकार का भाष्य बनाने की ताकत किसी ऋषि-मुनि में भी पैदा ही नहीं हुई है।

मिर्जा गालिब ने एक बार शराब के नशे में कोई मिसरा लिख दिया था। उसको पूरा करने के लिये जब उसके शिष्य ने उसको दुबारा कहा तो मिर्जा गालिब जवाब देते हैं·

"कमबख्त जिस शरूर में मैंने लिखा था उसका असर जाता रहा, जब वह शरूर आयेगा तो यह मिसरा पूरा होगा"। वह मिसरा उसने शराब के नशे में ही लिखा था।"

[श्री लालबहादुर]

दूसरी नजीर में आपके सामने शहन्शाह अकबर की रखता हूं। उसने हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानों को एक नजर से देखा और हिन्दुओं के साथ रिश्तेदारियां भी कायम की थीं। उसका वजीर-ए-आजम बीरबल था जो शराब पीता था। शराब के दो मायने होते हैं 'शरे-आब' और शराब का दूसरा नाम था दारू। दवा यानि मेडिसिन को दारू कहते थे। बादशाह ने एक दफा बीरबल को पूछा, "ओ बीरबल, क्या तुम शराब पीते हो?" उसने जवाब दिया, "हजूर, मैं तो दारू पीता हूं।" एक दिन बादशाह छिपकर उसके मकान गये। उसको दारू पीते हुए जितना पेक उसको पीना चाहिए था उतना ही अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए उसको लेना पड़ता था। उतना पेक पीने के बाद उसने बादशाह से कहा, "हजूर, यह शराब नहीं है यह दारू है।" बादशाह यह देख कर शर्मिंदा हुए कि यह शराब नहीं पीता यह तो दारू है। इन सब नजीरों से यह साबित है कि यह कोई खराब चीज नहीं है। यह भी कहा गया कि यह दिमाग को खराब करती है। यह है कि हर चीज को अति पीने से खराबी पैदा होती है। कुछ मजदूरों के लिये यह कहा गया कि वे अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा इसमें खर्च कर देते हैं और घर रुपये पीछे चार आना भी नहीं ले जाते। माननीय उपाध्यक्ष, ऐसे भी मेरे भाई मोजूद हैं इस दुनियां में जो अपनी मजदूरी पाते हैं और उस मजदूरी में से आधी से अधिक की मिठाई नमकीन और चाट आदि खा-पी जाते हैं और जो थोड़ा बहुत बचता है उससे उनके परिवार का पालन-पोषण नहीं हो सकता और अन्त में उनके बाल-बच्चे भी भूखों मरते हैं। तो इससे तो फिर यह होना चाहिए कि मिठाई पर भी पाबन्दी लगा देनी चाहिये।

(हंसी एवं करतलध्वनि)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो एक बू आ रही है वह बू भी इसमें सौतेलेपन की आ रही है। एक आदमी भंग पीने का शौकीन है, गांजा भी बहुत लोग पीते हैं और इसी तरह से दुनियां भर के नशे भी वे करते हैं। तो इन सबको आप बर्दाश्त करते हैं, एक बिचारी शराब को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यह भेदभाव का बर्ताव उचित नहीं है और इसी कारण से मैं इसका विरोध करता हूं। अगर यह प्रस्ताव इस तरह से आता कि दुनियां में जितनी नशे की चीजें हैं उन सब की नशाबन्दी का यह कानून बनता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस कानून का जोर से समर्थन करता। तो ऐसा लगता है कि इसे फूटी आंखों से, एक आंख से देखा गया है, दोनों आंखें खोल कर इस शराबबन्दी के कानून को नहीं देखा गया है।

(हंसी)

एक महोदय ने यह बतलाया, कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके कि आधी से अधिक आमदनी सरकार की इस शराब से होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आधे से अधिक लोग शराब के

(श्री लालबहादुर शास्त्री)

पीने वाले हैं। तो आज के इस डेमोक्रेसी के जमाने में शराब पीने वालों की तादाद ज्यादा है। इस तरह से भी यह साबित होता है कि बहुमत शराब पीने वालों का है और इस डेमोक्रेसी के जमाने से बहुमत की मर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिये।

(हियर -हियर)

श्री भैरोंसिंह— तो यह हुकूमत भी क्या शराबखोरों की है ?

श्री लालबहादुर— मेरा यह अन्त में कहना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मैं उधर बैठने वाले मेरे दोस्तों से भी यही कहना चाहता हूं। आज हम सभी १६० सदस्य, जो यहां राजस्थान भर से चुनकर आये हैं, को यह सोचना है और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अगर हम वास्तव में शराब को बुरी वस्तु समझते हैं तो इसके लिए हमें जनता को तैयार करना चाहिये, जनमत पहले बनाना चाहिये कि शराब बुरी वस्तु है, इसे नहीं पीना चाहिये। अगर यह जनमत हमने तैयार कर लिया तो सब हमने कर लिया, फिर सरकार बावली नहीं है कि वह शराब बनाकर बाजार में बेचेगी। तो माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत में सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। गुलामी के वे दिन अब हमें भूल जाने चाहिये जब कि हम गुलामी के दिनों में हमारे अंग्रेज महाप्रभुओं की चरण- पूजा में ही अपना फर्ज समझते थे और गुलामी में ही अपनी सार्थकता समझते थे। आज हम उस गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं। हमें आज नैतिकता अपने में पैदा करनी चाहिये और शराब में जो जो दुर्गुण हैं वे हमें जनता को बताना चाहिये और हर व्यक्ति को यह कहना चाहिये कि इसमें ये ये दुर्गुण हैं, तुम शराब मत पीवो, इसमें यह नुकसान है और अगर आपने अपनी इस जिम्मेदारी को समझकर काम करना शुरु किया तो जनता शराब पीना छोड़ देगी और आपकी मंशा जो आज है वह इस प्रकार स्वयं ही पूरी हो जावेगी। इसके बाद अगर इस प्रकार का कानून लावेंगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी— माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो जगतसिंहजी ने प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सब लोग इस पर बोले। किसी ने इसका समर्थन किया और किसी ने विरोध। पर उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि ये जो इसका समर्थन करने वाले, या विरोध करने वाले हैं ये स्वयं कितने ऊंचे दर्जे के आदमी हैं ? एक बात।

(हंसी)

और दूसरी बात, सरकार इसको बन्द करे यह तो मैं मानता हूं। बम्बई और मद्रास में जब इसके लिए कदम उठाया तब भारत सरकार ने भी इसका विरोध किया था और बम्बई सरकार

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

को कई बार लिखा भी था, दबाव भी डाला और कहा था कि यह शराबबन्दी मत करो। परन्तु बम्बई सरकार के जो मिनिस्टर थे और जो एम० एल० ए० थे उनमें प्रजातन्त्र की भावना थी, इसलिए उन्होंने डटकर भारत सरकार के इस विरोध का भी सामना किया, दुनिया भर के विरोधियों का सामना किया और अपने निश्चय पर अटल रहे और आखिरकार शराब- बन्दी करके ही छोड़ी। परन्तु आज इस राजस्थान सरकार में इतनी दृढ़ इच्छा- शक्ति कहां कि वह इसे कर सके । वे तो फिजूल खर्चा जरूर कर सकते हैं, पर ऐसा काम करते समय रुपये के अभाव की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं। एक मिनिस्टर बम्बई से एक काम के लिये आता है तो वह वहां से हवाई जहाज से दिल्ली आता है और दिल्ली में जयपुर से कार मंगाता है और वहां से कार द्वारा जयपुर आता है, तो इस पर बम्बई के मिनिस्टर कहते हैं कि भाई तुम्हें तो बहुत पैसा मिलता है । यहां मोटर मंगाकर दिल्ली से जयपुर पहुंचते हो। तो इस तरह के जब राजस्थान के मिनिस्टरों के और एम- एल. ए. लोगों के कारनामे हैं तो शराब कैसे बन्द होगी इनसे। (हंसी) वह शराब बन्दी तभी हो सकती है जब तक कि इन मिनिस्टरों में और एम. एल. एज़. में आत्म विश्वास की भावना न पैदा हो जावे। आपके आबू आज तक हाथ नहीं आ सका । तो आप क्या शराब बन्दी करेंगे? (हंसी एवं तालियां) अगर आप लोगों की आत्मा मजबूत होती, आत्मा में प्रबल भावना होती और अगर आप कमजोरी नहीं दिखाते तो बम्बई गवर्नमेंट क्या,भारत सरकार भी आपके सामने आकर आबू आप को देती। पर आप कमजोर आदमी हैं। भारत सरकार के सामने थोड़ा सा धमकाने पर ही हार मान लेते हैं, झुक जाते हैं, और उनके सामने नाक रगड़ने लग जाते हैं, जैसा वे कहते हैं, मान लेते हैं। आप चाहें तो मैं ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ।

दूसरी बात यह है कि आज राजस्थान सरकार कहती है कि उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन खराब है। परन्तु मैं इस सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब नहीं है। इसे तो स्वयं हम लोगों ने खराब कर रखी है और वह कैसे खराब कर रक्खी है यह मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। आज इस राजस्थान सरकार के अन्दर जो लोग बैठे हैं वे दूसरों के आधार पर चलते हैं, दूसरों के कहे कहे चलते हैं और वे दूसरे लोग जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से यह सरकार चल रही है। यह मैं आपको बताऊं कि आज बिजली के अन्दर छः-छः वर्षों से जो रुपया लोगों में बकाया है वह वसूल नहीं किया जा रहा है, करीब पचास लाख रुपया सेठों और पूंजीपतियों में बाकी है। गंगानगर की जो एक गन्ने की फैक्ट्री है. उसमें आठ लाख रुपया बाकी है और २५ लाख रुपया और देने की सिफारिश की है। इन्डस्ट्रियल सेक्रेटरी के पास इसके कागज हैं और ११ लाख रुपये के शेयर लिये हुये हैं। एक बार आठ लाख रुपया ले लेते हैं और इसके बाद में २४ लाख की पूर्ति कर देती है। आज वह मिल बीस लाख रुपये की भी नहीं है और राजस्थान सरकार का १६ लाख रुपया बाकी है और २५ लाख और दिलवा दिया। तो फिर इस तरह से कैसे यह सरकार चल सकती है? मैं मिनिस्टरों से और इन सेक्रेटरियों से पूछना चाहता हूं कि

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

इन बातों का जवाब दें। इसमें किनकी गलती है, यह साफ साफ बताएं कि सरकार की फाइनेन्शियल पोज़ीशन कहां खराब है।

(हंसी)

इसमें गलती किसकी है ? मैं फाइनेन्स की बात बता रहा हूं और दूसरी बात यह है कि आज उस माइनिंग विभाग की बड़ी बुरी हालत कर रक्खी है। अगर कोई यह दावा करे इन मिनिस्टरों में से कि मुझको फेक्ट दे कोई, तो मैं उन मिनिस्टरों से चैलेन्ज के साथ कहता हूँ कि इस बारे में मैं कितने ही फैक्ट्स दूं उन्हें। ढेर हैं फैक्ट्स के। अगर उनमें हिम्मत है उनकी जांच करके दूर करने की, तो वे बोलें। मैं उन्हें जितने चाहें फैक्ट दे दूं। दस लाख का, हर साल का नुकसान तो एक आइटम में ही सरकार को हो रहा है; इस माइनिंग विभाग की करतूतों से। मुल्तानी मिट्टी जो है उसको कोई देखने वाला नहीं और पचासों इस तरह के फैक्ट्स हैं जिनको लिखकर देने को मैं तैयार हूं। पर राजस्थान सरकार कुछ करे तो सही। फिर एक वह है हीरालाल पाटनी जिसमें १८ लाख बाकी है और एक रुपया देने को कोई जिम्मेदार नहीं और इस शराबबन्दी के मामले में कह दिया कि सरकार की फाइनेन्शियल पोज़ीशन खराब है ? मैं यह भी कह सकता हूं कि आज सरकारी मशीनरी में बेईमान आदमी ज्यादा भरे हुये हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि उधर के ही लोग ऐसे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं। ये सब लोग भी शामिल हैं उनमें। सभी लोग हम शामिल हैं इनमें; यह नहीं कि अलग हैं। पर आप लोगों की कमजोरी है, हमारी यह कमजोरी है। आप लोग दबने वाले आदमी हैं। आप लोग राजस्थान की पार्टी फीलिंग, ईर्ष्या-द्वेष में पड़े हैं; सिफारिशों से दबने वाले हैं और यही कारण है कि आज बरसात की हालत क्या हो गई है। यह हमारे पापों का परिणाम है, हमारे पाप का घड़ा भर गया है इसलिए यह हालत आज हो रही है। (करतल-ध्वनि) इसलिये साफ कह रहा हूं कि आप जब तक आत्मा के ऊंचे स्तर पर नहीं पहुँचेंगे तब तक राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। यह शराब बन्दी हमारे मूलभूत सिद्धान्त की बात है। हमें इसे करना ही होगा। इसको आज हम कानूनन भले ही चाहें तो मन्जूर न करें, भले ही न मानें आज, आज इसे न करें, छ महीने बाद करें; पर करने का निश्चय जरूर करलें। यह मेरा कहना है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री भैंरूसिंह (डि. नं० ५६)—I move that the question be now put.

श्री कंवरलाल जेलिया—उपाध्यक्ष महोदय, सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि...

श्री भैंरूसिंह—On a point of Order, Sir, मैंने जो अभी निवेदन किया है उस पर रूलिंग देने के लिए अर्ज करूंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उसका समर्थन नहीं हुआ है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—इसमें रूलिंग की जरूरत नहीं है। श्री जेलिया पहले ही बोलने के लिए खड़े हो गये थे।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, इस संकल्प में जो भाषा काम में लाई गई है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें कहा गया है कि, 'इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में अविलम्ब कानून मद्य-निषेध घोषित किया जाय'। इसमें जो 'अविलम्ब' शब्द है उसको जहां तक इस प्रस्ताव की भूमिका और व्यवहार का सम्बन्ध है कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मद्य जैसी चीज़ को कौन पसन्द करेगा? स्वास्थ्य या आर्थिक पहलू से भी देखा जाय तो भी यह माना जा सकता है कि आज के भारत की दशा को देखते हुए यह चीज़ आगे चलने वाली नहीं है। लेकिन आज राजस्थान की जैसी दशा है उसके अनुसार और यहां के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए गंभीरता के साथ यदि हम इस पर विचार करें तो यह महसूस करेंगे कि आज के राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए इसको कानून द्वारा बन्द किया जाना बिल्कुल असामयिक माना जायगा। इसको असामयिक मानने के कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

माननीय सदस्य, जिन्होंने इस संकल्प को रखा है उनका मतलब साफ है। वे शीघ्र ही कानून द्वारा मद्य-निषेध किया चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए जो पहलू रखा है उसको देखा जाय तो भी मैं मानूंगा कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी। इससे आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान होगा। श्रमिकों के बारे में बार बार कहा गया कि उनको मद्य से नुकसान होता है। मैं भी मजदूर या श्रमिक वर्ग का हूं। शराब मजदूरों को अधिक प्रिय होती है। मैं भी इसको बंद करना जरूर चाहूंगा। लेकिन आप सोचिये कि राजस्थान की आर्थिक दशा गिरी हुई है। आमदनी का स्थायी साधन नहीं है तो कैसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान के बजट से २ करोड़ रुपये कम हो जांय। कोई उपाय बतावें आप कि २ करोड़ रुपये कम होंगे उनको इन इन सीगों से वसूल कर लिया जायगा। जैसे माननीय पूर्व वक्ता ने कहा कि राजप्रमुख का अलाउन्स बन्द किया जाय और दूसरे मदों में तोड़-मरोड़ कर मितव्ययता की जाय, यह मेरा विषय नहीं है। पृथक राजस्व मंत्रीजी इसके बारे में अपने विचार बतावेंगे, लेकिन आज हमको एक्साइज़ से जो २ करोड़ रुपये मिलते हैं, उनका उपयोग हम सार्वजनिक हित के कार्यों में करते हैं तो मैं यह मानता हूं कि इसका दुरूपयोग नहीं है। मैं यह सिद्धान्त से मानता हूं कि शराब बन्द होनी चाहिये लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रस्तावक महोदय जिस क्षण से बन्द करना चाहते हैं उसी क्षण से इसे बन्द करना चाहिये। जैसे ही राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, अन्य जरियों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वैसे ही राजस्थान की परिस्थिति को देखकर उस समय की विधान सभा इस बारे में विचार कर सकती है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि अभी इसको बन्द करना ठीक नहीं होगा। कई महानुभावों ने कहा कि बम्बई और अन्य कई प्रान्तों ने मद्य-निषेध कर दिया है, यह ठीक है। लेकिन आप वहां की आर्थिक स्थिति को देखिये, पैदावार को देखिये। वहां की स्थिति को देखकर ही वहां की विधान सभा ने मद्य

[श्री कंवरलाल जेलिया]

निषेध के लिए कानून बनाया है वहां की परिस्थिति को राजस्थान की परिस्थिति के साथ मिलाना राजस्थान के लिए ज्यादती होगी। अगर आप इसको ठंडे दिल से देखेंगे तो आप और प्रस्तावक महोदय यह कबूल करेंगे कि इसको अभी बन्द करना जल्दबाजी का कदम होगा। प्रस्तावक महोदय और अन्य वक्ता महोदय यहां पर धर्म शास्त्र का उदाहरण देते हैं। पूर्व वक्ता महोदय ने भागवत का उदाहरण रखा। मैं आप से यह कहूंगा कि हम धर्म निर्पेक्ष राज्य में रहने वाले हैं और सभी धर्मों के मानने वालों को समान दृष्टि से देखते हैं। कोई यह दलील देते हैं कि धर्म के नाम पर इसको बन्द किया जाय तो मैं यह कहूँगा कि हमारे संविधान के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। धार्मिक पहलू को यहां पर लाना ठीक नहीं है। अन्य दृष्टिकोण से जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मद्य निषेध करना ठीक मान सकते हैं।

बार बार मजदूरों के बारे में कहा गया कि मजदूर लोग शराब ज्यादा पीते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि बूटेड़-शूटेड़ लोगों के होटल का बिल देखिये तो मालूम पड़ेगा कि उनके जो बिल बनते हैं मजदूरों के बिल ऐसे नहीं बनते। बूटेड़-शूटेड़ लोग ज्यादा शराब पीतें हैं।

श्री भैरूंसिंह—वे बूटेड़-शूटेड़ लोग कोटा से आने वाले होंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—शराब के ठेकों के जरिये यदि पैसा खजाने में आता है तो जन-कल्याण के कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि यह बेजा बात नहीं है। यदि आप कहेंगे कि मैं शराब खोरी का पक्ष करता हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मद्यपान खराब है और मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं जिसका सक्रिय सदस्य होने के नाते कोई इसको काम में नहीं ला सकता। जो सरकार की तरफ से बोलेंगे वे भी इसको बुरा ही कहेंगे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की स्थिति अभी ठीक नहीं है। आज जो आय के साधन हैं उनको देखते हुए यदि जल्दबाजी की तो हमें यह मानना होगा कि जन कल्याणकारी कार्यों में हम पिछड़ जायेंगे और आर्थिक दशा सुधारने के जो प्रयत्न कर रहे हैं वे नहीं कर सकेंगे, और इससे जनता के साथ हम अन्याय करेंगे। इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि वे इस पर ज्यादा जोर नहीं दें। सदन को चाहिए कि आगे जैसी स्थिति हो वैसा करें; लेकिन आज मद्य-निषेध करना ठीक नहीं होगा।

श्री भैरूंसिंह—Mr. Chairman, Sir, I move that the question be now put.

श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने एक अमेंन्डमेंन्ट दिया है, उसका क्या हुआ?

श्री सभापति—Your amendment has been disallowed. The question is that there is a closure motion.

श्री वेदपाल त्यागी—There will be a reply now.

श्री सभापति—I know.

श्री तनसिंह—I suppose, Sir, that the closure must be carried.

श्री सभापति—The question is that question be now put. Those who are in favour of the motion will say, yes.

श्री श्रीमानसिंह—On a point of order, Sir, a closure motion is never voted in the House. It is not voted.

श्री सभापति—Now the debate is closed and I will ask the Minister in-charge to reply. The Government will reply.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री):-चेयरमेन महोदय, लगभग दो ढ़ाई घंटों तक इस प्रस्ताव पर बहस हुई। जो आज की स्थिति है शराब के बारे में और खास तौर से नशीली वस्तुओं के बारे में, उसका जो पहलू है वह आर्थिक तो है ही लेकिन उससे भी अधिक व्यवहारिक है। जिन महानुभावों ने इस पर कुछ कहा उन्होंने कुछ धार्मिक दृष्टि से, कुछ नैतिकता की दृष्टि से, कुछ और और पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात की जरूर कोशिश की कि शराब बंदी होनी चाहिये लेकिन साथ ही खास जो बात थी उसको छिपाने की कोशिश की या कुछ और बातें कहने की कोशिश की गई, शराब बंदी के संकल्प के साथ। नगर से आये हुए सदस्य ने कहा कि सरकार कस्टम भी लेती है, सेल्स टेक्स भी लेती है, एक्साइज ड्यूटी लेती है, स्टाम्प ड्यूटी भी लेती है और इस प्रकार की लगभग ८ करोड रूपये की रेवेन्यू सरकार को इन चीजों से होती है; इसकी आलोचना की गई। कोई जिम्मेदार आदमी किस बात की दलील कहां दे सकता है जिसका कि असर पडे, यह सोचने की बात है। यह कहना कि सरकार सब कार्यवाही गैर कानूनी कर रही है और अव्यवहारिक कर रही है, कहां तक वाजिब है ? एक्साइज ड्यूटी से इन्कार करना और अन्य सारे टेक्सेज़ से इन्कार करना कहना, ठीक है।

अभी हमारी माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार अगर मद्य-निषेध के कानून को नहीं बनाती है तो यह गौ वध को भी जारी रखना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—यह नहीं कहा था गौवध के समान कलंक रहता है यह कहा था।

श्री भोला नाथ—लेकिन आप राजस्थान की असेम्बली में बोल रहे थे। आप जानते हैं कि राजस्थान में गौ-वध एक दम बन्द है इस तरह मद्य-निषेध की बात कर इस तरह की बात कहने से सुनने वालों पर यह असर जरूर पड़ता है कि राजस्थान में और भी कोई घृणित चीज चल रही

Page No.68

[श्री भोला नाथ]

है, जिसको कि सरकार अभी बन्द करना नहीं चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की कभी भी यह मंशा नहीं है कि ऐसी मद्य जैसी नशीली चीजें जारी रहें, इनको रोकने के लिए सरकार के पास बराबर प्रोग्राम है। बराबर नियमित ढंग से प्रयत्न किये जायं, तभी किसी काम में सफलता मिल सकती है लेकिन हर चीज का व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है। उसको ध्यान में रखते हुए ही नियमित ढ़ंग से प्रयत्न किये जाते हैं। जब से राजस्थान बना है आपने देखने की कोशीश की होगी कि जिन इलाकों में शराब निकालने की छूट थी, उन इलाकों में छोटे-छोटे लोग इन कामों को करते थे, राजा, महाराजा और जागीरदार लोग थे उनकी परिस्थिति और अलग तरह की थी। उदयपुरवाटी (जयपुर) और भौमट के इलाकों में ऐसे लोग थे जो कि शराब निकाला करते थे और बेचा करते थे। उन लोगों पर पुरानी सरकारें इतना जल्द असर नहीं डाल सकीं पर इस सरकार, ने और खास तौर से जो सरकार चुनावों के बाद बनी उसने उस काम को रोकने में कामयाबी हासिल की। यहां जब यह कार्यवाही करनी पडी तो विशेष प्रकार की पुलिस का भी प्रबन्ध करना पड़ा क्यों कि पुराने समय से जो लोगों की आदत थी उसको छुडाने में हर प्रकार के प्रयत्न करने पडे लोगों को समझना पड़ा। इस कार्य में सरकार को स्टाफ का पूरा सहयोग मिला। लोगों का पहले ख्याल था कि वहां पर काबू पाना बडा मुश्किल काम है उन इलाकों में इस प्रकार की कार्यवाही की गई तो वहां पर गड़बड़ी फैल जायगी और उसको काबू में लाना सरकार के लिये कठिन हो जायगा परन्तु आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस बड़े इलाके में जहां कि गड़बड़ी होने का डर था वहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। मद्य-निषेध का कानून बनेगा तब भी विरोध होगा पर ज्यादा विरोध नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे इसके प्रति ऐसा वातावरण बनाता जा रहा है ऐसे कानून बनते जा रहे हैं कि इस तरह व्यक्ति गत रूप से शराब निकालना जो है वह एक समाजिक दुर्गुण है और सरकार ने इसे बहुत अंशों में रोका है।

एक तो बात यह हो सकती है कि शराब एक दम से बन्द कर दी जाय और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसको प्रोहिबिटेड बना दिया जाय। इस प्रकार की ड्यूटी इस पर लगाई जाय कि यह धीरे धीरे लोगों को मिल ही नहीं सके। इसी वजह से सरकार ने शराब की काफी कीमतें बढ़ाई हैं और इस तरह पहले जो ७ लाख गैलन शराब प्रतिवर्ष बिकता था वह धीरे धीरे घट कर साढ़े पांच लाख गैलन बिकता है।

कुं. श्री जसवन्त सिंह—क्या इसका कारण इल्लिसिट डिस्टिलिशन नहीं है ?

श्री भोला नाथ—इल्लिसिट डिस्टिलिशन इस प्रकार मुकाबले में लिया जाय तो मैंने पहले बताया कि बहुत से लोग तो नाजायज शराब निकालते थे और कुछ लोगों को सरकार की ओर से आज्ञा थी वह इल्लिसिट शराब भी तो इसमें शामिल थी......

श्री भैरोंसिंह—आज्ञा होने के बाद वह शराब जायज हो गई, इल्लिसिट कैसे हुई ?

श्री भोला नाथ—इल्लिसिट तो उस माने में हुई कि जिन इलाकों में उनको निकालने की आज्ञा थी, इस्तेमाल में लाने की आज्ञा थी उन इलाकों से बाहर दूसरे इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में भेजा करते थे, गैर कानूनी कार्यवाही करके उन इलाकों में भेजते थे जहां नहीं भेजना चाहिये था।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह—अब वे बातें तो खत्म हुई। आज तो उस से १० गुना, ४ गुना इल्लिसिट डिस्टिलिशन हो रहा है।

श्री भोलानाथ—नहीं, यह बात तो नहीं है। जैसा कि हमारे जमवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कानूनी कठिनाई है। इस जुर्ममें वाजिब सजा जो मजिस्ट्रेट समझता है देता है सरकार एग्ज़ीक्युटिव का काम करती, है सजा दिलाने की कोशिश करती है, सजा दी जाती है और इन दिनों में जो मजिस्ट्रेट्स ने इन जुर्मों में सजाएं दी हैं और जो आंकड़े हमारे पास आये हैं उनको देखने से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट्स ने भी इस जुर्म को एक गंभीर जुर्म माना है, परन्तु पुराने जमाने से जो पुरानी आदतें हैं उनको रोकने के लिये सभी तरह से प्रयत्न करना जरूरी है। सरकार भी रोके, कानून भी बनाये जांय, सजा भी दी जाय और प्रोहिबिशन भी किया जाय, तथा लोगों को शिक्षित किया जाय, समझाया जाय, कि इस तरह की आदतों को वे छोड़ दें जो कि सामाजिक दुर्गुण हैं।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह मद्य-निषेध का संकल्प है, पर इस प्रस्ताव में यदि ओपियम, गांजा आदि दूसरी नशीली चीजों को भी दिया होता तो वे इसका समर्थन करते। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ मद्य-निषेध ही नहीं बल्कि और भी दूसरी जितनी नशीली चीजें हैं उनके लिये यह तो निश्चित किया हुआ है कि इन नशीली चीजों को कम किया जाय। हर साल १० परसेंट नशीली चीजें कम होती जा रही हैं, भारत सरकार इश्यू ही नहीं करती, जितना कोटा होता है वह १० परसेंट कम हो जाता है। इस तरह सन् १९६० तक अफीम का तो करीब-करीब खात्मा कर दिया जायगा। तो इस तरह से नियमित रूप से नशीली चीजों को कम करने का प्रोग्राम चल रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे कुल सवा लाख रुपये की आमदनी राजस्थान सरकार को सालाना होती है, इस लिये राजस्थान सरकार एक कैसी सरकार है कि सिर्फ सवा लाख रूपया आमदनी के लिये इतना झगड़ा मोल ले रही है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ सवा लाख का ही मामला नहीं है बल्कि यह कई करोड़ का मामला है। अगर यह सिर्फ सवा लाख का ही मामला हो तो इसी वक्त, तत्काल स्वीकार कर सकते हैं। जो आंकड़े इस बारे में उन्होंने वे बजट को देख तो गये होंगे परन्तु भाषण को दिलचस्प बनाने के लिये उन्होंने आंकड़ों को इस ढ़ग से रखा कि दूसरी रकम है, नोट है वह दिखाई नहीं दे। ६६ लाख के करीब रुपया स्टाफ पर खर्च हो जाता है। उन्होंने नहीं देखा कि ७ करोड़ की आमदनी होती है और जो

[श्री भोला नाथ]

स्टाफ है वह केवल इस एक्साइज के लिये ही अलग नहीं है, पर्चेज मिलाकर ६८ लाख खर्च होता है। ७ करोड़ की आमदनी होती है, साढ़े चौदह पर्सेंट खर्च होता है।

सब से बड़ा सवाल इस सम्बन्ध में यह है कि जो भी कानून बनाया जाता है वह इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि उस पर पूरी तरह से अमल हो। और यह अनुभव सभी लोगों का पाया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो नई बनी है और इस समय सब लोग अलग अलग जगहों से अपनी अपनी रियासतों से आये हैं। उनके वहां भिन्न भिन्न कानून थे। उनका अगर थोड़ा सा भी सुधार किया जावे तो उसमें कठिनाई मालूम होती है। लेकिन उनमें से बहुत सी रियासतें जो वर्षों से कायम हैं और जिनका शासन बहुत समय से लोकतन्त्र राज्य रहा है चाहे वहां किसी दूसरे प्रकार का कोन्स्टीट्यूशन रहा हो। मगर वहां पर एसेम्बली भी रही है। इसके अलावा वे राज्य जो राजस्थान के पड़ौसी राज्य हैं और राजस्थान से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे पंजाब, पेप्सू आदि को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि...

श्री भैरोंसिंह—मद्रास और दिल्ली में इसका अमल किया जा रहा है।

श्री भोलानाथ—पंजाब और पेप्सू भी अपने से लगे हुये हैं लेकिन किसी भी पड़ौसी रियासत ने, सिवाय बम्बई के, अभी तक इस प्रकार का कानून लागू नहीं। अगर इस प्रकार का कानून किसी दूसरी रियासतों में लागू होता तो हमें अपने यहां पर भी इस प्रकार के कानून को बना कर अमल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वरना हमें...

श्री वेदपाल त्यागी—यू. पी. सरकार के चार डिस्ट्रिक्टस में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यह माननीय मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये।

श्री भैरूसिंह—पाकिस्तान में भी यह बन्द है।

श्री भोलानाथ—तो यह जरूरी है कि सब तरफ से वातावरण अनुकूल बनता हो और कानून बनाया जावे। उस पर पूरी तरह से अनुकरण हो। किसी भी व्यक्ति की कानून को तोड़ने की प्रवृत्ति नहीं हो, वह सरकार की और न जनता के लिये अच्छी बात है। आपको मालूम होना चाहिये कि बहुत बड़े क्राइम्स इल्लिसिट लिकर के उन्हीं इलाकों में होते हैं जहां होते थे। और जिन इलाकों में पहले भी नाजायज शराब नहीं बनती थी वहां अब भी नहीं निकलती है। जो लोग नाजायज शराब तैयार करते हैं वे अपने घरों में तैयार करते हैं और उन लोगों की यह प्रवृत्ति है कि वे औरतों के जनाने में शराब को निकालते हैं। वे लोग ऐसे स्थान पर शराब निकालते हैं जहां से सरकार को औरतों को अलग करके भट्टियों को पकड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़े आदमी और अच्छे आदमी

[श्री भोलानाथ]

हैं, उनके खुद की कोठी में एक बहुत बड़ी शराब की भट्टी पकड़ी गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े-बड़े लोग भी इस तरह नाजायज शराब बनाने की प्रवृत्ति को एन्करेज करते हैं। हमें उनकी पुरानी आदतों को सुधारना होगा और वह धीरे धीरे सुधरेंगी। कुछ तो उनकी आदतों को सुधारना होगा और कुछ कानून को धीरे धीरे लागू करना होगा। इस प्रकार उनको हम रोकेंगे। हमें यह कहा जाता है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई थी। मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और यह इसलिये करना चाहता हूं कि जो प्रान्त बहुत समय से प्रजातन्त्र की तरह से काम करता चला आ रहा है वह भी इस सम्बन्ध में कामयाब नहीं हो सका है :

"Prohibition has not led to the elimination of drinking but may have led to reduction in the consumption of liguer" जो अपने आप ही देखने को मिलती है। "It is not possible to asseas the quanutum of reduction, but the reduction has not been consonant with the time, energy and money spent on it." सैकिन्ड यह है कि "Prohibition has given rise to wide-spread malpractices of illicit distillation smuggling and cosnumption of deleterious substances." तीसरा यह है; और यह कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है यह रिपार्ट १३ अगस्त, १९५३ की है: "Prohibition has coutributed in an appreciable measure to the disregard of law in general and has led to corruption in the lower ranks of the enforcement staff." सबसे बड़ी और बुरी बात जो है वह यह कि इसमें करप्शन का बहुत बड़ा भय है। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि बम्बई सरकार को इसमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। मैं यह कहूंगा कि सरकार के पास पुराने ढ़ंग का स्टाफ है और ताकत भी रही है क्योंकि उनका फाइनेन्स पहले से ही बहुत अच्छा है। चौथी बात वे कहते हैं :

"Prohibition has not led to any betterment of the economic social and physical condition of the drinking classes and has not helped to raise the general standard of living of the working classes. It has not affected in one way or the other their efficiency and well-being."

पांचवी Prohibition has had no effect on the efficiency and well being of the labour in the industrial areas." खैर, मैं इन बहुत सी बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपके सामने जो अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है किस बसे बड़ा प्रश्न कोई लाख की या दो लाख आमदनी का नहीं है। इसको पास करने के बाद जो जिम्मेदारी आवेगी वह आमदनी को बढ़ाने का जरिया नहीं। एक सदस्य ने कहा कि राजाओं और राजप्रमुख के प्रिवी पर्स...

श्री भैरोंसिंह—मैंने राजप्रमुख के अलाउन्स का जिक्र किया था न कि उनके प्रीवी-पर्स का।

श्री भोलानाथ—उनके प्रीवीपर्स बन्द कर दिये जावें तो कोई....... । वे भी रिवाइज़ कर दिये जावें तो कोई एतराज़ की बात नहीं है । अगर कुछ लोग उधर से यह सजेस्ट कर दें कि कोर्ट ऑफ वार्ड के डिपार्टमेन्ट को तोड़ दिया जावे, और आमदनी खत्म कर दी जावे चाहे वे यह कहें कि कस्टम और एक्साइज़ से जो पैसा आता है वह समाप्त कर दिया जावे, तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई जिम्मेदाराना तरीका नहीं है । कभी कभी माननीय सदस्य जो आंकड़े रखते हैं वे वास्तव में प्रेक्टिकल आंकड़े हों, मगर वे इस तरह से तोड़-मरोड़ कर रखते हैं कि जिससे सुनने वालों को यह प्रतीत हो कि वास्तव में इस कानून को चलाना चाहते हैं और हठधर्मी से काम करते हैं । किसी भी सरकार को इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती कि जनता पर जबर्दस्ती ऐसा कानून लगा कर लोगों को दबाया जावे और उन्हें पकड़े । इस कानून को पास करने के बाद हमको नई फोर्स पुलिस में भर्ती करनी पड़ेगी और एक नया डिपार्टमेंट कायम करना पड़ेगा । आप आमदनी का प्रश्न छोड़ दीजिये । मैं तो यह कहूंगा कि आप उल्टा सरकार पर ज्यादा खर्च का बोझ डालेंगे । जो कानून बनेगा और जो लोग उस कानून को तोड़ेंगे उन सबके साथ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह—बंबई सरकार ने यह कार्य पुलिस से कराया है और यह कार्य उन्होंने मामूली बजट बढ़ा कर किया है ।

श्री भोलानाथ—आपने बचत का जरिया बताया था और अब आप पुलिस में बजट बढ़ाने की बात कह रहे हैं । मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता । मैं यही कहूंगा कि वास्तव में यह एक अच्छा रिजोल्यूशन है ! हम लोग तो सब प्रतिज्ञाबद्ध हैं और यदि इस कार्यवाही को सभी सदन और एसेम्बली के मेम्बर और जनता के लोग करें और इसका नैतिक जुर्म मान लिया जावे तो वह कानून का वास्तव में अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है । नगर से आये हुए सदस्य ने कहा कि कानून तो हमेशा तोड़े ही जाते हैं और उसी तरह से शराब का भी कानून जो तोड़ेगा तो उसको सजा दी जावेगी । यह कानून भी अगर टूटते रहें तो कोई बुराई की बात नहीं । मगर मैं यह कहूंगा कि जो कानून बने हुए हैं और लोग उनको तोड़ते हैं उनमें और इस कानून को तोड़ने में फर्क है । वे कानून जो बने हुए हैं और तोड़े जाते हैं वे आमदनी के जरिये नहीं । चोरी करना सरकार के लिये कोई आमदनी का जरिया नहीं । पुलिस इसलिये रखी जाती है कि चोरी करने वालों को रोका जावे । मगर मैं यह कहूंगा कि जो बात कही गई है वह इस प्रकार कही गई है कि जिससे सुनने वालों पर इसका असर पड़े और वे लोग यह समझें कि सरकार हठधर्मी से कोई बात नहीं मानती है ।

मैं तो आप से अर्ज करना चाहता हूं कि दो पहलू हैं । आमदनी का तो दृष्टिकोण है ही, आज-कल की फाइनेन्सेज़ की जो हालत है उसको देखते हुए, किन्तु उससे भी अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण है । यदि कानून बना कर उसको टूटने दिया जाता है तो यह सरकार के लिए ठीक बात नहीं है ।

तो यह रिज़ोल्युशन अनटाइमली है । वक्त आने पर यह कानून की शक्ल में आ सकता है और फिर उत्साह के साथ इसको पास कीजिये । जब कानून आयगा तो उसमें केवल

[श्री भोलानाथ]

मद्य-निषेध ही नहीं होगा, जो जो भी नशीली वस्तुएं हैं और जिनको कि राजस्थान के लिए हानिकारक माना जा सकता है वे भी होंगी। उस समय सरकार के साथ चल कर आप इनको बन्द कीजिये। किन्तु राजस्थान के एक कोने पर रह कर इनको बन्द करें और दूसरे उसके दरवाजे खुले रहें तो इससे कई कठिनाईयां पैदा हो जावेंगी, तो सभी सरकारें इस पर विचार कर रही हैं। विधान से भी बंधे हुए हैं, उसमें निर्दिष्ट ड्युटीज़ को पूरा करना है। इन दृष्टियों से मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जायगा। यदि इसको प्रेस किया जाय तो आप लोग इसका विरोध करें क्योंकि यह अव्यवहारिक है।

श्री जगतसिंह झाला—मैं विशेष सदन का समय न लेते हुए माननीय मंत्री महोदय ने जो फरमाया है उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं, यही कहूंगा। विह्प इश्यू हो गया है फिर भी राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने वाले इस प्रस्ताव को आप जरूर पास करें मैं इसको प्रेस करता हूँ।

श्री **सभापति**—समय हो गया है।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—Time is up, Sir.

श्री सभापति—समय हो गया है और जो रिज़ोल्यूशन श्री जगतसिंह ने प्रस्तुत किया था वह बगैर फैसला किये ही रह जाता है, चूंकि टाइम हो गया है। कल फिर ८ बजे सुबह सभा की बैठक होगी।

(सदन की कार्यवाही रात्रि को ८ बज कर ४ मिनट पर, दिनांक १४ सितम्बर, १९५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१३ सितम्बर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

1761. (316/E.M.) Shri H. K. Vyas. M. L. A. (Div. No. 160): Will the Education Minister be pleased to state:--

(1) Whether the Education Secretary of the Central Ministry of Education has issued a circular to all State Governments urging them to increase the age of superannuation in respect of professors, lecturers, etc.?

(2) If the reply to (1) is in the affirmative then what action is being contemplated on the Circular by the State Government ?

(3) If the reply to (2) is in the negative why should not the Rajasthan Government take an initiative in the matter so that the State Government may not have to dispense with the services of really qualified professors etc. who are likely to attain the present super annuation age of 55 ?

(4) If the reply to (3) is in the affirmative when is the decision going to be enforced ?

उत्तर

१. राजस्थान सरकार को इस प्रकार का सक्यूलर जारी करने की कोई सूचना नहीं है।

२. प्रश्न नहीं उठता।

३. सरकार इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती।

४. प्रश्न नहीं उठता।